

हिन्दी पुस्तक एजेन्सी-माला सख्या--२८

राजनीति-विज्ञान




लेखक

सुखसम्पतिराय भण्डारी (१)



हिन्दी पुस्तक एजेन्सी
१२६, हरिसन रोड, कलकत्ता

प्रथम बार] क्षेत्र १६८० [मूल्य १।८०



जगदीशनारायण तिवारी द्वारा

“वणिक प्रेस”

६० मिर्जापुर स्ट्रीट,

कलकत्तामे

मुद्रित ।

निवेदन

प्रिय पाठकवृन्द ! आज हिन्दी साहित्यमें राजनीति विषयक पुस्तकोंका जैसा अभाव है वह आप लोगोंसे छिपा नहीं है । उस अभावकी पूर्तिके लिये ही यह 'राजनीति-विज्ञान' नामकी पुस्तक आपके सामने रखता हू । पाश्चात्य राजनीति-विद्या-विशारदोंके विचारोंका स्थान स्थानपर उल्लेख किया गया है जिससे राजनीतिके गूढ रहस्योंको पाठक सहज ही समझ सकें ।

मैंने विशेष ध्यान इस ओर दिया है कि यह पुस्तक राजनीतिके विद्यार्थियोंके लाभकी हो । जहातक मैं समझता हू इससे प्रत्येक विद्यार्थी विशेषकर राष्ट्रीय विद्यालयोंके विद्यार्थी अवश्य लाभ उठावेंगे । यह पाठ्य पुस्तकोंमें रगने योग्य है । मैं अपने इन् प्रयत्नमें कहातक सफल हुआ हू इसका निर्णय विद्यालयोंके शुभ चिन्तकों, विद्यार्थियों और प्रेमी पाठकोंके ऊपर है । यदि प्रेमी पाठकोंने सदाकी भांति इसे भी अपनाया तो दूसरे संस्करणको और भी अच्छे रूपमें पाठकोंके सामने रखूंगा ।

विनीत—

प्रकाशक

भूमिका

आजकल देशमें राजनैतिक भावनाओंकी अद्भुत जागृति हो रही है। देश स्वराज्य और उत्तरदायित्वपूर्ण शासनके लिए लालायित हो रहा है। पर स्वराज्यकी सफलताके लिए पार्वत्य और पाश्चात्य राजनीतिज्ञानकी बड़ी ही आवश्यकता है। मुझे खेदके साथ कहना पडता है कि, हिन्दीमें राजनीतिके सिद्धान्तोंकी विवेचना करनेवाले ग्रन्थ नाम मात्रके हैं। राजनीतिक साहित्यका अभाव साहित्यमें बहुत खटकता है। इसी अभावकी किंचित् अंशमें पूर्ति करनेके लिये मैंने यह प्रयत्न किया है। मैं नहीं कह सकता कि, इसमें मैं कहातक सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय करनेका अधिकार पाठकोंको ही है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मेरे एक वर्षके सतत परिश्रमका फल है। इसके लिये मुझे पचासों अंगरेजीके ग्रन्थ देखन पड़े हैं, और उन्हींका सार इसमें भरनेका प्रयत्न किया है। इस ग्रन्थके लिखनेमें मुझे प्रधान रूपसे निम्नलिखित ग्रन्थोंसे सहायता मिली है जिसे मैं कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ।

- (1) Theory of the State by Bluntchli
- (2) Problems of Political Science by Row
- (3) Political Philosophy by Willoughby
- (4) The Domain of Political Science by Munro Smith
- (5) Elements of political Science by Sidgwick
- (6) Introduction to Political Science by Garner

और भी अनेक सुप्रख्यात और प्रमाण भूत ग्रन्थोंसे सहायता मिली है अतएव उन लेखकोंके भी हम अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

अजमेर
२७ ३ २३

भवदीय—
सुखसम्पति राय भण्डारी

विषय	पृष्ठ
३८—व्यक्तिवाद	६८
३९—व्यक्तिवादकी उत्पत्ति और विकास	१००
४०—व्यक्तिवादकी समालोचना	१०५
४१—साम्यवाद	११३
४२—साम्यवादकी समालोचना	१२०
४३—अराजकवाद	१२२
४४—बोत्शेविक पन्थ	१५४
४५—नागरिकता	१८६
४६—नागरिक और निर्वाचक	"
४७—नागरिकता और राष्ट्रीयता	१८७
४८—नागरिकताके अन्य भेद	१८९
४९—देशीयकरणके परिणाम	१९३
५०—नागरिकताका नाश	१९५
५१—प्रतिनिधि तत्त्व	१९६
५२—मताधिकारके सिद्धान्त	२०५
५३—साधारण मताधिकार	२०६
५४—स्त्रियोंको मताधिकार	२१२
५५—इङ्ग्लैण्डमें स्त्रियोंको मताधिकार	२१३
५६—अमेरिकामें स्त्रियोंको मताधिकार	२१४
५७—स्त्रियोंको मताधिकार क्यों दिया जाना चाहिये	२१४

हिन्दी पुस्तक एजेंसी-माला सख्या—२६

मुखाकृति निदान

लेखक—प्रसिद्ध जलाचिकित्सक डाक्टर लुई कूने
अनुवादक, अध्यापक श्री रामदास गौड़ एम० ए०
शोधही प्रकाशित होगी ।



हिन्दी पुस्तक एजेंसी माला सख्या—३०

वीर केसरी शिवाजी

लेखक—श्रीनन्दकुमारदेव शर्मा
उप गद्दी है ।

राजनीति विज्ञान

राजनीतिशास्त्र क्या है ?

भिन्न भिन्न राजनीतिज्ञ राजनीतिशास्त्रकी भिन्न २ व्याख्याएँ करते हैं पर सामान्यतया राजनीतिशास्त्रसे उन शास्त्रकी कल्पना होती है जो राज्य (State) के शासन, गुण, कर्म, धर्म तथा उसके भिन्न २ रूपोंका विवेचन करता है। यह दो प्रकारका है, यथा (१) सैद्धान्तिक राजनीतिशास्त्र (Theoretical Politics) और दूसरा व्यावहारिक राजनीतिशास्त्र (Applied Politics)। सैद्धान्तिक राजनीतिशास्त्र केवल राज्य या राज्यशासनके मूठका, उसके तत्त्वोंका, उसके सिद्धान्तोंका और उसके आदर्शोंका विवेचन करता है। इसके विपरीत व्यावहारिक राजनीतिशास्त्र उन साधनों और उपायोंका विचार करता है जिनके अवलम्बनसे राजनीतिशास्त्रके तत्त्व, आदर्श व्यवहोरमें लाये जा सकें। दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि यह दूसरी तरहका राजनीतिशास्त्र शासनके व्यावहारिक रूप और कार्यपर प्रकाश डालता है। एक सुप्रख्यात पाश्चात्य विद्वानने सैद्धान्तिक और व्यावहारिक राजनीतिशास्त्रके उद्देशोंको इस प्रकार प्रकट किया है—

सैद्धान्तिक राजनीति व्यावहारिक राजनीति

राज्यके सिद्धान्तोंका अर्थात् (१) राज्यके व्यावहारिक और उनके मूल, गुण, धर्म और प्रत्यक्षरूप या शासनका विवेचन आदर्शों का विवेचन । (२) शासनके व्यावहारिक और

(२) शासनसिद्धान्त अर्थात् प्रत्यक्षरूपका वर्णन जिसमें जुद्धी शासन सम्बन्धी सस्याओं, विभाग जुद्धी शासन-प्रणालियोंका वर्णन व्यवस्था, राज्यकर, कानून आदिके और विश्लेषण होगा । सिद्धान्तोंका वर्णन ।

(३) कानूनका व्यावहारिक

(३) कानून बनानेका सिद्धान्त उपयोग ।

अर्थात् इसमें कानूनकी उत्पत्ति, उद्देश, विकास आदिका वर्णन रहता है ।

सुप्रख्यात जर्मन राजनीतिज्ञ ब्लशले (Bluntschli) का कथन है कि “राजनीतिशास्त्र उस शास्त्रका नाम है, जिनमें राज्यके तत्त्वोंका, उसकी मूल प्रकृतिका, उसके गुणधर्मका, उसके विविध रूपों और विकासका वर्णन रहता है । ब्लशलेकी तरह एक दूसरा गैरियन (Garies) नामक जर्मन राजनीतिज्ञ राज्यको व्याख्या इस प्रकार करता है—“राजनीतिशास्त्र राज्यकी शक्ति की सस्या (Institution of Power) समझता है और यह राज्यकी उत्पत्ति, उद्देश और आदर्शपर विचार करता है । पाल जैनेट (Paul Janet) नामक फ्रान्सका

एक नामांकित लेखक राजनीतिशास्त्रको समाजशास्त्रका वह हिस्सा समझता है, जो राज्यके मूल और शासनके तत्त्वोंपर विचार करता है। प्रोफेसर सीली महाशय राजनीतिशास्त्रकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं—“राजनीतिशास्त्र शासनके सिद्धान्तों और कार्यों का उसी प्रकार विवेचन करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्तिका, जीवशास्त्र जीवनका और बीज-गणित अङ्गोंका।

इन सत्रमत्तों और व्याख्याओंका सारांश यह है कि राजनीतिशास्त्र साधारणतया सब दृष्टियों और सब याजुओंसे राज्यका विचार करता है। राजनीतिशास्त्रका आरम्भ और अन्त राज्य हीसे होता है। वह जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, राज्यकी उत्पत्ति, मूल प्रकृति, तत्त्व और उसके विविध रूपों तथा विकासपर विचार करता है।

राजनीतिशास्त्रका अन्य शास्त्रोंसे सम्बन्ध

जिस प्रकार अर्थशास्त्र, अपराधशास्त्र आदि समाजशास्त्रके अङ्ग हैं, वैसे ही राजनीतिशास्त्र भी समाजशास्त्रका एक अङ्ग विशेष है। समाजशास्त्रक इन भिन्न भिन्न अङ्गोंमें परस्पर इतना सम्बन्ध है कि इन्हें एक दूसरेसे बिलकुल जुदा कर देना असंभव नहीं तो दुस्माध्य अवश्य है। इनका यहाँ ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। उदाहरणके लिये आप राज्यको ले लीजिये। जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं—राज्यपर विचार करना राजनीतिशास्त्रका काम

है, पर राज्यहीसे सम्बन्ध रखनेवाले कितने ऐसे आर्थिक प्रश्न हैं, जिनपर विचार करना अर्थशास्त्रका काम है। इसी प्रकार राजनीतिशास्त्रका और भी अनेक शास्त्रोंसे सम्बन्ध है। सुप्रसिद्ध फ्रेञ्च राजनीतिक लेखक पाल जैनेट (Paul Janet) लिखता है—राजनीतिशास्त्रका अर्थशास्त्र (Political economy) या सम्पत्तिविज्ञान (Science of wealth) से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस प्रकार उसका कानून-इतिहास और दर्शन-शास्त्रसे भी सम्बन्ध है। जेलिनेक (Jellinek) नामक विख्यात लेखक तो इससे बहुत आगे बढ़कर कहता है कि राजनीतिशास्त्रका सम्बन्ध न केवल अर्थशास्त्र, कानून विज्ञान और इतिहाससे है वरन्, मनुष्यशास्त्र, मानसशास्त्र, नीतिशास्त्र और भूगोलसे भी है। इतना ही नहीं ये सब शास्त्र इसके सहयोगी हैं। यहा हम यह उचित समझते हैं कि इस बातका कुछ खुलासा कर दे कि भिन्न २ शास्त्रोंके साथ इस शास्त्रका क्या सम्बन्ध है।

समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र

हम ऊपर कह चुके हैं कि राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्रका अङ्ग-विशेष है। इन्हें एक दूसरेसे मिलकुल जुदा कर देना दुस्साध्य है। इन दोनोंके बीचमें सीमासन्धनकी स्पष्ट लाइन खींचना दुष्कर है। राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्रका क्या है। हा, वैज्ञानिक अन्वेषणके लिये हम इन्हें थोड़ी देरके लिये अलग २ कर

सकते हैं, पर इनके बीचमें सीमान्धनकी नैसर्गिक लाइन खींचना तो असंभव भी कहा जाय तो विशेष अतिशयोक्ति न होगी।

समाजशास्त्र उस शास्त्रको कहते हैं जिसमें शास्त्रीय रीतिसे समाजका इस दृष्टिसे विचार किया गया है कि वह व्यक्तियोंका समुदाय है। दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि समाजशास्त्र उस शास्त्रका नाम है जिसमें मनुष्योंका उनके सामुदायिक रूपमें विचार किया गया हो। इसके विपरीत राजनीतिशास्त्र समाजके केवल एक रूपका—राजनीतिक रूपका विचार करता है। अर्थात् राजनीतिशास्त्रका कार्यक्षेत्र समाजशास्त्रके कार्यक्षेत्रसे सङ्कुचित है। इतना होते हुए भी समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्रका पिता पुत्र तुल्य सम्बन्ध है। जहा समाजशास्त्र समाजपर, मानव समुदायपर सब दृष्टियोंसे विचार कर सकता है, वहा राजनीतिशास्त्र समाजके केवल राजनीतिक पहलू (Political side) पर विचार करता है।

इतिहास और राजनीतिशास्त्र

इतिहास और राजनीतिशास्त्रका भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। हा, यहा हम इतना अवश्य कहेंगे कि जहा समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्रका पिता पुत्र तुल्य सम्बन्ध है, वहा इतिहास और राजनीतिशास्त्रका भाई भाई सा सम्बन्ध है। सुप्रख्यात राजनीतिक लेखक जेलिनेक (Jellinek) महाशयका कथन है, किसी भी प्रकारकी समस्याओंका अध्ययन, चाहे वे राजनीतिक हों,

चाहे कानूनी या सामाजिक हों, बिना इतिहासकी सहायताके नहीं हो सकता। राजनीतिज्ञके लिये राजनीतिक संस्थाओंके केवल गुण धर्मकाही अध्ययन बस नहीं होता, उसे इस बातका भी अध्ययन करना पड़ता है कि इन संस्थाओंका विकास कैसे हुआ, उनमें समय समयपर किस किस प्रकारके परिवर्तन होते गये और उन परिवर्तनोंसे मनुष्य-समाजकी सभ्यतापर क्या क्या प्रभाव पड़े। राजनीतिज्ञके लिये इन बातोंका जानना अत्यन्त आवश्यक है और ये बातें इतिहाससे, सम्बन्ध रखती हैं। राजनीतिशास्त्र और इतिहासके इस अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धको देखकर राजनीतिके सुप्रसिद्ध आचार्य, सीली, महोदय कहते हैं, “बिना इतिहासके राजनीतिशास्त्र निकम्मा है और बिना राजनीतिशास्त्रके इतिहास निकम्मा है”

यद्यपि इतिहास और राजनीतिशास्त्रका अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है और इतिहास राजनीतिशास्त्रकी सामग्री तैयार करता है, पर हम सुप्रसिद्ध पाश्चात्य राजनीतिक लेखक फ्रीमेन महोदयके इस कथनसे सहमत नहीं कि “इतिहास भूतकालीन राजनीति है या भूतकालीन राजनीति ही इतिहास है।” अगर फ्रीमेन महोदयका अभिप्राय केवल राजनीतिक संस्थाओंके इतिहाससे होता, तो हम उनके साथ सहमत हो जाते पर उन्होंने केवल “इतिहास” लिखकर अपनी व्याख्याको कमजोर कर दिया है। नये २ आविष्कारोंके, भाषाओंके, रीतिरिवाजोंके, उद्योग धर्मोंके भी इतिहास हैं। यतलाइये, इनका राजनीतिशास्त्रसे

ऐसा कौनसा आवश्यक सम्बन्ध है, इसी तरह सब प्रकारकी राजनीतिका भी सम्बन्ध इतिहाससे नहीं है। विशुद्ध तार्किक राजनीति (Pure philosophical politics) भी इतिहासमें कैसे समा सकती है ?

इतिहासका कार्य्य ससारमें होनेवाली महत्त्वपूर्ण घटनाओंका वर्णन करना और उनसे होनेवाले विविध प्रभावोंको प्रकट करना है। इसके अनिश्चित इतिहासका यह भी काम है कि विविध सस्थाओंके विकास और पतनका परिचय करवाना और यह दिखलाना कि इनमें सृष्टिके नियम किस किस प्रकारसे कार्य्य कर रहे हैं, अर्थात् इतिहासका कार्यक्षेत्र राजनीतिक घटनाओंके वर्णन या विश्लेषणतक ही परिमित नहीं है। वह विशाल है और इतिहास तबसे चला आ रहा है जब मनुष्यमें राजनीतिक भावनाओंका उदय भी नहीं हुआ होगा। इसलिये इतिहास और राजनीतिशास्त्रका घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार करते हुए भी यह कहना ठीक नहीं कि "इतिहास भूतकालीन राजनीति है, और भूतकालीन राजनीति आधुनिक इतिहास है (History is past politics or that politics is present history)।

अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र

हमने इस अध्यायके आरम्भमें अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्रके सम्बन्धपर कुछ प्रकाश डाला है, पर वह इतना थोड़ा है कि उससे शायद पाठकोंको सन्तोष न होगा। अतएव इसी

विषयपर और दो शब्द लिखने अनुचित न होंगे। इतिहासकी तरह अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र का भी भाई भाई सा घनिष्ठ सम्बन्ध है विशेष कर इस युगमें तो यह सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो गया है कि शायद किसी ऐतिहासिक युगमें ऐसा सम्बन्ध नहीं रहा होगा। आजकल राज्यकी बहुतसी बातें आर्थिक नीतिपर निर्भर करती हैं। पूँजीदारों और मजदूरोंमें क्या सम्बन्ध है और क्या होना चाहिये? देशकी सम्पत्तिकी किस प्रकार वृद्धि की जावे? कौन कौनसे मालपर कैसे कैसे कर लगाये जायँ? देशके लिये सुरक्षण-नीति लाभकारक है कि अवाध्य चाण्डाल्य नीति? ये सब प्रश्न ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध जरा अर्थशास्त्रसे है, वही राजनीतिशास्त्रसे भी है, इसी प्रकार कई ऐसे विषय हैं, जिनका सम्बन्ध इन दोनों शास्त्रोंसे है।

इकरार-सिद्धान्त

राज्यकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें जिस सिद्धान्तने गत दा सौ वर्षों से यूरोप और अमेरिकाके विद्वानोंका ध्यान खींच रखा है, वह इकरार-सिद्धान्त (The Compact theory) है। हमारे महाभारतमें भी इस सिद्धान्तका दिग्दर्शन है। श्रीयुक्त चिन्ता-मणराव वैद्य "हिन्दी महाभारत मीमांसा" में लिखते हैं —

“राजसत्ताकी मूल उत्पत्ति कैसे हुई और उस सत्ताके साथ ही साथ न्यायानुसार राज्य करनेकी जवाबदेही राजालोगोंपर कैसे आ पड़ी? इन प्रश्नोंके सम्बन्धमें एक और सिद्धान्त महा-

भारतमें पाया जाता है। इस सिद्धान्तमें यह कल्पना की गयी है कि राजा और प्रजाके बीच इकरार हुआ था। पाश्चात्य देशोंमें हाव्स आदि राजकीय तत्त्ववेत्ताओंने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि आरम्भमें राजा और प्रजाके बीच इकरार होता है। इस बातपर ध्यान रहे कि हजारों वर्ष पहले भारतीय आर्यों ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। शातिपर्वके ६७ वें अध्यायमें यह वर्णन है कि पहले राजाके न रहनेसे वली निर्धलको जलकी मछलियोंकी नाई खाने लगे, तब सब लोगोंने मिलकर नियम किया कि “जो कोई किसीसे कटु भाषण करेगा, उसे मारेगा या किसीकी स्त्रिया अथवा द्रव्यका हरण करेगा, उसे हम त्याग देंगे।” यह नियम सब लोगोंके लिये एक सा है, परन्तु जब इसका परिपालन नहीं हुआ तब सारी प्रजा ब्रह्माके पास गयी और कहने लगी कि हमारा प्रतिपालन करनेवाला कोई अधिपति हमें दो, तब ब्रह्माने मनुको आज्ञा दी। उस समय मनुने कहा— “मैं पापकर्मसे डरता हूँ। असन्मार्गसे चलनेवाले मनुष्योंपर राज्य करना पाप है।” तब लोगोंने कहा—“राष्ट्रमें जो पाप होगा, वह कर्ताको लगेगा। तू मत डर, तुझे हम पशुओंका पचासवाँ हिस्सा और अनाजका दशमाश देंगे। शस्त्र अस्त्र और वाहन लेकर हमारे मुखिया लोग तेरे साथ रहेंगे। तू सुख और आनन्दसे राज्य कर, हम अपने धर्माचरणका चौथा हिस्सा भी तुझे देंगे।” इसको स्वीकार कर मनु राज्य करने लगे। अग्नी और शत्रुको दण्ड देकर धर्मके समान उसने राज्य किया। इस कथामें

इकरार सम्बन्धी यह कल्पना की गयी है कि राजा धर्मके अनुसार प्रजापर राज्य करे तथा पापियोंको दण्ड दे और प्रजा उसे कर (लगान) दे। मुख्यतः जमीनकी पैदावारका दशमांश और पशु तथा व्यापार आदिका पचासवा हिस्सा दे। यह मान लेनेमें कोई हर्ज नहीं कि प्राचीन कालमें भारतके राजा और प्रजा दोनों इस प्रतिज्ञाके अनुसार चलने थे और राजा लोग इससे अधिक कर नहीं लेते थे।”

उपरोक्त अवतरणसे हिन्दूशास्त्रोंके अनुसार राजा और प्रजामें इकरारकी क्या कल्पना है, इस बातका ज्ञान पाठकोंको हो गया होगा। अब हम पाश्चात्य लेखकोंकी दृष्टिसे भी इस विषयपर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं।

महाभारतकी तरह कई पाश्चात्य विद्वानों और राजनीतिज्ञ महानुभावोंने भी यही प्रतिपादित किया है कि प्रजा और राजाके इकरारहीसे राज्यसंस्थाकी उत्पत्ति हुई। प्रजाने राजाओंको कर और अन्य प्रकारकी सहायता देना तथा राजाकी हुकुमत मानना स्वीकार किया, और इसके बदलेमें राजाने प्रजाकी रक्षाका इकरार किया। पाश्चात्य विद्वानोंका कथन है कि संसारकी अधिकांश राज्यक्रान्तियाँ इसी इकरार-सिद्धान्तके कारण हुईं। जहाँ प्रजाने देखा कि राजा अपने इकरारके मुताबिक कर्तव्य नहीं कर रहा है, उस राजाके प्रति प्रजाके भाव दूषित

* यह अवतरण मैंने श्रेष्ठ प० माधवराय सप्रेके हिन्दी अनुवादसे कृतज्ञता पूर्वक लिया है।

होने लगते हैं और एक समय आता है, जब येही भाव कान्तिका रूप धारण कर लेते हैं।

आधुनिक पाश्चात्य लेखकोंमें जिन्होंने इकरार-सिद्धान्तके विषयपर कुछ लिखा है, सबसे पहला लेखक रिचार्ड हुकर (Richard Hooker) है। यह इङ्ग्लैण्डका पादरी था। इसने सन १५६४ में "Ecclesiastical Policy" नामक ग्रन्थ लिखा। उसमें इसने पोपोंके धार्मिक अधिकारोंकी रक्षा करते हुए इकरार-सिद्धान्तका समर्थन किया है। इस समय इङ्ग्लैण्डके लोगोंकी मनोवृत्ति कुछ ऐसी होने लगी थी कि वे इस प्रकारका कोई सिद्धान्त बड़ी उत्सुकतासे ग्रहण कर सकते थे, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि राजाके अधिकार प्रजाकी सम्मति पर निर्भर करते हैं, राज्यसंस्थाकी उत्पत्ति प्रजाहीने द्वारा हुई। लोगोंने इस सिद्धान्तको उत्सुकतासे स्वीकार किया, इसके बाद और भी कितने ही बड़े २ पाश्चात्य राजनीतिक लेखकोंने इस विषयपर लेखनी उठायी। सुप्रसिद्ध पाश्चात्य लेखक ग्राटियस (Grotius) ने अपने विख्यात ग्रन्थ "Law of War and Peace" में, मिल्टनने अपने "Tenure of Kings and Magistrate" में, फ्यूकेन डार्फने अपने "Law of nature and of Nations" में, स्पाइन्शाने अपने "Tractatus Politics" में और इन सबसे विशेष थामस हाब्सने अपने "Leviathan" में इस इकरार-सिद्धान्तकी बड़े जोरसे पुष्टि की है। इसी समय सुप्रसिद्ध राजनीतिक लेखक लाक हुए जिन्होंने

“Two Treatises of Government” नामक अपने ग्रन्थमें इस सिद्धान्तको विवेचनात्मक पुष्टि की है। आपके एक सदी बाद सुप्रसिद्ध पाश्चात्य तन्त्रज्ञ रूसां हुए, जिन्होंने अपने “Le Contrat Social” ग्रन्थमें विशेष तौरसे इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। आपने इस ग्रन्थके द्वारा इस सिद्धान्तको अत्यन्त लोकप्रिय कर दिया।

अमेरिकामें भी वहाकी राज्यक्रान्तिके समय, यह सिद्धान्त लागोके हृदयोंपर जोरदार अधिकार जमाये हुए था। अमेरिकामें जिस समय राज्यक्रान्ति हुई, उस समय अधिकांश लोगोंका यही ख्याल था कि “इकरार ही अधिकारकी मूलभित्ति है। लोगोंकी सभ्मतिहीसे राज्यसंस्था अस्तित्वमें आयी है। किसी सरकारको यह हक नहीं है कि वह उन लोगोंसे जबरदस्ती अपनी हुक्मत मनवावे जिसको स्थापनामें उनकी सभ्मति नहीं है।” इस प्रकारके ख्याल क्रान्तिके समय अमेरिकामें फैले हुए थे। अगर यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस समय ये बातें धार्मिक सिद्धान्तोंकी तरह मानो जा रही थीं।

सोलहवीं और सत्रहवीं सदीमें इस सिद्धान्तका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा हुआ देखता है। यहातक कि इंग्लैण्डकी रानी मेरीको यह स्वीकार करना पडा था कि “राज्यशक्ति और कुछ नहीं, केवल लोग और राजाके बीचका इकरार है।” इसी बातको, इसी सिद्धान्तको जार्ज बुचाननने अपनी पुस्तक “Rights of Kings among Scots” में बड़ी प्रबलतासे पुष्ट किया है।

आगे चलकर और भी कितने ही महान् लेखकोंने इस सिद्धान्तका समर्थन करते हुए राज्य शक्तिकी खाति इकरारके इसी सिद्धान्त-पर मानी है।

इकरार-सिद्धान्तकी समालोचना

जैसा कि हम ऊपर फइ चुके हैं सोलहवीं, सत्रहवीं सदीमें इकरार-सिद्धान्त खूब लोकप्रिय हुआ। अठारहवीं सदीमें भी इसकी खूब बोलबाला हुआ। इन तीनों सदियोंमें विख्यात २ विद्वानोंने इसपर कलम उठायी। उनताकी तो घात ही क्या, पर खुद राजाओंतरुपर इस सिद्धान्तका प्रभाव पडा। पर उन्नीसवीं सदीका प्रभावशाही राजनीतिक मत इसके अनुकूल नहीं रहा। ल्यूडविग (Ludwig), जेरीमी बेन्थाम, सर हेनरी मेन, थामस हील ग्रीन, एडमण्ड बर्क, प्रो० ब्लन्डाले, सर फ्रेडरिक पात्रक, प्रो० रिच्ची (Ritchie) आदिने इस इकरार सिद्धान्तका खण्डन किया। उन्होंने इसकी निस्सारता खिललानेका प्रयत्न किया। बेन्थामने तो लिखा है कि यह सिद्धान्त बिलकुल भित्तिहीन है। इसे कोई आधार नहीं अतएव इसपर व्यर्थकी सिरखपी करना फजूल है। सर हेनरी मेनने लिखा है—राज्यकी उत्पत्तिके सम्बन्धका यह इकरार-सिद्धान्त व्यर्थ और निष्प्रभा है। इसी प्रकार अन्य महाशयोंने भी इसकी कड़ी समालोचना की है।

इन समालोचकोंने इस सिद्धान्तके खिलाफ कुछ दलीलें देकर इसकी निस्सारता प्रकट करनेका प्रयत्न किया है।

इनमेंसे कितनीहीका कथन है कि यह सिद्धान्त इतिहासके अनुकूल नहीं। इतिहासमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें यह बात हो कि अमुक अमुक राजा और प्रजामें अमुक अमुक इकरार हुआ है, और इसी इकरारपर राज्यसंस्थाकी उत्पत्ति हुई है। सुप्रसिद्ध आंग्लइतिहासज्ञ, ग्रीन, महोदयका कथन है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे देखा जावे तो यह सिद्धान्त केवल कपोल कल्पना (Fiction) है। दूसरी बात यह कही जाती है कि यह सिद्धान्त बुद्धिमें भी बराबर नहीं जमता क्योंकि जब मनुष्य बिल्कुल निसर्ग अवस्थामें था, क्या उस समय उसके दिमागमें इस प्रकारके इकरारकी कल्पना आ सकती थी। इस प्रकारके कुछ और भी कारणोंको लेकर कितने ही पाश्चात्य लेखकोंने इस इकरार-सिद्धान्त (Compact Theory) की कड़ी समालोचना की है। ग्रथके बढ़ जानैके भयसे हम इस विषयका जो कुछ थोडासा दिग्दर्शन हुआ है उसीसे सतोप मानकर इस विषयको यही समाप्त करते हैं।

राज्य उत्पत्तिका पैतृक सिद्धान्त ।

प्राचीन समाज-संगठन-विज्ञानके अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान् जे० एफ० मेकलेनन महोदयका कथन है—“राजकीय संस्थाकी उत्पत्तिके विषयमें जो पैतृक सिद्धान्त है, उसका आशय यह है कि कुटुम्बके विकासका परिणाम समाजमें परिणत हुआ है और पहले पहल एक मनुष्य, एक स्त्री और कुछ वस्त्रोंके संयोजसे

कुटुम्ब-संस्थाका आरम्भ हुआ। पहले पदल एक ही कुटुम्ब होगा। त्रिपाह आदि सन्धसे नये नये कुटुम्बोंकी उत्पत्ति होने लगी। घटते घटते ये जातीय दलोंमें, जातीय दलोंसे समाज आदिमें परिणत होने लगे। यहा यह ध्यानमें रखना चाहिये कि इस प्रारम्भिक समाज व्यवस्थामें घरका जो बडा बूढा होता था, उसीकी दृक्मनमें सब कुटुम्बके लोगोंको चलना पडता था। लोगोंके उब जानेसे जब कुटुम्ब विभक्त होते थे तब भी जो सभसे बडा आदमी होता था, सबको उसके आज्ञाधीन रहना पडता था। जब समाजका विकास होने लगा और समाजमें सुव्यवस्थाकी आवश्यकता होने लगी, तब उन्होंने इस कौटुम्बिक पद्धतिहीपर राज्यपद्धतिकी नींव डाली अर्थात् जिस प्रकार कुटुम्बमें वयोवृद्ध और विद्यावृद्ध मनुष्य कुटुम्बके सिरताज और रक्षक समझे जाते थे वैसे ही समर्थ, योग्य, प्रतापशाली और अनुभवो मनुष्यको वे अपना सरदार बना लेते थे और सब उनकी आज्ञाधीन चलते थे। इसी पद्धतिके विकाससे राजकीय संस्थाकी उत्पत्ति हुई अर्थात् इस सिद्धान्तानुसार राज्यकी उत्पत्ति पैतृकसिद्धान्तपर निर्भर करती है। यहा यह ध्यानमें रखना चाहिये कि जिन प्रकार कुटुम्बमें पुरपोंहांमेंसे मुखिया होता था, वैसे ही कुछ अन्तरको लिये हुए राज्यकी भी परिपाटी चली। बस यही पैतृकसिद्धान्तका सारांश है। इस विषयपर जहा कुछ पाश्चात्य विद्वानोंका अनुकूल मत है वहा कितनोंका प्रतिकूल भी है। जो लोग इसके प्रतिकूल हैं, उनका

कथन है कि इस सिद्धान्तकी स्थिति इतिहासपर नहीं है। उनका कथन है कि प्राचीन कालमें केवल पुरुष-प्रधान कुटुम्ब ही न थे, वरन् स्त्री-प्रधान कुटुम्ब भी थे, अर्थात् ऐसे कुटुम्ब भी थे या हैं जिनमें पुरुषके स्थानमें स्त्री कुटुम्बकी मुखिया रहती थी और स्त्रियोंके सम्बन्धसे कुटुम्ब पहचाना जाता था। इन्लिये केवल यह कहना कि पुरुष ही सदा कुटुम्बका मुखिया होता आया है और इसी कौटुम्बिक पद्धतिके विकासपर राज्य-उत्पत्ति हुई है, सर्वांशमें सत्य नहीं।

कुछ भी हो, पैतृकसिद्धान्तको अधिक पुष्टि मिल रही है और ससारके इतिहासको अत्रलोकन करनेपर या समाजसंरचना-पर विचार करनेपर पैतृकसिद्धान्तकी ही ओर अधिक ध्यान आकर्षित होता है।

शक्तिसिद्धान्त।

कई लेखक राज्य-उत्पत्तिका कारण शक्ति समझते हैं। उनका कथन है कि प्राचीन कालमें कोई शक्तिशाली मनुष्य अपनी भौतिक शक्तके बलपर उन लोगोंपर अपना अधिकार जमा लेता था, जो राजकीय रूपसे असुसंगठित (Politically unorganized) होते थे, और उनपर अपनी हुकूमत चलाता था। इस प्रकार वह अपना राज्य स्थापित कर लेता था। इसी प्रकार बहुतसे राज्योंकी उत्पत्ति हुई। सुप्रसिद्ध राजनैतिक आचार्य ह्यूम मद्दोदयने अपने "Original Contract" में लिखा

है, "राज्यकी उत्पत्ति उसी समय हुई होगी जब किसी मानव-दलके नेताने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अपने अनुयायियोंपर अधिकार जमाकर उनपर अपनी हुकूमत लादी होगी।" इस सिद्धान्तके प्रतिपादक राज्य उत्पत्ति सम्बन्धी अन्य सब सिद्धान्तोंसे इस सिद्धान्तको अधिक सत्य और महत्वपूर्ण समझते हैं। वे कहते हैं कि "यह प्रत्यक्ष बात है कि बड़े बड़े साम्राज्य, जिनका प्रताप आज सारे ससारमें छा रहा है, शक्तिके ही द्वारा अस्तित्वमें आये हैं और शक्तिपर ही उनका संगठन है। बलशलेका कथन है कि राज्यसंगठनमें शक्ति अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है और इस तत्त्वपर राज्यकी भित्ति बहुत कुछ निर्भर करती है।

विकास-सिद्धान्त।

फर्ड सुप्रख्यात लेजकोंका मत है कि राज्य-उत्पत्तिका तत्त्व विकास-सिद्धान्तपर निर्भर करता है। उनका कथन है कि "राज्य न तो ईश्वरकी दस्तकारोका नमूना है, न वह उच्चतम भौतिकशक्तिका परिणाम है, न वह कृत्रिम यन्त्र है, और न वह केवल कुटुम्बका विकासमात्र है, पर वह एक नैसर्गिक और ऐतिहासिक विकासका परिणाममात्र है।" राजनीतिके एक अत्यन्त सुप्रख्यात आचार्यका कथन है—"राज्य इतिहासका फल (Product) है, इसका अर्थ यह है कि यह मनुष्य-समाजका क्रमिक (Gradual) और सतत होनेवाला विकास है (It is the grad-

ual and Continuous development of human society) बर्गस (Burgess) महोदयका कथन है कि जब मनुष्य निरी प्रकृतिकी अवस्थामें (in a state of nature) था, तब उसमें राजकीय भावनाकी जागृति भी नहीं हुई थी, अतएव सामाजिक इकरारवादियोंका यह कथन भ्रमात्मक है कि राज्य-उत्पत्ति इकरार-सिद्धान्तपर एकाएक हो गयी। जिन लोगोंको यह बात भी मालूम नहीं थी कि राज्य किस चिडियाका नाम है, उनमें राज्यकी कल्पना आनेमें और उसका विकास होनेमें बहुत समय लगा होगा। पहले पहले यह कल्पना थोड़ेसे बुद्धिमान और समर्थ लोगोंके दिमागमें आयी होगी और फिर इसका प्रसार साधारण जनतामें हुआ होगा। बिलकुल आरम्भमें "राज्य" केवल कल्पनामें रहा होगा और पीछे क्रमशः उसका वास्तव अस्तित्व प्रकट हुआ होगा। पीछे सभ्यताके विकासके साथ साथ उसका सङ्गठन अधिक जटिल होता गया और उसे आधुनिक रूप प्राप्त हो गया।

ईश्वर सत्तात्मक राज्य ।

ईश्वरसत्तात्मक राज्य (Theocracy)का रूप प्रायः मनुष्य-जातिके बाल्यकालमें प्रचलित था। यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सबसे प्रथम राज्यसत्ताका प्रारम्भ एशिया और अफ्रीकामें हुआ। उस समय वहाँ ईश्वरसत्तात्मक राज्यहीका उद्भव हुआ।

मनुष्य-जातिके घाल्यकालमें ईश्वरीय सत्ता और प्रकृतिकी रहस्यमय शक्तियोंपर निर्भर रहनेकी अत्यधिक प्रवृत्ति थी। यहातक लोगोंका विश्वास था कि अमुक अमुक मनुष्यके द्वारा ईश्वर अपना सदेशा भेजता है। अमुक अमुक मनुष्य ईश्वरके दूत हैं। इसी प्रकार प्राचीन कालके लोग राज्यसत्ताको ईश्वरीय सत्ता मानते थे और राजाको ईश्वरका प्रतिनिधि समझते थे। हमारे हिन्दू शास्त्रोंमें भी राजाको विष्णुका अवतार कहा है।

राज्य क्या है ?

हमने पिछले अध्यायमें दिखलाया है कि राज्यकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमने दिखलाया है कि इस सम्बन्धमें हिन्दू आचार्यों-के तथा पाश्चात्य विद्वानोंके क्या मत हैं। दोनोंके विचार कहा-तक मिलते हैं और कहा जाकर दोनोंमें अन्तर दृष्टिगत होता है। इसके साथही साथ हमने यह भी दिखलाया है कि राजनीतिशास्त्र क्या है और उसका अन्य शास्त्रोंके साथ क्या सम्बन्ध है। इस अध्यायमें हम यह दिखलाना चाहते हैं कि राज्य क्या है, राज्यके सम्बन्धमें भिन्न २ आचार्योंने किस प्रकार भिन्न भिन्न व्याख्या की हैं।

सुप्रसिद्ध जर्मन लेखक शुल्स (Schulze) का कथन है कि राज्यकी व्याख्याएँ इतनी अधिक हैं कि उनकी गणना करना कठिन है। प्रत्येक लेखक अपने अपने विचारानुसार राज्यकी व्याख्या करता है। राजनीतिके सुविख्यात अंग्रेज आचार्य

हालण्ड (Holland) महोदय राज्यकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

“राज्य मनुष्य-जातिका वह विशाल समुदाय है जो भूमि (Territory)के किसी विशिष्ट हिस्सेमें बसा हुआ रहता है और जिसमें या तो अधिकांश लोगोंकी राय काम करती है अथवा कुछ खास लोग बहुमतके बटपर शासन करते हैं और उन लोगों-पर अपनी इच्छा लादते हैं जो उनका विरोध करते हैं।” हाल (Hall) महाशय राज्यकी व्याख्या हालण्ड महोदयसे कुछ भिन्न प्रकारसे करते हैं। आप केवल राज्यके स्थानोंमें स्वतन्त्र राज्यके लक्षण कथित करते हैं। आपके मतानुसार स्वतन्त्र राज्यके लक्षण ये हैं कि “जिस समुदाय (Community) से वह सङ्गठित हुआ है, उसके कोई खास राजनीतिक ध्येय रहते हैं, उसके अधिकार-में निश्चित भूमि रहती है और वह किसी बाहरी शक्तिके दबाव स्वतन्त्र रहता है।” जर्मन लेखक सिडेल (Seydel) का कथन है—“राज्यका अस्तित्व उसी समयसे आरम्भ हो जाता है जब कई मनुष्य, जिन्होंने भूमिके किसी विशिष्ट हिस्सेपर अधिकार कर लिया है, किसी उच्च शक्ति (Higher will) के नीचे जमा हो जाते हैं।” ग्रोटीयूस (Grotius) महोदय राज्यकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—“राज्य स्वतन्त्र मनुष्योंका वह साङ्गोपांग समाज है, जो शुद्ध और सर्वसाधारण उपयोगिता (Common utility) का उपयोग करनेके लिये एकत्रित हैं।” वेटेल (Vattel) इससे कुछ आगे बढ़कर कहते हैं—“राज्य मनुष्योंके

समाजका या नागरिक समाजका (Body politic) वह समुदाय है, जो अपनी शक्तियोंके समिधण (Combination of forces) में सर्वसाधारणके हित और कल्याणकी अभिलाषा करता है। राजनीतिके अत्यन्त प्रख्यात आचार्य ब्लंशले महाशय (Bluntchli) राज्यकी व्याख्या अति सक्षेपमें यों करते हैं—“किसी भूमि-विशेषके राजनीतिक सुसङ्गठित लोगोंका ही नाम राज्य है।” अमेरिकाके संयुक्तप्रान्तकी सुप्रीम कोर्टने राज्यकी व्याख्या करते हुए एक बार लिखा था—“राज्य स्वतंत्र मनुष्योंका वह समुदाय है जो सर्वसामान्य (Common) लाभके लिये सुसङ्गठित है तथा जो अपने ही पदार्थों पर अधिकार रखता हुआ दूसरोंके अधिकारोंको न्यायदृष्टिसे देखता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके सुप्रख्यात पण्डित फिलिमोर (Phillimore) महाशयका कथन है कि “राज्य लोगोंका वह समुदाय है जो स्थायी रूपसे भूमिके किसी विशिष्ट हिस्सेपर बसा हुआ है और जो समान कानून तथा समान रीतिरिवाजोंसे बद्ध होकर सुचारु रूपसे सुसङ्गठित है, और जो नियमबद्ध सरकार (Organized Government) के माध्यम (Medium) द्वारा उस भूमि विशेषमें बसनेवाले लोगोंपर तथा उस भूमि-विशेषके सब पदार्थों पर अधिकार रखता है तथा जिसे पृथ्वीके किसी देशसे युद्ध या सुलह करनेका तथा अन्य किसी प्रकारके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध जोड़नेका अधिकार है।” इसके अतिरिक्त कई लेखकोंने अन्य सब घातोंको उपेक्षा कर आध्यात्मिक और

नैतिक दृष्टिसे राज्यकी व्याख्या की है। एक फ्रेञ्च पण्डितका कहना है कि “राज्य और कुछ नहीं, केवल मनुष्य-जातिके आध्यात्मिक समुदायका दृश्य रूप है।” ससार-प्रख्यात जर्मन पण्डित हेगल (Hegel) का कथन है, “राज्य लोगोंकी इच्छाका दृश्यरूपी बाहरी सघ है।” फ्लूफिनडार्क इससे आगे बढ़कर राज्यका एक ऐसा सघ मानते हैं, जो लोगोंकी सामुदायिक इच्छा (Collective will) से सञ्चालित होता है। इटालियन पण्डित वार्नहानका कथन है कि “राज्य उस देश और लोगोंका स्वामी है जो ससारकी किसी भी अन्य शक्तिके अधिकारसे स्वतन्त्र है।”

एक सुप्रख्यात अंग्रेज लेखक राज्यकी परिभाषा यों करते हैं, “राज्य मनुष्योंका समाज है, जिसके अन्तर्गत स्वतन्त्र और समानाधिकार मनुष्योंकी बनी हुई सरकारका अस्तित्व रहता है।” अमेरिकाके भूतपूर्व प्रेसिडेंट डाकटर विलसन राज्यकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं—“राज्य लोगोंका वह समुदाय है, जिनका मूल एक है और जिनकी एक सर्वसामान्य सरकार (Common Government) है। अमेरिकाके राजनीति-विज्ञानके एक लेखक मि० गार्नर राज्यके सम्बन्धमें अपने विचार यों प्रकट करते हैं—

“राज्य शब्दसे राजनीतिक और वैधानून (Constitutional Law) की भावनाकी कल्पना आती है। राज्य बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक उन लोगोंका समुदाय है, जो भूमिके किसी खास हिस्सेपर बसे हुए हैं, जो बाहरी शासन (Control)

से मुक्त हैं और जिनके पास ऐसी सुसङ्गठित सरकार है जिसका हुकम अधिकांश लोग मानते हैं।

इस प्रकार अन्य भी कई पाश्चात्य विद्वानोंने राज्यकी व्याख्या की है। उन सबका विवेचन करनेसे एक बड़ा ग्रन्थ भर जायगा। उपरोक्त व्याख्याओंसे पाठकोंको यह मालूम हो जायगा कि पाश्चात्य राजनीतिविशारदोंके “राज्य”के सम्बन्धमें क्या क्या विचार हैं। हमने साधारण रूपसे विवेचन किया है। महायुद्धके बाद इस सम्बन्धमें जो विचार क्रान्ति हुई है, उसपर हम किसी अगले अध्यायमें लिखेंगे। हमारे हिन्दू आचार्यों ने इस सम्बन्धमें क्या विचार किया है, इसपर भी हम तुलनात्मक दृष्टिसे आगे विचार करेंगे। अभी हमने राज्यके सम्बन्धमें केवल प्रचलित और आधारभूत माने जानेवाले मतोंको ही प्रकट किया है।

कितने ही लोग ‘राज्य’ (State) और सरकार (Government) को एक समझ लेते हैं। हमें आश्चर्य है, कुछ लेखकोंने भी दोनोंको एक समझनेको भूल की है। दर असल—

राज्य और सरकारमें

बड़ा भेद है। हम तो यहातक कहनेके लिये तैयार हैं कि इन दोनोंका वास्तविक भेद समझे बिना राजनीति-विज्ञानके कई मूल और महत्त्वपूर्ण प्रश्न घिना हल हुए रह जाते हैं। इन दोनोंको एक मानना राजनीति-विज्ञानकी दृष्टिसे एक गहरी भूल करना है, जैसा कि ऊपरकी व्याख्याओंसे प्रकट है। राज्य एक

सत्ताधारी समुदाय (Sovereign Community) है, जो सर्व-सामान्य हितके लिये राजनीतिक दृष्टिसे सुसङ्गठित है और सरकार राज्यकी उस एजन्सी या सङ्गठनका नाम है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छाको प्रदर्शित करता है तथा जिसके द्वारा अपनी इच्छाकी पूर्ति करवाता है। हा, सरकार (Government) राज्य (State) का एक आवश्यक लक्षण या अंग है पर इससे यह कहना कि सरकार ही राज्य है, बड़ी भूल करना है। जिस प्रकार किसी प्राणीके मस्तिष्कको खास प्राणी नहीं कह सकते, या किसी कारपोरेशनके 'बोर्ड आफ डायरेक्टर्स' को खास कारपोरेशन नहीं कह सकते, वैसे ही सरकारको राज्य नहीं कह सकते। राज्यमें सरकारसे विशेष स्थायित्व है। सरकारमें परिवर्तन होते रहते हैं, पर इससे राज्यका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। रूसकी पुरानी सरकार—जारशाहीका अन्त हो चुका, यह नष्ट भ्रष्ट हो गयी, उसकी रक्षाओंमें बड़ा उथल पुथल हो गया, पर इससे रूसका राज्य नष्ट नहीं हुआ। वह बना हुआ है। हा, जिस मैशिनरीके द्वारा वह काम करता था वह नष्ट हो गयी और उसकी जगहपर दूसरी मैशिनरी आ गयी। इङ्गलैण्डकी सरकारमें—उसके मन्त्रिमण्डलमें प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं पर इससे इङ्गलैण्डके राज्य (State) के अस्तित्वमें कोई धक्का नहीं पहुँचता। इस प्रकारके और भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। मतलब यह है कि सरकार राज्यका एक आवश्यक अंग है। राज्य अपनी सत्ता (Sovereignty) और उच्च-

किसी सरकारको मण्डित करता है। दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि सरकार राज्यका अंग (Organ) है, जिसके द्वारा राज्यकी सत्ता या इच्छा प्रकट होती है तथा जिसके द्वारा जैसा कि हम पहले कह चुके हैं उक्त इच्छाकी पूर्ति होती है। सरकार (Government) राज्यकी शक्तियोंका सञ्चालन करती है। राजनीतिके सुप्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर सीली (Prof Seely) के शब्दोंमें राज्य व्यवस्था (Contrivances) है, जिसके द्वारा राज्यकी शक्तिया प्रकट की जाती हैं। सरकार खुद सत्ताधारी नहीं, उसके पास खुद असीम अधिकार तथा शक्तियां नहीं हैं, उसके पास जो अधिकार हैं वह राज्यसे उसके सङ्गठन द्वारा दिया हुआ है। अतएव "राज्य और सरकार" इन शब्दोंका उपयोग करते समय इन दोनोंके बीचका अन्तर अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये। नहीं तो हमसे राजनीति शास्त्रकी दृष्टिसे भूल होनेकी सम्भावना है।

राज्य और राष्ट्र

हम राज्य और सरकारका भेद पीछे दिखा चुके हैं। जिस प्रकार कुछ लोग राज्य और सरकारको एक माननेकी भूल करते हैं, वैसे ही वे राज्य और राष्ट्रको एक माननेमें करते हैं। राज्य और राष्ट्रमें सम्बन्ध होते हुए भी दोनों एक अर्थमें प्रयुक्त नहीं हो सकते। राजनीतिके आचार्य्य इन दो शब्दोंका एक अर्थमें उपयोग नहीं करते। राष्ट्र राज्य नहीं है। जहाँ राज्य कहते हैं वहाँ हमारे मनमें उस समाजका चित्र खींच जाता है, जो राजनीतिक दृष्टिसे सुसंगठित है, वहाँ राष्ट्रसे इससे कुछ भिन्न हो

कल्पनाका आविर्भाव होना है। पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार राष्ट्र अपने पूर्णरूप या अर्थमें मनुष्य-समाजका अंश है, जो अपनी भौगोलिक परिस्थिति या सोमाके कारण शेष ससारसे जुदा है, और जिसमें बसनेवालोंका जातीय मूल (Racial Origin) एक होकर जिनकी भाषा, जिनकी सभ्यता, जिनका साहित्य, जिनके रीतिरिवाज, जिनकी स्वभाव-प्रकृति एकसी है। राजनीतिके कई पाश्चात्य आचार्योंने राष्ट्रमें उपरोक्त लक्षणोंको आवश्यक बतलाया है। पर कुछ पाश्चात्य राजनीतिविशारदोंने राष्ट्र होनेके लिये इन सबकी सब बातोंकी आवश्यकता नहीं समझी है। कुछ लेखकोंने इनमेंकी कुछ बातें अलग कर दी हैं। उदाहरणके लिये राजनीतिशास्त्रके सुप्रसिद्ध आचार्य वर्गस (Burgess) राष्ट्रकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं— राष्ट्र उस लोकसमुदायका नाम है जिसकी भाषा, जिसका साहित्य, जिसका इतिहास, और जिसके रीतिरिवाज एक हैं, जो पृथ्वीके उस हिस्सेमें बसा हुआ है जिसकी भौगोलिक परिस्थिति समान है। वर्गस महोदय यह आवश्यक नहीं समझते कि एक राष्ट्रमें बसनेवाले सब लोगोंकी जातिमें भी समानता होनी चाहिये। आप भौगोलिक परिस्थितिकी समानता और भाषाकी समानताहीको अधिक महत्व देते हुए इन्हें राष्ट्रके आवश्यक लक्षण समझते हैं। सुप्रसिद्ध फ्रेड्रिक आर्न-विशारद फ्रेडियर फाडरे राष्ट्रकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं—“राष्ट्र एकही देशमें बसनेवाले उन लोगोंके समाजका सब (Union) है, जो

एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही कानूनके पाबन्द हैं तथा जिनका जातीय मूल भी एक होकर जिनके रूप रंगमें, जिनके स्वार्थ (Interest) और भावनाओंमें समानता पायी जाती है। आगे चलकर ये महाशय कहते हैं, "जातीय सादृश्य, भाषा, रीति-रिवाज और धर्मकी एकता आदि तत्त्व ही राष्ट्रको घनाते हैं।" राजनीतिशास्त्रके अत्यन्त प्रख्यात लेखक वलशले महोदय कहते हैं—"राष्ट्र भिन्न २ धन्धा करनेवाले तथा भिन्न २ सामाजिक स्थितिके ऐसे मनुष्योंका सघ है, जो समान भावना तथा समान जातिसे बद्ध हैं, और जो भाषा, सम्यता और रीतिरिवाजमें भी समान हैं।" महाशय काल्वो (Calvo) अपनी "अन्तर्राष्ट्रीय कानून" नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि, "राष्ट्रीय एकताका जन्म, जातीय समानता, तथा भाषा-सम्बन्धो समानतासे घनिष्ठ सम्बन्ध है। जातीय समानतासे मनुष्योंका पारस्परिक सम्बन्ध प्रेमपूर्ण और अधिक दृढ होता है तथा भाषाकी समानतासे लोगोंको एक ऐसा सर्वसामान्य माध्यम (Medium) उपलब्ध हो जाता है, जिसके द्वारा एक राष्ट्रके सभके सभ लोग परस्पर अपने विचारों को आसानीसे एक दूसरेपर प्रकट कर सकें।" मि० गार्नर नामक सुप्रसिद्ध अमेरिकन राजनीतिविशारदका कहना है कि भाषाकी समानता आध्यात्मिक, शैक्षिक और सामाजिक व्यवहार (Intercourse)का एक ऐसा प्रबल शस्त्र है जो जनतामें जागृति उत्पन्न कर उनकी राजनीतिक भावनाओंके विकासका मार्ग खोल देता है। कानून-शास्त्रके सुप्रख्यात यूरोपियन विद्वान गमप्लाविस

(Gumplorvicz) राष्ट्रकी परीक्षा केवल सभ्यताकी समानता (Community of civilization) से करते हैं अर्थात् आपका कहना है कि जहा लोगोंके जिसी विशिष्ट समुदायमें सभ्यताकं समानता पायी गयी कि वह समुदाय राष्ट्रमें परिणत हो जाता है इसके अतिरिक्त ये महाशय यह भी कहते हैं कि सभ्यताकी य समानता उस विशिष्ट समुदायके जातीय मूलको प्रकट करनेके साथ इतिहासकी एकताको भी प्रकट करती है अथवा दूसरे शब्दोंमें यह कह लीजिये कि भाषा तथा सभ्यताकी समानत भूतकालिक इतिहासकी समानताका फल स्वरूप हुआ करता है। आधुनिक कई राष्ट्रोंके जातीय मूल (Ethnic origin) विभिन्न तथा अस्पष्ट हैं, अतएव उपरोक्त आईनविशारदके मतानुसार यह नहीं कहा जा सकता कि वे राष्ट्रके रूपमें नहीं पहचाने जाते। इस आईनविशारदके मतानुसार जातीय मूलकी समानता राष्ट्रकी अच्छी परीक्षा नहीं है। जर्मन, इटालियन, स्पेनिश और फ्रेञ्च आदि कितने ही पाश्चात्य राष्ट्रोंमें बसनेवाले लोगोंके वशोत्पत्ति एक ही नहीं है। इन राष्ट्रोंमें कितनी ही भिन्न जातियोंके लोग बसे हुए हैं। पर इन राष्ट्रोंमेंसे प्रत्येकने धीरे-धीरे अपनी सर्वसामान्य भाषा संगठित कर ली और इन्होंने सर्वसामान्य सभ्यता (Common civilization) का विकास कर लिया और इससे ये देश राष्ट्र समझे जाने लगे।

एक समय यूरोपके कितने ही लेखकोंने यह प्रतिपादित किया था कि धर्मकी समानता राष्ट्रके अस्तित्वका एक आवश्यक अंग

लक्षण है, पर यूरोपमें ज्यों ज्यों धार्मिक स्वतन्त्रताका विकास ने लगा, त्यों त्यों इस कल्पनाकी अधोगति होने लगी और आज तो वहां यह अवसर आया है कि राष्ट्रके संगठनमें धार्मिक एकताकी कुछ भी आवश्यकता नहीं समझी जाती। वहा यह कल्पना दृढ़ सी होती जाती है कि भिन्न २ धर्मों को पालते हुए ही मनुष्य राष्ट्रके एक झण्डेके नीचे राष्ट्रीय भावनाओंसे प्रेरित होकर बड़े प्रेमसे एकट्ठे हो सकते हैं। यूरोपमें धार्मिक भावना उनतो प्रबल नहीं है, जितनी राष्ट्रीय भावना है।

उपरोक्त विवेचनले पाठकोंको यह ज्ञात हो गया होगा कि राज्य और राष्ट्र एक नहीं हैं। एक राज्य जिस प्रकार कितने ही राष्ट्रोंको तथा जातियोंको अपनेमें समाविष्ट कर सकता है वैसे ही एक राष्ट्रमें कितने ही राज्योंका समावेश हो जाता है। कभी राज्यका क्षेत्र इतना बड़ा हुआ रहता है कि उसमें कितने ही राष्ट्रोंका समावेश हो जाता है और कभी इसके विपरीत एक राष्ट्रका क्षेत्र इतना विशाल रहता है कि उसमें कितने ही राज्योंका समावेश हो जाता है। वाधुनिक सत्कारकी ओर दृष्टि डालनेसे पाठकोंको उपरोक्त बातका पता चलेगा। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि हर एक राज्य राष्ट्र नहीं है और न हर एक राष्ट्र ही राज्य है। दोनोंमें विभिन्नता है।

गत शताब्दीसे इन दोनोंमें एकता प्रस्थापित करनेकी यूरोपके राजनीतिविशारदोंकी तथा मुसदियोंकी कुछ प्रवृत्ति होने लगी है। कितने ही राजनीतिके विशारदोंने अपने ये विचार प्रकट किये

हैं कि राज्योंके पुनः सङ्गठनमें जो सीमाबन्धन किया जावे, वह राष्ट्रोंका विचार कर किया जावे। इसका मतलब यह है कि जो भूमि भौगोलिक परिस्थिति, सभ्यता, सस्कृति तथा भाषाकी समानता आदि कारणोंसे जिस राष्ट्रके अन्तर्गत आती है, उस पर उसी राष्ट्रका राज्य होना चाहिये। पाश्चात्य राजनीतिविशारदोंकी यह प्रवृत्ति राष्ट्रीयताके उस महान् तत्त्वपर निर्भर करती है, जो समान वंश, समान भाषा, समान सभ्यता, समान स्था और समान राजनीतिक धर्मोंके लोगोंको समान राजनीति सङ्गठनके अन्तर्गत लाकर उनकी इच्छाका प्रतिबिम्ब सुसङ्गठित राज्य स्थापित करना चाहता है। पर साथ ही ये विद्वान् राजनीतिज्ञ यह भी कहते हैं कि उपरोक्त तत्त्वका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्रको चाहे वह क्षुद्रसे क्षुद्र क्यों न हो पर उसे अपने आपको राज्यके रूपमें सङ्गठित करनेका पुष्टतैनी अधिकार है। वे कहते हैं कि कितने ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें न तो इतनी जनसंख्या है और न इतनी योग्यता है कि वे अपने आपको राज्यके रूपमें सङ्गठित कर सकें। कई पाश्चात्य पण्डित बड़े अतिमानके साथ इस बातको कहते हैं कि एशिया या अफ्रीका तथा दक्षिणपूर्व यूरोपकी कुछ जातियोंने अपनी इस प्रकारकी राजनीतिक योग्यताका परिचय नहीं दिया, जिससे वे राज्यको सङ्गठित कर सकें तथा चला सकें। इनकी ओर इशारा करते हुए ये लोग इस बातका प्रतिपादन करते हैं कि राजनीतिक दृष्टिसे निर्बल और अयोग्य मनुष्योंको उन राष्ट्रोंकी रक्षा या देख

रेखमें अपने आपको समर्पण कर देना चाहिये जो राजनीतिक दृष्टिसे प्रबल और योग्य हैं। कुछ लेखकोंने तो अपना पैर बहुत आगे घटा दिया है और वे निस्सङ्कोच यह घात कहने लगे हैं कि सत्सत्ताकी सम्यताको रक्षाके लिये प्रबल और योग्य राष्ट्रोंका यह कर्तव्य है कि वे पिछड़ी हुई जातियोंपर अपना राज्य प्रबन्ध लायें। मनुष्यताके विचारको ताकमें रखकर वे यह कहनेमें भी नहीं हिचके है कि आवश्यकता मालूम होनेपर प्रबल राष्ट्रोंका यह कर्तव्य है कि वे पिछड़ी हुई जातियोंसे भूमिको साफ कर सभ्य मनुष्योंके लिये उसे निवासस्थान बना दें। हम नहीं समझते कि महायुद्धने संसारको मानवी स्वाधीनता और मानवी समानताका जो सन्देशा दिया है उसमें इन लोगोंकी बातें कहांतक मान्य होंगी। यूरोपकी इस कुटिल और राक्षसी नीतिके कारण आज संसारकी जो महा भयानक दशा हो रही है और मनुष्यजातिका विशाल समुदाय अपनी स्वाधीनताके लिये दूसरोंकी स्वाधीनताको कुचलनेवाले और सभ्यताके ठेकेदार गोरोंके खिलाफ जिस प्रकार उठ रहा है, उसे देखते हुए कहना पड़ता है कि संसारमें इस महायुद्धके कारण आश्चर्यकारक राजनीतिक जागृति हो रही है और अगर इन्हीं नाशकारी तत्त्वोंपर रहकर यूरोपने बर्ताव किया तो हम दावेके साथ कह सकते हैं कि उसका भविष्य अच्छा नहीं है। उसको चाहिये कि इस प्रकारकी नाशकारी नीति और सिद्धान्तोंको बदले, अस्तु।

राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक दृढता, तथा संसारकी स्थायी शांतिके विचारसे यह बात आवश्यक मालूम होती है कि जहाँ तक सम्भव हो, वहाँ तक राज्योंके सङ्गठन तथा पुनः सङ्गठनमें राष्ट्रीयताके विशुद्ध तत्त्वका उचित सम्मान करना चाहिये। पिछला अनुभव हमें सिखलाता है और इस महायुद्धने तो हमें यह अच्छी तरह सिखला दिया है कि जब २ राष्ट्रीयताको उपेक्षा कर विजेता राष्ट्रोंने विजित देशोंको अपने आपमें घाटा, तब २ इसके परिणाम अच्छे नहीं हुए। आज संसारमें जो घोर अशान्ति छायी हुई है, उसका कारण यही है कि युद्धकी विजयसे मद्गोमत्त होकर विजेता पाश्चात्य राष्ट्रोंने अन्य कई देशोंकी राष्ट्रीयताकी उपेक्षा कर बिन बुलाये उनके स्वामी या रक्षक बन बैठे। जब तक राष्ट्रोंका सङ्गठन उनमें पसनेवाले लोगोंके “स्वनिर्णय” या राष्ट्रीयताके अनुसार नहीं किया जायगा, जब तक उनपर डाकेजनीकी नीति चलती रहेगी, जब तक उन्हें कुचलनेके नीच प्रयत्न होते रहेंगे, जब तक उनकी राष्ट्रीय तथा उनके राजनीतिक भावोंका ख्यालकर उनके अनुकूल उन्हींकी शासनपद्धति स्थापित नहीं की जायगी, तब तक संसारमें स्थायी शान्तिका स्वप्न देखना व्यर्थ है। अतएव इस समय कितने ही उदारहृदय लेखक और मुसद्दी यह बात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे स्वीकार करने लगे हैं कि संसारकी स्थायी शान्तिके लिये, संसारको भावी खून खरायीले बचानेके लिये यह आवश्यक है कि संसारके राज्योंका पुनः संगठन, राष्ट्रीयता और नैसर्गिक भौगोलिक स्थिति आदि बातोंका ख्याल रखकर किया जाये।

राज्यसम्बन्धी सावयव-सिद्धान्त

कई पाश्चात्य राजनीतिविशारदोंका कथन है कि राज्यके प्रधान गुणोंमेंसे सावयव एकता (Organic unity) भी एक है। सावयव एकता एक ऐसा शब्द है, जिसका ठीक २ अर्थ हमारे बहुतसे पाठक नहीं समझेंगे, अतएव यहाँ हम इसका खुलासा कर देना आवश्यक समझते हैं। हमारा शरीर मिला-मिला अवयवोंका एक सुसंगठित संघ है। शरीरमें जितने अवयव हैं, उन सबका एक दूसरेके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। जहाँ किसी अवयवको नोट लगी कि उसका असर शरीरके सब अवयवोंपर होता है। पैरमें काटा लग जानेसे, हाथमें सुई चुभ जानेसे हाथ और पैरको तो दुःख होता ही है, पर इनके साथ २ शरीरके सब अवयवोंपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार किसी अन्य अवयवमें चोट लगनेसे केवल उसीको दुःख नहीं होता, पर शरीरके अन्य हिस्सोंको भी, उसके साथ २ न्यूनाधिक दुःख होता है। देखा गया है कि कभी २ पैरमें जूतेके फोड़ेसे केवल पैरहीको तकलीफ नहीं होती, पर इसका सारे शरीरपर असर होकर मनुष्यको उन्नतक चढ़ जाता है। इन सब घातोंसे यह प्रकट होता है कि शरीरके सब अवयवोंमें एकता है, इन सबका आपसमें, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक अवयवके सुख दुःखका प्रभाव दूसरे अवयवपर पड़े बिना नहीं रह सकता। शरीरके इन अवयवोंकी इस घनिष्ठ एकताहीका नाम सावयव एकता (Organic unity) है।

कितने ही समाजशास्त्रवेत्ताओं तथा राजनीतिके आचार्योंने शरीरके इन अवयवोंकी एकताका मिलान समाज या राज्यरूपी शरीरके अवयवोंकी एकतासे किया है, और उन्होंने इस सम्बन्धमें एक सिद्धान्त स्थिर किया है जिसे समाज या राज्यकी सावयव-एकता (Organic Theory of the Society or State) कहते हैं। उनका कथन है कि उन लोगोंका समुदाय जो परस्पर एकता के सूत्रमें बंधे हुए नहीं हैं तथा जिनका आपसमें सम्बन्ध नहीं है, समाज या राज्य नहीं कहला सकता। इस प्रकारके विशृंखल समुदायसे समाजका शरीर-संगठन नहीं होता। इनका कहना है कि जिस प्रकार विशृङ्खल और असम्बद्ध अवयवोंसे शरीरका सङ्गठन नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्यरूपी उन अवयवोंसे समाज या राज्यका सङ्गठन नहीं हो सकता जो किसी न किसी प्रकारकी एकताके सूत्रसे बद्ध नहीं हैं तथा जिनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। शरीरके संगठनके लिये जिस प्रकार उसके भिन्न २ अवयवोंकी एकताकी आवश्यकता है, उसी प्रकार कितने ही लेखकोंके मतानुसार समाज या राज्यरूपी शरीरके संगठनके लिये उसके अवयवरूप सदस्योंकी एकताकी आवश्यकता है, पर इस विषयमें कई भिन्न २ मत हैं। समाजशास्त्र या राजनीतिके कितने ही परिद्धत इस सम्बन्धमें अद्वैतवाद (Monistic Theory) को सामने लाते हैं और कहते हैं कि सुसंगठित समाज (Organized Society) एक ऐसा समुदाय है, कि जिसमें उन लोगोंका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है जिनसे यह समाज या

समुदाय बना है या सगठित हुआ है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार-
 किसी पदार्थके परिमाणुओंका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता, उनका
 अस्तित्व उस पदार्थमें लीन हो जाता है, ठीक यही दशा समाजके
 सदस्योंकी होती है। उनका व्यक्तित्व, उनका स्वतन्त्र अस्तित्व
 विराट शरीर समाजमें लीन हो जाता है। इसके अनिरिक्त एक
 दूसरा सिद्धान्त है जिसका नाम वैयक्तिक स्वातन्त्र्य-सिद्धान्त
 'Monadistic Theory' है। यह सिद्धान्त उपरोक्त सिद्धान्तके
 विपरीत है। इसका मन्तव्य यह है कि समाज और कुल नहीं,
 वह लोगोंका या लोगोंके समुदायका एक जुट (Aggregation)
 है जिसमें कोई वास्तविक एकता नहीं रहती। हर एक मनुष्य
 दूसरे मनुष्य या मनुष्योंसे प्रायः स्वतंत्र रहता है। समाजका उसपर
 कुछ ऋण नहीं। किसी आकस्मिक समीपता (Accidental
 Uxtaposition) को छोड़कर वह अपने आसपासवालोंसे
 अलग या स्वतंत्र रहता है। इन दो सिद्धान्तोंके बीचका एक और
 सिद्धान्त है जिसे 'Dualistic conception' कहते हैं। इस
 सिद्धान्तका यह आशय है कि व्यक्तिका समाजके साथ सम्पूर्ण
 सम्बन्ध तो नहीं है पर कुछ सम्बन्ध तो अवश्य है अर्थात्
 व्यक्तिको कुछ अंशोंमें समाजके आश्रित रहना पड़ता है अर्थात्
 इस सिद्धान्तके मन्तव्यानुसार न तो व्यक्तिका अस्तित्व समाजमें
 विलीन ही है और न वह समाजसे या अपने आसपासके
 सामाजिक घातावरणसे बिलकुल जुदा या स्वतंत्र ही है।

अब हम सावयव-सिद्धान्त (Organic Theory) पर

वापस आते हैं। इस सिद्धान्तके आचार्यों ने मनुष्य शरीरके साथ समाज शरीरकी तुलना करनेका प्रयत्न किया है। इन्होंने यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि शरीरके रक्तविन्दुओं (Cells) का शरीरके साथ जो सम्बन्ध है ठीक वही सम्बन्ध मनुष्योंका समाजके साथ है।

जैलनेक (Jellinek) नामक एक विद्वानका कथन है कि राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाला यह सावयव-सिद्धान्त बहुत ही पुराना और लोकप्रिय है। सुप्रसिद्ध ग्रीकतत्त्वज्ञानी या राजनीतिशास्त्रका प्राचीन आचार्य प्लेटोने अपने 'डो रिपब्लिका' (De Republica) नामक ग्रन्थमें रिपब्लिककी तुलना एक विराट मनुष्यसे की है और बड़े जोरसे यह प्रतिपादन किया है कि सर्वोपरि सुव्यवस्थित सर्वतन्त्र शासन (Common wealth) वही है, जिसकी घनावट तत्त्वतः मनुष्य-शरीरकी घनावटसे समानता रखती है। प्लेटोने कहा है कि जिस प्रकार शरीरके सदस्यरूप किसी अवयवको चोट लग जानेसे सारे शरीरकी वेदना होती है और वह उस दुःखित अवयवके साथ सहानुभूति दिखलाता है, ठीक उसी प्रकार समाज जिन व्यक्तियोंसे बना है, उनमेंसे किसीको चोट पहुचनेसे सारे समाजको वक्का लगता है। अत्यन्त विख्यात ग्रीक पण्डित सिसरोने राज्य (State) और व्यक्तिकी तुलना की है। उन्होंने राज्यके प्रधानकी उस आत्मासे तुलना की है जो मानव-शरीरको सञ्चालित करती है। इसी प्रकार अन्य कई

लेखकोंने भी इसी प्रकारको तुलना की है। अठारहवीं सदीके बहुतसे पाश्चात्य लेखकोंने तो इस तुलनाको बड़ा महत्त्व दिया है। हा, इसके पश्चात् फ्रान्सकी राज्यक्रान्तिले इस सिद्धान्तका महत्त्व घटने लगा और इस विचारको विशेष अनुमोदन मिलने लगा कि राज्य और कुछ नहीं केवल एक कृत्रिम चीज है। इससे सावयव-सिद्धान्तको धक्का पहुँचने लगा। पर उन्नीसवीं सदीके मध्यमें फ्रान्सके तत्त्वज्ञानियोंके इस विचारके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरु हुई और इस विचारको विशेष प्रोत्साहन मिलने लगा कि राज्य एक शरीर (Organism) है। इस समय लोगोंमें इस सिद्धान्तका बहुत मोह बढने लगा। जर्मन राजनीतिविशारद ब्लशलेने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ (Theory of the State) में सावयव सिद्धान्तको बड़ी योग्यतासे पुष्ट किया है। उसने दिखलाया है कि राज्य मानवी शरीर (Human Organism) का मानों प्रतिबिम्ब है। इन दोनोंमें सादृश्य है। जिस प्रकार शरीरके सदस्य (Organs) कार्य और जीवन क्रियाएँ रहती हैं वैसे ही राज्यमें भी रहती हैं। उसने राज्यकी बनावट (Structure) और जीवनक्रिया (Life process) की मानवीय शरीरके साथ जो तुलना की है, वह अत्यन्त मनोरञ्जक है। उसने दिखलाया है कि राज्य केवल निर्जोत्र कृत्रिम मशीन नहीं है बल्कि वह एक सजीव, धीन्द्रिक तथा सेन्द्रिय पदार्थ (being) है। उसने इस बातको सिद्ध करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार तैलचित्र (Oil painting) तैलके बिन्दुओंके समुदायस कुछ

अधिक है, जिस प्रकार मनुष्य रक्तविन्दु या अस्थियोंके संमिश्रणसे कुछ अधिक है वैसे ही राज्य राष्ट्रीय लोगोंके केवल समुदायसे तथा चाहरी कायदे कानूनके संग्रहसे कुछ अधिक है।

जिस प्रकार प्राणि-शरीर (Animal organism) उसके सजीव अवयवों तथा रक्तविन्दुओं (Cells) से बना है और जिस प्रकार ये अवयव एक दूसरेपर निर्भर करते हुए अपना जुदा २ कार्य करते हैं, ठीक यही हालत राज्यरूपी शरीरकी है। यह शरीर व्यक्तिरूप अवयवोंसे बना है और इनका भी ठीक वही हाल है, जो शरीरके अवयवोंका है। शरीरके अवयवोंकी तरह ये व्यक्ति भी, जो राज्य शरीरके अवयव हैं, अपना जुदा २ काम करते रहनेपर भी एक दूसरेपर या समाजपर निर्भर करते हैं। इनका आपसमें सम्बन्ध है। क्या बनावटमें, क्या क्रियामें और क्या अन्य बातोंमें मनुष्यशरीरसे समाजशरीरकी समता है। दोनोंहीका अस्तित्व कृत्रिम साधनोंके बजाय नैसर्गिक साधनोंसे शुरू होता है। सुप्रसिद्ध फ्रेंच तरवज्ञानी रूसोने मानवीय शरीरके साथ राज्यकी जो तुलना की है, वह बड़ी मनोरञ्जक है। मनुष्यके सिरकी तुलना राज्यकी सर्वोपरि सत्तासे, मानवीय मस्तिष्ककी राज्यके कानून और रीति रिवाजोंसे, इच्छाओंकी जजों और मैजिस्ट्रेटोंसे व्यापार, खेती और उद्योगधन्धोंकी मुह और पेटसे तथा सार्वजनिक अर्थकोशकी रक्तके साथ की है। इग्लैण्डके ससारके प्रख्यात दार्शनिक विद्वान् महामति हर्बर्ट स्पेन्सरने अपने समाज-

शास्त्रके मूलतत्त्व (Principles of Sociology) में सुसंगठित समाज (Organized Society) और प्राणि-शरीरकी वही ही सुन्दर तुलना की है। उन्होंने यह दिखलाया है कि क्या प्राणि-शरीर और क्या समाज-शरीर दोनोंहीका आरम्भ पहले पहल कली (Germs)के रूपमें आरम्भ होता है। इन दोनोंपर समानरूपसे निरन्तर वृद्धिक्रिया होती है। इनके अगोंका जैसे २ विकास होता जाता है वैसे २ उनका असादृश्य बढ़ता जाता है और उनके ढीलढौल (Structure) में विशेष जटिलता आती जाती है। आप जानते हैं, सबसे क्षुद्र प्राणीकी क्या स्थिति रहती है। वह जो कुछ है सो उसका पेट, श्वास, नलिका या पसली है। इनके अतिरिक्त उसके शरीरकी बनावटमें कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार समाज, उसकी अत्यन्त शाल्यावस्थामें क्या था ? वह केवल बहादुरों, शिकारियों और 'भद्दे' औजार बनानेवालोंका समुदाय ही था। पीछे जैसे जैसे समाजका विकास होता गया और उसकी जटिलता बढ़ती गयी वैसे वैसे उसमें श्रमविभाग होने लगा। हमारा हिन्दुओंका जातिभेद इसी श्रमविभागपर निर्भर करता है। मतलब यह है कि जिन तत्त्वोंसे प्राणियोंके शरीरका विकास होता है उन्हीं तत्त्वोंके अनुसार समाजशरीरका भी विकास होता है। पर इन सब बातोंकी समानता दिखलाते हुए भी स्पेसर महोदयने प्राणि शरीर और समाज शरीरका एक तुलनात्मक भेद दिखलाया है। आपका कथन है कि प्राणि-शरीर और राज्य-

रूपी शरीरमें एक मार्केका भेद है। प्राणि-शरीरकी बनावट आपके मतानुसार सुसंगठित है अर्थात् उसके एक एक अङ्ग परस्परमें बढे गहरे सम्बन्धके साथ एक दूसरेके साथ सम्यक् हैं। इसके विपरीत समाजशरीर असम्मिश्रित है, अर्थात् उसके अंग स्वतंत्र होनेसे कम ज्यादा बिखरे हुए हैं। वे इस भेदको तात्त्विकभेद स्वीकार करते हैं। पर साथ ही साथ आप यह भी मानते हैं कि इस भेदके रहते हुए भी दोनोंकी तुलना की जा सकती है। क्योंकि आप कहते हैं कि समाजशरीर असम्मिश्रित होनेपर भी साराका सारा चैतन्यमय है। स्पेन्सर महोदयने उपरोक्त भेदके अतिरिक्त प्राणि-शरीर और समाज शरीरमें एक और भेद दिखलाया है। आपका कथन उद्देश्योंकी भिन्नता है। मनुष्य-शरीरमें उसके जुदे २ अवयवों का उद्देश अपना अपना काम करते हुए सारे शरीरकी सेवा करना रहता है अर्थात् उनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता। उनका सारा दारोमदार सारे शरीरके लाभपर निर्भर करता है। यह बात स्पेन्सर महोदयके मतानुसार समाज-शरीरके लिये लागू नहीं की जा सकती। आपके विचारानुसार समाजका अस्तित्व उमके सदस्योंके लाभके लिये है, सदस्यों या मनुष्योंका अस्तित्व समाजके लिये नहीं। समाज-शरीर और प्राणि शरीरके इसी भेदपर स्पेन्सर महोदयने अपने व्यक्तिवाद विषयक राजनीति-विज्ञानकी नींव खड़ी की है। स्पेन्सर महोदय व्यक्तित्ववाद (Individualism) के पूरे पूरे

हिमायतो थे। कितनेही विद्वानोंका कहना है कि स्पेन्सर महोदयका सावयव सिद्धान्त (Organic Theory) उनके उपरोक्त व्यक्तित्ववादके सिद्धान्तके साथ मेलजोल नहीं खाता।

इसो प्रकार (अल्बर्ट शोपडे) नामक सुप्रख्यात आस्ट्रियन विद्वान् एव कानून पण्डित (Jurist) ने प्राणि-शरीर और समाज शरीरकी तुलना करनेमें बड़ा परिश्रम और अध्ययन किया है। आपने आस्ट्रियन भाषामें ही स्ट्रुक्चर एण्ड लाइफ आफ दी सोशल बाडी The structure and life of the Social Body नामक ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थमें बड़ी ही विद्वत्ता और विस्तारके साथ ग्रन्थलेखक महोदयने प्राणि शरीर और समाज शरीरकी शरीर-शास्त्र, जीव विज्ञान और मानस-शास्त्रकी दृष्टिसे तुलना कर दोनोंमें आश्चर्यकारक सादृश्य दिखलानेका प्रयत्न किया है। आपने दिखलाया है कि समाज एक शरीर है जिसका जीवनतरव या अंग मनुष्य है। आपने इस ग्रन्थमें जिस अपूर्व विद्वत्ता और आश्चर्यकारक खोजका परिचय दिया है, वह आपके अगाध ज्ञान, अपूर्व प्रतिभा और प्रशसनीय अन्वेषण शक्तिका पता देता है। आपहीके समान पाल लालिन फ्रेड नामके रूसी समाज शास्त्रवेत्ताने इन दोनोंमें समानता दिखलानेमें अपूर्व प्रतिभा शक्ति, गम्भीर गन्तव्यशक्ति और विद्वत्ताका परिचय दिया है। आपने एक ग्रन्थ लिखा है, जिसका नाम "Thoughts Concerning the social science of the Future" है। इसके पांच बड़े २ भाग हैं।

आपने सावयव सिद्धान्तका बड़ी ही योग्यतासे समर्थन किया है। आपने इस सिद्धान्तका जिस मार्मिकतासे खुलासा किया है, वह आश्चर्यजनक है। आपने समाजके मनोविज्ञान (Social psychology) और समाज-शरीरका बड़ाही सुन्दर प्रकटीकरण कर प्राणि शरीरके साथ उसकी बड़ी ही अच्छी तुलना की है। कई बातोंमें यह स्पेन्सर और शेफले (Schaffle) से भी आगे बढ़ गया है। इसी तरह आगस्ट कोम्ट (August Comte), टार्ड (Tarde) लिटारन्यू (Letourneau), डि ग्रेट (De Great), फौले (Fowlee) और रनवर्म्स (Rene Worms) आदि फ्रेञ्च तत्त्वज्ञानियोंने तथा कुछ जर्मन दार्शनिकोंने भी सावयव-सिद्धान्तको पुष्ट और समर्थन करनेका प्रयत्न किया है। इनमेंसे फ्रेञ्च तत्त्वज्ञानी और समाजशास्त्रवेत्ता वर्म्स तो इस सिद्धान्तका सबसे अधिक हिमायती है। उसने कहा है कि समाज-शरीर और प्राणि शरीरमें आश्चर्यकारक-समानता पायी जाती है।

सावयव-सिद्धान्तकी समालोचना

यह तो हुई उन महानुभावोंकी बातें जो सावयव सिद्धान्तके जनक, पुष्टिकर्ता या हिमायती हैं। अब उन लोगोंकी बातें भी सुन लीजिये, जो इसके विरोधी हैं। इन महानुभावोंका कथन है कि प्राणि-शरीरके तत्त्वोंकी और सुसङ्गठित समाज-शरीरके तत्स्वरूप मानव प्राणियोंकी तुलना करना सर्वांशमें ठीक नहीं।

हा, इन दोनोंमें कुछ समानता जरूर है, पर वह इतनी नहीं है जिससे दोनोंकी पूरी २ तुलना की जा सके। प्राणि-शरीरमें जो रक्तबिन्दु (Cells) हैं वे केवल पुद्गल (Matter) के टुकड़े हैं, जिनका कि कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं। इनमें कोई स्वतन्त्र इच्छाशक्ति नहीं है। ये केवल सारे शरीरके जीवन्की सहायता या उत्तेजना करते हैं। अगर ये शरीरसे जुदा कर दिये जावें तो इनका कोई मूल्य नहीं। इसके विपरीत समाज-शरीरके मनुष्यरूप तत्त्वोंकी यह हालत नहीं है। इनमें स्वतन्त्र बुद्धि है, इनमें अपने निजकी इच्छाशक्ति है, इनमें दूरदृष्टि है, इनमें आत्मसयमकी शक्ति है, इनमें स्वतन्त्र जीवन और गति है, इनमें उस सारे शरीरसे (जिसके कि ये अङ्ग हैं) स्वतन्त्र आधि-भौतिक जीवन है। हर एक व्यक्ति अपनी इच्छाके अनुसार अपना जीवन ढालनेकी शक्ति रखता है। उसके कार्य समाज-के मध्यवर्ती अवयवोंसे सञ्चालित नहीं होते। इसके विपरीत प्राणि शरीरके रक्तबिन्दुमें इस प्रकारकी शक्तिया नहीं हैं। इनमें व्यक्तिके समान गुण, बुद्धि, प्रतिभा, स्वतन्त्र गति आदि नहीं हैं। इससे समाज शरीरके जीवन रूपतत्त्वोंकी प्राणि शरीरके तत्त्वोंके साथ वास्तविक तुलना नहीं हो सकती। जो कुछ तुलना हो सकती है, उसमें कृत्रिमताका भाव अधिक है। एक बात और है, वह यह है कि व्यक्ति समाजसे अलग होकर भी व्यक्ति ही रह सकता है पर यह बात प्राणि-शरीरके तत्त्वोंके लिये नहीं कही जा सकती। शरीरसे अलग होनेपर इनका अस्तित्व शरीर-तत्त्वके

रूपमें नहीं रहता। इसके अतिरिक्त वृद्धि, विकास, विनाश और मृत्युके जो नियम प्राणि-शरीरमें काम करते हैं वे राजनीतिकी दुनियामें नहीं करते। इस प्रकारकी कई बातें हैं, जिनसे प्राणि-शरीर और समाज शरीरकी तुलनाका कार्य असम्भव हो जाता है और सावयव सिद्धान्तकी कमजोरी प्रकट होती है। कई आधुनिक राजनीतिज्ञोंका तथा समाज-शास्त्रवेत्ताओंका कथन है कि इन दोनोंकी कृत्रिम बाजुओंकी तुलना कर जो फल निकालनेका प्रयत्न किया जाता है वह ठीक नहीं, क्या इससे यह सिद्ध करना है कि व्यक्तिका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है और राज्य या समाजमें वह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व भूल जावे और व्यक्तिवादका अन्त हो जावे।

राज्यके आवश्यक तत्त्व ।

लोग ।

राज्यका भौतिक शरीर जिन तत्त्वोंसे सङ्गठित होता है, उनमें सबसे प्रथम और आवश्यक तत्त्व "लोग" हैं। जो लोग राज्यमें वसते हैं, या जो लोग राज्यके सदस्य हैं, उनके दो विभाग हो सकते हैं (१) नागरिक और (२) प्रजाजन। नागरिक उन्हें कहते हैं, जिनकी राज्यके शासनमें आवाज होती है अथवा जो मताधिकार रखते हैं। प्रजाजन उन्हें कहते हैं, जिनकी राज्यशासनमें कोई आवाज नहीं होती, जिन्हें मताधिकार नहीं रहते, जो केवल हुक्मरतके पाबन्द रहते हैं। यहा यह ध्यानमें

रखना चाहिये कि हर एक नागरिक प्रजाजन होता है, पर यह आवश्यक नहीं कि हर एक प्रजाजन नागरिक हो। हर एक राज्यमें कई ऐसे विदेशी रहते हैं, जिन्हें उस राज्यमें नागरिकताके हक नहीं रहते। राज्य केवल उनकी रक्षाके लिये जिम्मेदार रहता है और इसके पदलेमें उन्हें उक्त राज्यकी हुक्मतका पाबन्द रहना पडता है।

हमें दु एके साथ कहना पडता है कि भारतवासियोंको अपनी ही इस भूमिमें उ सी ढङ्गसे रहना पडता है, जिस ढङ्गसे पाश्चात्य देशके किसी राज्यमें विदेशी रहते हैं। शासन सुधार पास होनेके पहले भारतवासियोंकी राज्यमामलोंमें कोई आनाज नहीं थी। रिफार्म ऐक्टके पास हो जानेपर भारतवासियोंको थोड़ेसे टूटेफूटे अधिकार मिले हैं, पर उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि भारतवासियोंको नागरिकताके आवश्यक अधिकार मिल गये। देशी राज्योंमें तो इससे भी गयी घीती हालत है। वहा प्रजा सदियोंसे अत्याचार सहती २ और निरकुश शासकोंकी हुक्मतको मानती मानती इतनी आत्मविस्मृत हो गयी है कि वह यह भी नहीं जानती कि नागरिकता किस चिडियाका नाम है। वह तो निरकुश शासकका हुक्म, चाहे वह न्याययुक्त हो या अन्याययुक्त हो, मानना जानती है। वहाके शासनमें प्रजा चू भी नहीं कर सकती। वह केवल निरकुश शासकोंकी भोग्य वस्तु समझी जाती है। कहनेका मतलब यह है कि अमी हमलोग प्रजाहीके रूपमें हैं, नागरिकके रूपमें नहीं। अस्तु।

प्रायः यह सवाल उठा करता है कि किसी समुदायको राज्यके रूपमें पहचाने जानेके लिये कमसे कम या ज्यादासे ज्यादा कितने लोगोंकी आवश्यकता होती है। सत्तारके इतिहासमें कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जब सब राज्योंकी लोकसंख्या या भूमि समान हो गयी हो। प्रत्येक समयमें भिन्न २ राज्योंमें लोकसंख्या या भूमिविस्तारमें न्यूनाधिक रूपसे अन्तर ही अन्तर रहा है। किसी राज्यकी लोकसंख्या या भूमिविस्तार ज्यादा है तो किसीका कम है। किसी राज्यमें करोड़ों मनुष्योंकी घस्ती है तो किसीमें लाखों या हजारोंकी ही है। वहां भी ये राज्य कहलाते हैं। अतएव राजनीति-विज्ञानके आधुनिक लेखकोंने इस बातका कहीं भी निश्चय नहीं किया है कि इतनी २ लोकसंख्या या भूमिविस्तार होनेहीपर राज्य कहा जा सकता है।

हा राजनीति-शास्त्रके कुछ प्राचीन लेखकोंने मोटे तौरसे कुछ ऐसे तर्क निश्चित किये हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि राज्यके अस्तित्वके लिये इतनी लोकसंख्या और भूमिविस्तार आवश्यक है। प्राचीन कालके कुछ लेखकोंने तो इससे भी आगे पैर बढ़ाये हैं और उन्होंने एक तरहसे यह भी निश्चित कर दिया है कि राज्यमें कमसे कम या ज्यादासे ज्यादा अगुरु २ लोकसंख्या और भूमिविस्तार निश्चितरूपसे होने चाहिये। प्राचीन समयके राजनीतिशास्त्रके सुप्रसिद्ध आचार्य परिस्ट्राटलने भी लिखा है कि किसी राज्यके सुसङ्गठनके लिये यह आवश्यक

है कि उसमें लोकसंख्या और भूमिविस्तारकी कुछ हद्द होनी चाहिये। उसने कहा है कि लोकसंख्या न तो बहुत ज्यादा होनी चाहिये और न बहुत कम ही। वह इतनी होनी चाहिये, जिससे वह स्वतः परिपूर्ण होकर अच्छी तरह शासित हो सके। सुप्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्ववेत्ता रूसो (Rousseau) ने राज्यके अस्तित्वके लिये लोकसंख्याकी कोई सीमा निर्धारित न कर यह कहा है कि राज्यके भूमिविस्तार और लोकसंख्यामें अमुरु २ अनुपात (Proportion) होना चाहिये। अर्थात् इसके कहनेके अनुसार भूमिविस्तारके मानसे लोकसंख्या होनी चाहिये। एरिस्टाटलका कथन है कि राज्यकी माप (Measurement) दो बातोंसे की जा सकती है। एक उसके भूमिविस्तारसे और दूसरी उसकी लोकसंख्यासे। इन दो मापों (Measurements) के बीच जो सम्बन्ध है, उसीसे किसी राज्यकी वास्तविक शक्ति (Dimention) जानी जा सकती है। भूमिविस्तार इतना होना चाहिये जिससे उसमें रहनेवाले लोगोंको खाने पीने और परिवारिके काफी साधन मिल सकें, और किसी भूमिपर इतने ही लोग बसने चाहिये जिनके लिये वह गुजारके साधन पैदा कर सके। इससे आगे चलकर महामति एरिस्टाटलने इस बातपर बड़ी बहस की है कि राज्यकी लोकसंख्या जितनी अधिक होगी उसमें वैयक्तिक स्वाधीनता उतनी ही कम होगी। उसने उदाहरण देकर दिखा-लाया है कि अगर किसी राज्यमें दस हजार नागरिक बसते हैं

तो प्रत्येक नागरिकका राज्यसत्तामें $\frac{1}{10000}$ वा हिस्सा रहेगा और उसी राज्यमें एक लाख नागरिकोंकी वस्ती हुई तो वह अधिकार दस हजारके स्थानमें एक लाख हिस्सोंमें बंट जायगा अर्थात् दसगुना अंतर पड़ जायगा। इन सब बातोंको सोच समझ कर एक राजनीतिज्ञने यह अनुमान निकाला है कि राज्य में लोकसंख्या इतनी होनी चाहिये, जिसमेंसे शासनका काम करनेवाले तथा शासित किये जानेवाले और राज्य सङ्गठनमें सहायता पहुँचानेवाले यथेष्ट संख्यामें निकल सकें। राज्यकी लोकसंख्याके परिवर्तनसे उसके अस्तित्व (Corporate) पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लोकसंख्याके बढ़नेके कारण या तो नैसर्गिक रहते हैं या विदेशियोंका आगमन और घटनेके कारण लोगोंका बड़ा तादात्म्यमें विदेश जाना या अन्य कारण रहते हैं। पर जबतक इस संख्यामें इतनी कमी नहीं होती, जिससे कि राज्य शकटका चलना असम्भव न हो जावे, तबतक राज्यका अस्तित्व बना रहता है।

भूमि या सीमा

भूमि-राज्यका एक आवश्यक अङ्ग है। सुप्रसिद्ध जर्मन पण्डित ब्लशले (महाशय) का कथन है कि जिस प्रकार राज्यका वैयक्तिक आधार (Personal basis) उसमें बसनेवाले लोगोंपर है वैसे ही उसका नैसर्गिक आधार उस भूमिपर है, जिसमें वे लोग रहते हैं, जो उस राज्यके सदस्य

जस्टिस वेस्टाप तथा जस्टिस्य वेस्टने भूमिअधिकारके प्रश्नपर खूब घादानुवाद करके हिन्दू-धर्मशास्त्रके आधारपर यह सिद्ध करनेका सफल प्रयत्न किया था कि हिन्दू-धर्मशास्त्रके अनुसार पहले प्रजाका ही भूमिपर अधिकार था।* प्रीवी कौन्सिलने भी जस्टिस महोदयोंकी इस घातका अनुमोदन किया था। मॉर्ट स्टुअर्ट एलफिस्टनने भी अपने इतिहासमें इस घातको मुक्त कण्ठसे स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तानके धर्मशास्त्रानुसार भूमिपर प्रजाहीका अधिकार समझा जाता था।

यह तो हुई धर्मशास्त्रकी घात। अब यह देखिये कि मुसलमानोंके धर्मशास्त्रमें इस विषयपर क्या विचार किया गया है। कुरानके व्याख्याकार "हिहाया"का मत है कि प्रजा ही जमीनका मालिक है। कर्नल हान्सजेनेडी महाशयका कथन है कि प्रायः सभी मुसलमान कानून-विशारदोंका भी यही मत था। सन् १६६८ में सम्राट औरङ्गजेबने एक घोषणापत्र निकालकर प्रजाका स्वामित्व स्वीकार किया था। सन् १७७५ में ईस्ट इण्डिया कंपनीने कलकत्तेकी कोठीके पास ३८ गावोंकी तालुकेदारी खरीदनेके लिये तत्कालीन बादशाहके पास एक प्रार्थनापत्र भेजा था। इसपर बादशाहने उत्तर दिया था कि लोगोंसे खरीद लो, मेरा भूमिपर वैयक्तिक अधिकार नहीं है। मध्ययुगमें यूरोपमें, भूमि-

* Bombay High Court Reports Appendix Vol XII
दुर्भाग्य है कि इस वक्त हिन्दुस्तानमें भूमिके मालिक राज्य या राजा ही समझे जाते हैं।

का मालिक राज्य या राजा समझा जाता था, पर आजकल यूरोपमें, मध्ययुगकी तरह, भूमिका स्वामी राज्य या राजा नहीं माना जाता। अब वहा भूमि उसकी निजी और वैयक्तिक मिल्कियत नहीं समझी जाती।

इस वक्त पाश्चात्य ससारमें कोई राज्य या राजा मध्ययुगकी तरह भूमिको घेचकर गिरवी नहीं रख सकते, मानों वह उनकी निजकी जायदाद नहीं है। आधुनिक राज्य (Modern State) अपनी अधिकारकी भूमिका स्वामी प्रजाको समझते हैं अपनेको नहीं।

अगर किसी राज्यके देशपर या देशके किसी अंशपर दूसरे राज्यका अधिकार हो जावे तोभी आधुनिक सभ्य ससारके नियमोंके अनुसार भूमिपर उन्हीं व्यक्तियोंका अधिकार रहेगा, जिनका अधिकार पहले था।

राज्यसीमाका विस्तार

कितने ही लेखकोंका मत है कि राज्यकी सीमा जितनी ही विस्तृत और विशाल होगी उसके पास आत्मरक्षाके साधन उतने ही दृढ और उसका प्रभाव उतना ही विशाल होगा। पर इस विषयमें आधुनिक राजनीतिज्ञोंका बडा मतभेद है। वे कहते हैं कि यद्यपि यह बात कुछ अंशोंमें सच है पर सर्वांशमें नहीं। यदि ऐसा होता तो जारके समयका विशाल रूसो साम्राज्य ससारमें सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी होता, पर उसे जापान जैसे

या प्रजागण हैं। जबतक लोगोंका कोई समुदाय किसी निश्चिन भूमिको नहीं प्राप्त करता, तबतक वह राज्यकी स्थापना नहीं कर सकता। जिन लोगोंकी पृथ्वीपर कोई निश्चिन भूमि नहीं है समझना चाहिये उनका कोई निश्चिन राज्य भी नहीं है। समार में अभी ऐसी कई अजनब जातियाँ हैं, जिनका कोई निश्चित चासपल नहीं है, और जा हमेशा इधर उधर घूमा करनी हैं। राजनीतिक दृष्टिसे इनका कोई महत्व नहीं। लोगोंका कोई भी समुदाय जबतक राज्यके रूपमें नहीं पहचाना जा सकता जबतक कि वह किसी निश्चित भूमिपर अपना अधिकार न कर ले। राज्यके अन्तर्गत कोई न कोई निश्चिन भूमि अग्र्य होनी चाहिये। लोग और भूमिके बिना राज्यका अस्तित्व ही नहीं हो सकता।

राज्य भूमिमें अथवा राज्यसीमामें केवल जमीनहीका अन्तर्भाव नहीं होता। उसमें वे सब नदियाँ, तालाब, नहरे आदि आ जाती हैं, जो उस राज्यकी सरहदमें होती हैं। अगर इस भूमिसे लगा हुआ कोई समुद्र हो तो उसका तीन मीलतकका क्षेत्रफल भी उसमें समाविष्ट हो जाता है। समुद्रके अधिकारके लिये राष्ट्रोंमें परस्पर क्या सम्झौता है, तथा इस महायुद्धके बाद उनमें किस प्रकार परिवर्तन हुए, इस विषयपर हम किसी अगले अध्यायमें खतन्त्ररूपसे लिखेंगे।

भूमिपर किसका अधिकार है ?

हमारे प्रचीन शास्त्रकारोंने स्पष्टरूपसे यह कहा है कि

राज्यका भूमिपर वैयक्तिक अधिकार नहीं। उसका उसपर केवल साधारण अधिकार है। महाभारतके पढ़नेसे मालूम होता है कि उस समय राज्यको यद्यपि जमीनका महसूल धान्यके रूपमें दिया जाता था, पर जमीनपर गाववालोंका ही स्वामित्व रहता था। गावाँकी सीमायें निश्चित रहती थीं और उन गावोंकी सब उपजाऊ भूमिपर उन्हीं गावोंके लोगोंका अधिकार रहता था। जमीनके अलग २ टुकड़े किये हुए थे और उनपर अलग अलग लोगोंका अधिकार था। उस समय लोग अपने अपने स्वामित्वकी भूमिका क्रय विक्रय स्वतन्त्रतासे कर सकते थे। भूमिका उस वक्त भी मूल्य था। भूमिदान बड़ा पुण्यकारक समझा जाता था। समझदार मनुष्यके लिये यह आवश्यक न माना जाता था कि वह भूमि खरीद कर दान करे। तस्मात्क्रीत्या महीं दद्यात्स्वल्पामपि विचक्षणः (अनुशासन पर्व अ० ६७ श्लोक २४)।

सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता टाड महोदयने अपने प्रख्यात ग्रन्थ "राजस्थान" में मेवाडका वर्णन करते हुए एक स्थानपर लिखा है कि वहा किसान ही भूमिके मालिक समझे जाते थे। वे भगवान मनुके "स्थाणुच्छेदस्य केदारम्" (अथात् जमीनका मालिक वही है, जो जंगल काटकर खेत तैयार करता है) के आधारपर किसानको जमीनका मालिक मानते थे। अब भी सारे राजपूतानेमें यह कहावत मशहूर है-भोगरा धनी राज हो, भोमरा धनी मा छा (अर्थात् राजा केवल करका अधिकारी है, भूमिके मालिक हम हैं)। सन् १८७५ में बंबई हाईकोर्टके चीफ

उतनी विस्तृत होनी चाहिये जिससे राज्यके मध्यवर्ती केन्द्रमें उस राज्यके अन्तर्गत दूर दूरके प्रदेशोंसे प्रतिनिधि सुभीतासे आवश्यकतानुसार जमा हो सकें। अगर राज्यका विस्तार इतना अधिक हुआ कि मध्यवर्ती केन्द्रमें उस राज्यके दूर दूर प्रदेशोंके लोग जमा न हो सकें तो इससे उस राज्यके शासनमें सबके सब लोगोंके प्रतिनिधि न आ सकेंगे और जनताका एक हिस्सा शासनमें योग्य हिस्सा लेनेसे वंचित रह जायगा। इसके विपरीत अलेक्जेंडर हैमिल्टन महोदयका कथन है कि भूमिका विशाल विस्तार लोगोंकी नैसर्गिक शक्तको घटाना है और अल्प विस्तार अन्य प्रबल राष्ट्रोंकी उस राज्यपर हमला करने तथा उसकी स्वाधीनता नष्ट करनेका मौका देता है। उनका कथन है कि जितना कम भूमिविस्तार होगा उतना ही कम उस राज्यके लोगोंको शत्रुके खिलाफ अधिक सुदृढ क्षेत्र बनानेका अपसर मिलेगा और जितना विशाल क्षेत्रफल होगा उतना ही उनको आत्मरक्षाके या शत्रुके विरोध करनेके अधिक साधन मिलेंगे। सुप्रसिद्ध जर्मन लेखक ब्लशले (Bluntschli)ने इन सब विचारोंका परीक्षण कर लिखा है कि राज्यकी शक्तिका अंशजा भूमिविस्तारसे नहीं लगाया जा सकता। फ्रांस और जर्मनीकी भूमिका क्षेत्रफल रूससे दस गुना कम है तोभी इन दोनों राष्ट्रोंकी शक्ति रूसकी अपेक्षा अधिक है। ग्रेटब्रिटनका यूरोपीय भूमि विस्तार जर्मनी और फ्रांससे कम है पर उसके अधीनस्थ राज्योंको एक तरफ रखकर भी प्रभाव और शक्तिमें ग्रेटब्रिटनकी इन दोनोंके

साथ मजेमें तुलना की जा सकती है। ग्रीककी सिटी स्टेट (City State) भूमिके विस्तारकी दृष्टिसे छोटी थी पर इतिहासमें ग्रीक राजधानी एथसका महत्व कम नहीं था। ब्लशलेके मतानुसार उस राज्यको, जिसका विस्तार विशाल है और भौगोलिक परस्थितिके कारण जिसके सबप्रदेश मिले हुए नहीं है, अपनी आत्मरक्षा करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। युद्धके समय अपने सब प्रदेशोंकी रक्षा करनेमें उसे बड़ी बड़ी दिक्कतोंका सामना करना पड़ता है।

कुछ पाश्चात्य लेखकोंका मत है कि सिटी स्टेट या अल्प विस्तारका देश सरकारके या शासनके किसी विशिष्ट रूपके लिये विशेष सुभीताजनक होता है। इसके विपरीत उस विशिष्ट रूपकी सरकारको उस राज्यका इतजाम करना कठिन होता है जिसके प्रान्त, पर्वत, नदिया आदि भौगोलिक परिस्थितिके कारण एक दूसरेसे मिले हुए नहीं हैं तथा जिनके कुछ या अधिक प्रान्त राज्यके मध्यवर्ती केन्द्रसे बहुत जुदे और दूरपर हैं। इन विचारोंके लेखकोंके मतानुसार विशुद्ध प्रजातन्त्रको अल्प विस्तारवाले तथा जुड़े हुए प्रान्तोंवाले राज्यमें अधिक सफलता होती है। मि० जैलनेक नामक लेखक कहता है, 'रिपब्लिकन सरकार अल्प विस्तारवाले राज्योंके लिये अधिक सुविधादायक होती है और विशाल विस्तारवाले राज्योंके लिये राजपतन्त्र (Monarchy) अधिक सुविधादायक होता है। हा, हालके कुछ विशाल भूमिवाले प्रजातन्त्र राज्योंने अपने प्रत्यक्ष उदाहरण-

क्षुद्र क्षेत्रफलके राज्यसे हार खानी पड़ी। जर्मन सेनाओंने रूसी सेनाओंको बुरी तरह पछाड़ा। चीन साम्राज्यकी भूमि अत्यंत विस्तृत होनेपर भी वह दुनियामें महा निर्यल राष्ट्र गिना जाता है। इन्हीं सब उदाहरणोंको सामने रखकर कितने ही राजनीतिज्ञ केवल भूमिके अधिक विस्तारको महत्व नहीं देते। हा, भूमि-विस्तारके साथ २ योग्य संगठन, जातीय एकता, भौगोलिक परिस्थितिकी श्रेष्ठता और अन्य कितने ही साधनोंको राज्यकी महत्ताके लिये आवश्यक समझते हैं।

अब यह देखना है कि राज्यके अस्तित्वके लिये कितने भूमि-विस्तारकी आवश्यकता है। आधुनिक राजनीतिज्ञोंके मतानुसार जिस प्रकार इस बातका नियम नहीं है कि अमुक राज्यमें इतनी इतनी लोकसंख्या होनी ही चाहिये वैसे ही इस बातका भी नियम नहीं है कि अमुक अमुक राज्यमें अमुक अमुक विस्तारकी भूमि होनी चाहिये। क्या प्राचीन कालमें और क्या आधुनिक कालमें भिन्न भिन्न राज्योंमें भिन्न भिन्न लोकसंख्या और भूमि-विस्तार रहते आये हैं। जहा घीस करोड मनुष्यसंख्या तथा सुविशाल भूमिक्षेत्र रखनेवाला रूस जिस प्रकार राज्य कहलाता है, वैसे ही थोड़ी सी लोकसंख्या और भूमि रखनेवाला जापान भी राज्य कहलाता है। अमुक अमुक परिमाणमें लोकसंख्या या भूमि होने हीसे राज्य बनता है यह नियम नहीं है। हा आजकलके राजनीतिज्ञ इस बातकी तो आवश्यकता समझते हैं कि भूमिकी भौगोलिक एकताका ख्यालकर राज्योंका संगठन होना चाहिये अर्थात् उनके

विचारानुसार जलवायु और नैसर्गिक परिस्थितिकी समानताका इस विषयमें जरूर ख्याल रखा जाना चाहिये। इसके साथ साथ राष्ट्रीयताकी ओर भी नजर रखनी चाहिये। इन तत्वोंको ध्यानमें रखकर जब राज्योंका नये ढंगसे संगठन किया जायगा तभी संसारमें इन पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार स्थायी शांति हो सकेगी।

यद्यपि प्राचीन और आधुनिक कालके राजनीतिज्ञोंने इस बातके नियम नहीं बनाये हैं कि राज्यके अस्तित्वके लिये अमुक अमुक परिमाणकी लोकसंख्या या अमुक अमुक विस्तारकी भूमि होनी चाहिये पर रूसो या कौटिल्य प्रभृति कितने ही राजनीतिके आचार्यों ने यह सिद्धांत अवश्य स्थिर किया है कि राज्यकी भूमि इतनी विस्तृत होनी चाहिये कि उसमें उस राज्यके लोग आसानीसे यम सकें और उसमें थपने उदरनिर्वाह या आवश्यक आरामके साधन प्राप्त कर सकें। वह इतनी विस्तृत भी नहीं होनी चाहिये जिसपर शासन करना असम्भव हो और इतनी सकुचित भी नहीं कि वहाके निवासी अपनी रक्षा आप न कर सकें। रूसोने लिखा है कि बहुत दूरके प्रदेशोंमें शासन करना कठिन हो जाता है। शासनके सुभीताके लिये और लोगोंके हितके लिये किसी राज्यमें जरूरतसे ज्यादा विस्तारकी भूमि आवश्यक नहीं। कुछ पाश्चात्य लेखकोंने इस विषयपर विचार करते हुए राज्यतन्त्र और प्रजातन्त्र राज्योंपर विचार किया है। मेडिसन नामक एक सुप्रख्यात राजनीतिविशारदका कथन है कि प्रजातन्त्रकी नैसर्गिक सीमा

भौगोलिक परिस्थितिका देशके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवनपर कुछ न कुछ अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्राचीन ग्रीसमें छोटे छोटे राज्योंका अस्तित्व था। ये राज्य पर्वतोंकी श्रेणियोंसे, समुद्रसे एक दूसरेसे अलग हो गये थे। इन्हें मिलानेका बहुत प्रयत्न किया गया पर इसमें अमफलता हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि भौगोलिक विभेद राष्ट्रीय एकतामें बाधा पहुंचाता है।

राज्यका देवी मूल

राजा देवताका अंश है, यह कल्पना समारमें अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आ रही है। वेदोंमें, स्मृतियोंमें तथा पुराणोंमें कई जगह ऐसे उल्लेख आये हैं जिनमें धर्मात्मा, प्रजाप्रिय, जितेन्द्रिय और शक्तिशाली राजाको देवताका अंश बतलाया है। महाराज मनुने लिखा है, जब प्राणीगण राजाके अभावमें डरके मारे इधर उधर चहु ओर बिखरने लगे तब ईश्वरने ससारको रक्षाके लिये राजाको उत्पन्न किया। मध्ययुगके एक सुप्रसिद्ध पाश्चात्य लेखकने लिखा है, "ईश्वरने भूमण्डलपर रहे हुए कुछ शक्तिशाली विभूतियोंपर प्रकाश डाला और प्रेरणा द्वारा ससारको उनका हुक्म माननेमें धर्म बतलाया।" सेण्ट जॉनने रोमन लोगोंको सम्योचन कर आदेश किया था, "हर एक आत्मा उच्च शक्तियोंकी आधीनता स्वीकार करे, ईश्वरके सिवा कोई शक्ति नहीं है। अगर सृष्टिकी किसी विभूतिमें शक्ति दिखलायी पड़ती है, तो

वह ईश्वरकी ही है। महाभारतमें कहा है कि "राजाको साधारण मनुष्य समझकर कोई उसका अपमान न करे क्योंकि राजा इस भूमण्डलपर मनुष्यके रूपमें देवता है। राजा जब लोगोंकी शिक्षा करता है तब वह महेन्द्र रूपमें रहता है, जब वह पापी लोगोंको दण्ड देता है तब वह यमरूपमें रहता है, जब वह पृथ्वीपर भ्रमणकर राष्ट्रका निरीक्षण करता है, तब वह सूर्य स्वरूप हो जाता है, अपकारी लोगोंका द्रव्य हरणकर जब वह दूसरोंको सम्पत्ति देता है तब वह कुबेरके रूपका हो जाता है। राजाको कभी दोष देनेके लिये तैयार नहीं होना चाहिये। मनुष्यको राज्यद्रव्यका कभी अपहरण नहीं करना चाहिये। जो ऐसा करेगा उसकी इस लोक और परलोकमें निन्दा होगी। मतलब यह कि पाश्चात्य शास्त्रोंकी तरह हिन्दू शास्त्रोंमें भी कई जगह राजाको देवताका अंश माना है। हा, हिन्दू-शास्त्रोंमें उसी राजाको देवताका अंश माना है जो सयमशोल, विद्वान, प्रजा-प्रिय और शक्तिशाली होकर विविध देवी गुणोंसे विभूषित हो। हिन्दू-शास्त्रोंमें ऐसे दिव्य गुणोंसे युक्त राजाको विष्णुका अवतार तक कहा है।

प्राचीन कालके यूरोपकी तरह मध्यकालीन यूरोपमें भी यह भावना अधिक जोर पकड़े हुए थी कि राजा देवताका अंश है। मध्ययुगमें ईसाई धर्मके जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनमें कई जगह लिखा है कि [राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि है। सन् १५३० में आगसबर्गके एक घोषणापत्रमें कहा गया था कि "स्वयं ईश्वर-

से इस धारणाको बड़ा सन्देहास्पद कर दिया है। जान स्टुअर्ट मिलका कथन है, "राज्यका विस्तार इतना नियमित होना चाहिये जिसपर कि अच्छी तरह शासन किया जा सके और एक मध्यवर्ती केन्द्रके द्वारा जिसका शासन देखा जा सके।" आगे चलकर मिल फिर कहते हैं, "ऐसे बहुतसे देश हैं जिनका विस्तार बहुत विशाल है और जिनके दूरवर्ती बहुतसे प्रान्त मध्यवर्ती केन्द्रसे अच्छी तरह शासित नहीं किये जाते हैं।" इन्हीं सब बातोंको सामने रखकर सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता मिल महोदय राज्यकी सीमाकी अत्यधिक विशालताके बदले समुचित नियमनताका अधिक पसन्द करते हैं।

भूमिविस्तारकी राक्षसी आकांक्षा

इस तत्त्वको ठीक समझते हुए भी कई आधुनिक यूरोपीय राष्ट्र अपनी बढता हुई जनताके लिये उसके जीवनकी विशेष सुभीताओं और आरामके लिये, उनकी व्यापार वृद्धिके लिये, नये नये मुल्कोंपर अधिकारकर अपने राज्यको सुविशाल बनाना ठीक समझते हैं। एशिया अफ्रीका आदि देशोंका अधिकांश भाग इसी तरह यूरोपके राष्ट्रोंने धाट लिया। वहाँके मूलनिवासियोंको कुचलकर ये उस भूमिसे स्वामी बन बैठे। अपने राष्ट्रके फायदेके लिये, अपने राष्ट्रके लोगोंके आराम और सुमोताके लिये अन्य राष्ट्रोंको कुचलकर उनपर अधिकार जमा लेना और उस राष्ट्रके मूलनिवासियोंके नैसर्गिक स्वत्वों-

का नाश कर देना, इस प्रकारकी कुटिलता यूरोपकी आधुनिक राजनीतिमें घुसी हुई है। पर इस महायुद्धके बाद नसारमें जो नयी लहर बह चली है उसने संसारभरको इनकी नीच कुटिलताका सन्देशा पहुँचाया है और आशा है भविष्यमें इनकी इस कुटिलताका बुरी तरहसे अन्त होगा, अस्तु।

भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय जीवन

किसी राज्यकी भौगोलिक स्थितिका, उसकी सीमाके रूप और आकृतिका, उसके विस्तारका उसके राष्ट्रीय जीवन और सस्थाओंपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्लेटो, परिस्टाटल, मेके हेली, वाडिन, काम्प्ट (Compte), ह्यूम आदि प्राचीन कालके कितने ही पाश्चात्य विद्वानोंने किसी राष्ट्रके चरित्र और राष्ट्रीय जीवनपर उसकी नैसर्गिक परिस्थितिका जो प्रभाव पड़ता है उसको बहुत महत्व दिया है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक बर्कलेने यहातक कह डाला है कि किसी, राष्ट्रकी भूमि, जलवायु और अन्नका उस राष्ट्रके औद्योगिक, बौद्धिक और राजनैतिक विकास पर बड़ा आश्चर्यकारक प्रभाव पड़ता है। माण्टेस्कू नामक एक तत्त्ववेत्ताने तो देशके जलवायुजनित प्रभावों और कानूनमें तथा भूमिके उपजाऊपन और सरकारके रूपमें बड़ा भारी सम्बन्ध स्थिर करनेका प्रयत्न किया है। पर इसका मत राजनीतिज्ञोंको मान्य नहीं है। वे कहते हैं कि इसमें अतिशयोक्तिकी विशेष मात्रा है।

गया। अब पाश्चात्य सत्साराके लोग क्षणभरके लिये भी यह बात मानतेके लिये तैयार नहीं हैं कि राजा देवताका अथवा ईश्वरका प्रतिनिधि है।

राज्य स्वतः अन्तिम ध्येय है

या

उसका साधन ?

राज्यके उद्देश्य बड़े ही पवित्र और दिव्य होने चाहिये, क्योंकि जनताका हितहित बहुत कुछ राज्यपर निर्भर करता है। “यथा राजा तथा प्रजा” की कहावत मशहूर ही है। हमारे हिन्दू शास्त्रकारोंने तो राज्यके उद्देश्य बहुत ही व्यापक और विस्तृत कर दिये हैं। उन्होंने स्पष्टतया कहा है कि राज्य संघल प्रजाकी इहलौकिक उन्नतिहीके लिये जिम्मेदार नहीं है, पर पारलौकिक उन्नतिके लिये भी जिम्मेदार है। महाराजा अशोकने समय समयपर जो आज्ञाएँ प्रकट की थीं उनसे हमारे कथनकी पुष्टि होती है। हिन्दू शास्त्रकारोंने राज्यके जो उद्देश्य और लक्ष्य बतलाये हैं, उनपर हम किसी स्वतन्त्र अध्यायमें विचार करेंगे। सम्प्रति हम पाश्चात्य दृष्टिहीसे इस विषयपर दो शब्द लिखना चाहते हैं।

प्राचीन ग्रीक लोगोंका राज्य-सम्बन्धी सिद्धान्त यही सूचित करता है कि ग्राहक लोग राज्यको मानवी जीवनका सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य समझते थे। वे राज्यको अन्तिम आदर्शपर पहुँचनेका

केवल साधन ही नहीं वरन् स्वयं राज्यहीको अन्तिम आदर्श मानते थे (They regarded the State an end in itself)। व्यक्तियोंको वे राज्यके अशमात्र मानते थे। व्यक्तियोंके स्वतन्त्र अस्तित्वको वे विशेष महत्त्व नहीं देते थे। वे मानते थे कि जिस प्रकार शरीरके भिन्न भिन्न अवयवोंका काम सारे शरीरकी सेवा करना रहता है, वैसे ही व्यक्तियोंका काम उनके राज्यरूपी शरीरकी सेवा करना है, अर्थात् व्यक्तियोंको अपना भिन्न अस्तित्व राज्यके अस्तित्वमें विलीन कर देना चाहिये। प्राचीन ग्रीसमें व्यक्तिगत स्वाधीनता (Individual freedom) राष्ट्रीय स्वाधीनताका अशमात्र मानी जाती थी। वहा उस वक्त राष्ट्रीय हितके खिलाफ व्यक्तिगतहित या स्वाधीनताका कोई सवाल उठता, तो उसका समर्थन या तो होता ही न था, अगर कहीं कुछ हो गया तो बहुत ही कम।

आधुनिक पाश्चात्य लेखक अधिकांशमें ग्रीक लोगोंके उक्त सिद्धान्तके खिलाफ हैं। हम यह नहीं कहते कि सबके सब ही खिलाफ हैं। हमारे कहनेका मतलब यह है कि अधिकांश पाश्चात्य लेखक अब इस सिद्धान्तके खिलाफ होते जा रहे हैं कि व्यक्तिगत हितकी बलि सम्पूर्ण रूपसे राष्ट्रीय हितके यज्ञमें कर दी जावे। आधुनिक लेखक राज्यको आदर्शपर पहुँचनेका केवल साधन मानते हैं, वे राज्यहीको आदर्श या अन्तिम लक्ष्य नहीं मानते। बहुतसे लेखक इसी बातका प्रतिपादन करते हैं कि मनुष्यके हित या विकासके लिये राज्य एक साधन है। लार्ड

ने सर्वसत्ता, कानून, सरकार और व्यवस्थाको उत्पन्न किया है।” अठारहवीं सदीतक यूरोपमें यह भावना थी कि राज्य ईश्वरीय सत्ता है और राजा दैवा स्वत्वसे राज्य करते हैं। इस सिद्धांत या भावनाका जोर फ्रान्समें अधिक था। फ्रान्समें तो राजा लोग इस बातका दावा करते थे कि हमें ईश्वरसे यह महान सत्ता प्राप्त हुई है।

सन् १८१५ में रूस, आस्ट्रिया और प्रशियाके सम्राटोंके बीच जो संधि मैत्रा हुई उसमें उन्होंने साफ तौरसे प्रकट किया था कि हमें अपने राज्यके लोगोंपर शासन करनेके लिये ईश्वरने प्रतिनिधि रूपमें भेजा है। इसी प्रकारकी भावनार्ये उस समय यूरोपके कई सम्राटोंकी थीं। अधिकांश लोग भी ऐना ही समझते थे।

इस बातकी सदीमें भी इस कल्पनाका समूल नाश नहीं हुआ था। जर्मन सम्राट् कैसरने कई बार यह बात दावेके साथ कही थी कि हम ईश्वरीय सत्तासे शासन करते हैं। रूसके आर और आस्ट्रियाके सम्राटके भी ऐमे ही विचार थे।

कई बड़े २ राजनीतिक दार्शनिकोंने (Political Philosophers) ने भी बड़े जोरके साथ राजाके दैवी अधिकारका पुष्ट करनेका प्रयत्न किया है। सत्रहवीं सदीका सुप्रसिद्ध दार्शनिक ‘बोसेट’ (Bossuet) ने अपने ‘Politics as derived from Scriptures’ में लिखा है, “ईश्वरने राजाओंको अपने सचिवोंकी हेसियतसे नियुक्त किया है। ईश्वर इनके द्वारा लोगोंपर उसी प्रकार शासन करता है, जैसे पिता यश्योंपर करते हैं।”

इंग्लैण्डके राजा जेम्सने सिहासनासौंग होनेके पहले अपने 'The true Law of a Free Monarchy' में अपना मनस्वी सिद्धान्त प्रकट किया था कि "राजा ईश्वरोप अधिकारसे राज्य करते हैं। प्रजाको उनके खिलाफ चूँ करनेतकका अधिकार नहीं। इसने अपने इस धक्कव्यको ईसाई धर्मशास्त्रोंसे और प्रकृति के नियमोंसे सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। उसने बड़े जोरसे यह लिखा है कि जिस प्रकार ईश्वरके खिलाफ उसके कार्योंके लिये खड़ा होना पाप और मूर्खता है, वैसे ही राजाके खिलाफ भी खड़ा होना पाप और मूर्खता है, क्योंकि राजा ईश्वरहीका प्रतिनिधि और प्रतिविम्ब है।

यद्यपि ग्राटियस (Grotius), हाब्स (Hobbes) और लॉक (Locke) प्रकृति पाश्चात्य विद्वानोंने राजाके दैवी अधिकार सिद्धान्तपर जोरका कुठाराघात किया था, पर इनके बाद भी यह कल्पना कुछ अंशमें विद्यमान थी। उन्नीसवीं और बीसवीं सदीमें इस कल्पनापर जोरका कुठाराघात होता रहा। लोग समझने लगे कि यह सारा मायाजाल अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये रचा गया है। यह सब बनावटी बातें हैं। इस महायुद्धने तो यूरोपमें इस कल्पनाका मानों नमूल नाश कर दिया। इसके जार जो अपने आपको सर्वसत्ताधारी और ईश्वरके खास प्रतिनिधि समझते थे, राज्यच्युत कर मार डाले गये। जर्मन सम्राट कैसर हालैण्डमें अधिकारच्युत होकर पड़े हैं। आस्ट्रियाके सम्राटका पता भी नहीं है। अब एकतन्त्रीय शासनका जमाना

मेकालेने कहा है, "प्राचीन राजनीतिज्ञोंका प्रधान दोष यह है कि वे यह नहीं मानते कि राज्य और कानूनका अस्तित्व व्यक्तियोंकी सुख समृद्धिके विकासके लिये है। सुप्रसिद्ध जर्मन लेपक प्लान्शलेका कथन है, "आधुनिक राजनीतिज्ञ राज्यको एक ऐसी सस्या या यन्त्र मानते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्तिकी जान, माल और व्यक्तिगत स्वाधीनताकी रक्षाका जिम्मा लेता है।" दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि उनके मतानुसार राज्य एक ऐसी कृत्रिम सृष्टि है जिसका दावा लोगोंकी या अधिकांश लोगोंकी सुख-समृद्धिको वृद्धिके लिये बनाया गया है। वेकनके समयसे इस सिद्धान्तकी कई लेपकों द्वारा पुष्टि होती आ रही है। जो लोग राज्यको केवल लोगोंका समुदाय समझते हैं वे इस सिद्धान्तको किसी न किसी तरह मानते ही हैं। मेरी रायमें आधुनिक और पुराने दोनों विचारोंमें सत्यज्ञा कुछ न कुछ अश है। पर इसके साथ ही साथ यह भी कहना पड़ेगा कि दोनोंने एकतरफा विचार करनेकी गलती की है, जहा एक दृष्टिसे राज्य अन्तिम लक्ष्य माना जा सकता है, वहा दूसरी दृष्टिसे वह अन्तिम लक्ष्यपर पहुचनेका साधनमात्र भी माना जा सकता है। इसका स्पष्टीकरण करनेके लिये हम यहा एक दो उदाहरण देते हैं। मान लीजिये एक चित्रकार है जिसकी जीविका चित्र निकालनेसे चलती है और एक दूसरा आदमी है जो इन चित्रोंको बूचेकर आर्थिक लाभ उठाता है। यहा यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि किसी न

किसी रूपमें दोनों ही उन चित्रोंसे आर्थिक लाभ उठाते हैं। पर पहला मनुष्य जो कि चित्रकार है, चित्रको किस निगाहसे देखता है? वह तो यह देखता है कि चित्रमें मेरे आदर्शों के, मेरे मनो-गत विचारोंके भाव ठीक ठीक उतरे हैं या नहीं। वह अपने लाभके विचारको इन ऊँची भावनाओंमें भुला देता है। उसके लिये चित्र खुद आदर्श हो जाता है, और दूसरा मनुष्य केवल उसे धन कमानेका साधनमात्र समझता है। मतलब यह कि जहा पहले मनुष्यके लिये अर्थात् चित्रकारके लिये स्वतः चित्र ही आदर्श है, वहा दूसरे मनुष्यके लिये वह लाभप्राप्तिका केवल साधनमात्र है। अब दूसरा उदाहरण लीजिये। विवाह पतिपत्नीकी व्यक्तिगत आवश्यकताओंकी पूर्तिका साधन है, यह दोनोंके लिये सुखी जीवनका मार्ग खोल देता है। यह तो हुई एक दृष्टिकी बात, अब दूसरी दृष्टिसे विचार कीजिये। विवाह स्त्री-पुरुषका संयोग है। इसी संयोगपर कुटुम्बकी नींव पडती है। कुटुम्ब क्या है? एक ज्ञानदानके लोगोंका सामुदायिक सघ है जिसके लिये उसके सदस्यरूप प्रत्येक व्यक्तिको अपने बहुत कुछ वैयक्तिक स्वार्थ और हितकी बलि देनी पडती है। मतलब यह कि विवाह और कुटुम्बका जो उच्च ध्येय है, उसमें व्यक्ति अपने वैयक्तिक स्वार्थको लीन कर देनेके लिये तैयार हो जाता है।

यही बात राज्यके लिये भी लागू हो सकती है। एक दृष्टिसे वह उन लोगोंके लाभका एक साधन है जो उस राज्यके सदस्य हैं और दूसरी दृष्टिसे राज्य स्वतः ही अन्तिम आदर्श है जिसकी

सेवा करनेके लिये व्यक्ति उसी प्रकारसे बाध्य है जैसे सारे शरीरकी सेवा करनेके लिये शरीरके अवयवरूप व्यक्ति बाध्य है।

१ राज्यके आदर्श

अतक हमने राज्य स्वतः अन्तिम लक्ष्य है, या वह लक्ष्यपर पहुचानेका साधनमात्र है, इस विषयपर विचार किया है। हमने प्राचीन और अर्वाचीन दोनों दृष्टियोंसे इस विषयपर प्रकाश डालनेकी चेष्टा की है। अब हम यह दिखलाना चाहते हैं कि राज्यके ध्येय क्या है या क्या होने चाहिये। सुप्रसिद्ध जर्मन लेखक हालजेनडार्फ (Holtzendorff) अपने "Principien der—Politik" ग्रन्थमें राज्यके ध्येयोंको दो भागोंमें विभक्त करता है। वे ये हैं (१) राज्यके वास्तविक ध्येय (Real ends) और (२) राज्यके आदर्श ध्येय (Ideal ends)। उसके कथनानुसार राज्यके वास्तविक ध्येय ये हैं कि राज्य अपनी राष्ट्रीय शक्तिको बढ़ावे, वैयक्तिक स्वाधीनताकी रक्षा करे, सामाजिक सुधार एवं मानवी सभ्यताका विकास करे अर्थात् हालजेनडार्फके मतानुसार राष्ट्रीय शक्ति, वैयक्तिक स्वाधीनता और मनुष्य-जातिकी सभ्यताकी अभिवृद्धि ही राज्यका वास्तविक ध्येय है। वनमोहल (Von-Mohal) नामक एक सुप्रख्यात जर्मन लेखकके मतानुसार राज्यका ध्येय यह है कि वह लोगोंकी उच्चतम शक्तियोंका विकास करे। वर्ग्स नामक एक दूसरा राजनीतिक सुप्रसिद्ध लेखक राज्यके उद्देश या ध्येयोंको तीन भागोंमें विभाजित करता है। (१) प्रारम्भिक ध्येय (२) माध्य-



मिक ध्येय (३) अन्तिम ध्येय । सबसे पहले उसने अन्तिम ध्येयपर विचार किया है । उसका कथन है कि मनुष्य-जातिकी पूर्णता (Perfection of humanity), संसारकी सभ्यताका विकास और इस भूमण्डलपर धर्म (Virtue) और नीति (Morality) के साम्राज्यकी स्थापना ही राज्यके अन्तिम ध्येय होने चाहिये । राष्ट्रीयताके तत्त्वकी पूर्णता और राष्ट्रीय प्रतिभा (National genius) तथा राष्ट्रीय जीवनका विकास राज्यका माध्यमिक ध्येय होना चाहिये । व्यवस्था और स्वाधीनताकी स्थापना उसका पहला ध्येय होना चाहिये । बर्गस महोदय कहते हैं कि इनकी सिद्धिके लिये सबसे पहले ऐसी 'सरकार और स्वाधीनताका इस प्रकार सङ्गठन किया जाना चाहिये जो यथासंभव व्यक्तिकी सर्वोच्च स्वाधीनताके अनुकूल हो । दूसरी बात यह कि भिन्न २ राष्ट्रोंकी प्रतिभाका विकास किया जावे और उसे पूर्णतापर पहुँचानेका प्रयत्न किया जावे । राजनीतिके प्रसिद्ध आचार्य लाक महोदयका कथन है, राज्यका उद्देश या ध्येय मनुष्य-जातिकी भलाई करना है । प्रोफेसर रिचो (Ritchie) महोदय मनुष्यजातिके सर्वोत्कृष्ट जीवनके आविष्करणको राज्य का प्रधान उद्देश समझते हैं । एक आधुनिक फ्रेञ्च विद्वान्का कथन है, "सबसे पहले राज्यका यह कर्त्तव्य है कि वह बाहरी शत्रुओं से राष्ट्रीय स्वाधीनताकी रक्षा करे, भीतर सुख, शांति और सुव्यवस्था रखे । इसके पश्चात् राष्ट्रीय जीवनके विकास करनेका प्रयत्न करे अर्थात् राष्ट्रकी प्रगति करे" । लेबले (Laboulaye)

नामक एक दूसरे फ्रेञ्च राजनीतिज्ञका मत है, "राज्यका कर्त्तव्य यह है कि वह प्रत्येक व्यक्तिके लिये उसके पूर्ण विकासका, मार्ग खोल दे, वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे मनुष्यकी शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शक्तिका पूर्ण विकास हो, विकासके मार्गमें आनेवाली बाधाओंको घट हटा दे, गरीबसे गरीब और अज्ञानीसे अज्ञानी मनुष्यके द्वारपर ज्ञान और शिक्षाका प्रकाशकर सर्वसाधारणको उन्नतिके पथपर आगे बढ़ावे।' अमेरिकाके विख्यात उल्लेखक गार्नर महोदय इन सब बातोंका विश्लेषणकर यह सार निकालते हैं, "राज्यका वास्तविक, प्रारम्भिक और तत्कालिक ध्येय यह है कि वह शांति, व्यवस्था, हिफाजत और न्यायकी व्यवस्था करे। इसमें कानूनका राज्य स्थापित करनेकी यात भी आ गयी है, जिससे वैयक्तिक स्वत्वोंकी रक्षा की जा सके, कोई मनुष्य, कोई समाज, या कोई सरकार दूसरेकी वैयक्तिक स्वाधीनतामें बाधा न डाल सके। यदि राज्य इन उद्देशोंको, इन ध्येयोंको, पूर्ण करनेमें असफल होता है, तो समझना चाहिये कि उसका अस्तित्व न्याय-युक्त नहीं है। वह अन्य बातोंकी कुछ अंशोंमें उपेक्षा कर सकता है पर इन अत्यन्त आवश्यक बातोंकी नहीं कर सकता। राज्यको वैयक्तिक तथा सामाजिक हित और आवश्यकताओंपर अवश्य नजर रखना चाहिये। उसे ऐसे कार्य करने चाहिये जो लोगोंके हितके लिये आवश्यक हों।

इन सब प्रारम्भिक और मूल कर्त्तव्योंके सिवा राज्यका अन्तिम कर्त्तव्य और सर्वोत्तम ध्येय मनुष्य-जातिकी सम्यता और

संस्कृतिका विकास करना है। प्रातःस्मरणीय श्री अरविंद घोषने अपने एक व्याख्यानमें कहा था, “भारतीय स्वराज्यका आदर्श महान, पवित्र और दिव्य है। वह अपनी क्षुद्र आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये, अपने हीनतम स्वार्थोंकी सिद्धिके लिये अपना राज्य स्थापित करना नहीं चाहता। उसके सामने महान आदर्श है। वह अपने साथ सारी मनुष्यजातिको उठाना चाहता है। वह सारी मनुष्यजातिके सामने अपना दिव्य आध्यात्मिक संदेशा रखना चाहता है। वह मनुष्य जातिमें रहे हुए उस अलौकिक तत्त्वका आविष्करणकर संसारमें अपूर्व सुख और दिव्यताका प्रकाश फैलाना चाहता है। भारतीय-स्वराज्यके सामने यही दिव्य उद्देश्य होने चाहिये।” कविधर रवीन्द्रनाथने भी इसी प्रकारके दिव्य विचार प्रकट किये हैं।

२ विश्वव्यापी राज्य ।

जिन लोगोंने मानव-प्रकृतिका अन्वेषणापूर्वक पर्यवेक्षण किया है, वे जानते हैं कि, उसकी स्वाभाविक प्रकृति एकताकी ओर रहती है, सृष्टिमें जो अनेक विभिन्नतायें तथा विविधतायें दीखती हैं, उनमें वह एकताका दर्शन करनेके लिये स्वभावहीन प्रवृत्त होती है, संसारमें अनेक विविधताओंसे घिरी रहनेपर भी वह अपना आदर्श “एकता” रखती है, संसारमें अनेक प्रकारके मत मतान्तर हैं, पर सब अन्तमें एक ही लक्ष्यपर आकर खिल हो जाते हैं, विभिन्नतासे निकलकर एकताकी ओर पहुँचनेके लिये सारा संसार प्रयत्न करता है, विज्ञान भी इसी बातकी

खोज करता है कि प्रकृतिके भिन्न भिन्न नियमोंमें एकताका एक सर्वसामान्य तत्त्व निष्काला जावे, और इसमें उसे कुछ सफलता भी हुई है। जितने दार्शनिक, जितने विज्ञानी तथा जितने उच्च कवि हैं, सब ही “एकता” की ओर दौड़ते हैं। यह प्रवृत्ति आजसे नहीं, सृष्टिके आरम्भकालसे चली आ रही है। “सर्व खल्विदं ब्रह्म” का तत्त्व इसी एकताका घोटक है, विज्ञान बड़े परिश्रमके बाद अन्तमें एक तत्व इलेक्ट्रनकी ओर पहुँचा है, ससारमें जितने धर्म हैं, सब ही एक सर्वसामान्य, सर्वव्यापी तत्त्वकी खोज कर रहे हैं। घात यह है कि मनुष्यकी प्रकृतिको तबतक असली शान्ति नहीं मिलती जबतक कि वह एकताके दर्शन नहीं करती। बड़े २ दार्शनिकोंने लिखा है कि शान्ति एकतामें है।

देखते हैं कि राजनीतिक ससारमें भी हजारों वर्षों से इस एकताके स्थापित करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। ससारके कई भूतकालीन महानुभावोंने इसे स्थापित करनेका प्रयत्न किया था, और अब भी कई महानुभाव ससारकी स्थायी शान्तिके लिये मनुष्य-जातिकी भयङ्कर युद्धों और खूनखराबीसे रक्षा करनेके लिये राजनीतिक एकताकी अत्यन्त आवश्यकता समझते हैं। ससारमें इस वक्त जिस अपूर्व मानसिक क्रान्तिकी तैयारी हो रही है वह इसी एकताके स्थापित करनेके हेतु ही रही है। इस वक्त ससारके बड़े २ प्रतिभाशाली मस्तिष्क इसी संसार-व्यापी राजनीतिक एकताको चिरस्थायीरूपसे प्रस्थापित करनेके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। इस अध्यायमें जिस विषयकी चर्चा की

जायगी, वह इस राजनीतिक एकताका महासाधन होगा। वह विषय है—

सार्वभौमिक राज्य।

सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक एरिस्टाटलका कथन है कि मनुष्य स्वभावहीसे राजनीतिक प्राणी (Political animal) है, वह किसी राष्ट्रीय विभिन्नता अथवा विशेषताके कारण राज्य नहीं चाहता। मनुष्यकी स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी है कि बिना राज्यके उसका काम ही नहीं चल सकता। मनुष्य-समाजके लिये राज्यका अस्तित्व आवश्यक है। कई उदार राजनीतिके दार्शनिकोंका कथन है कि क्या सृष्टिके भिन्न २ राज्योंमें एकताका सर्व-सामान्य सूत्र प्रथित नहीं किया जा सकता। मनुष्य-जाति उसके समष्टिरूपमें एकतामय है। वह किसी न किसी प्रकारकी सर्व-सामान्य भावनासे प्रेरित होती है। ऐसी दशामें क्या सारी मनुष्य-जातिके लिये एक सर्व-सामान्य राज्यका आदर्श असङ्गत है ?

इसमें शक नहीं कि इस वक्त संसारमें कई ऐसे राज्य हैं, जो राष्ट्रीय हैं, जो अपने राष्ट्रमें एकता रखनेका यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं, पर राजनीतिके उदार दार्शनिकोंको इनसे सतोष नहीं होता। वे समझते हैं कि राज्यकी सर्वोत्तम और सर्वोच्च कल्पनाकी सिद्धि इन राज्योंसे नहीं होती। उनके विचारानुसार एक सार्वभौमिक राज्य ऐसा होना चाहिये जो अतिल मनुष्य-जातिका दृश्य शरीर हो। इन महानुभावोंके विचारानुसार सार्व-भौमिक राज्यही मानवी प्रगनिका आदर्श है।

इतिहासकी देखनेसे पता चलता है कि पूर्वकाल तथा मध्य-कालमें भी सार्वभौमिक राज्य स्थापित करनेके असफल प्रयत्न हो चुके हैं। इनमें किसीकी सफलता नहीं हुई। पर इससे यह न मान लेना चाहिये कि आगे भी सफलता न होगी। ससार विकास-मय है, मनुष्य-जातिके दिव्यगुणोंका ज्यों ज्यों विकास होता जायगा त्यों त्यों इस महान राजनीतिक आदर्शकी सफलता में विशेष सहायता मिलती जायगी। इसके लिये पहले जो प्रयत्न हुए, वे नष्ट याहरी थे, इससे सफलता नहीं हुई। याहरी कृत्रिम साधनोंसे इस महान पद्धताका स्थापित होना असम्भव है, इसके लिये मनुष्य-जातिके अन्तःकरणकी पद्धताकी आवश्यकता है। जबतक मनुष्य जातिमें “अय निज परोवेत्ति गणना लघु चेत-नाम्, उदार चरितानातु चसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना दृढ न होगी, जबतक मनुष्य जाति आत्मैक्यका दिव्यअनुभव नहीं करने लगेगी, जबतक वह आत्मसृष्टिमें एकताका अनुभव न करने लगेगी तबतक इस राजनीतिक विश्वव्यापी पद्धताका—सार्वभौमिक राज्यका—सफलताके साथ स्थापित होना असम्भव है। अगर कोई प्रयत्न राष्ट्र अपनी स्वार्थ सिद्धिके लिये किसी सार्वभौमिक सत्ता या राष्ट्रसंघकी स्थापनाकर ससारमें शान्ति-स्थापन करना चाहे, तो यह त्रिकालमें सम्भव नहीं। ससारव्यापी शान्ति बाह्य साधनोंसे नहीं आन्तरिक साधनोंसे स्थापित हो सकती है। जडवादके पायेपर, बाहरी शक्तिके बलपर “सार्वभौमिक राज्य” स्थापित किया जायगा, तो वह कमी चिरंजीवी

नहीं हो सकता। वह जन्महीसे रुग्ण होकर अत्यन्त बल्पायुमें ही मृत्युकी शय्यापर जा लेटेगा। इसलिये कविवर रवीन्द्रनाथ और प्रातःस्मरणीय अरविन्द घोषने संसारव्यापी एकताका, सार्वभौमिक सत्ताकी सफलताके लिये मनुष्य-जातिके आत्मिकत्वकी सबसे बड़ी आवश्यकता बतलायी है। अबतक इस विषयमें जो प्रयत्न हुए, उनकी असफलताका कारण यह था कि उनमें आत्मिक भाव नहीं था, उनकी नीच जड़-शक्तिपर पड़ी हुई थी।

अत्यन्त उच्च, पवित्र और दिव्य आदर्शों को रखते हुए आत्मिकभावपर अगर कोई ऐसी सार्वभौमिक सत्ता, जिसमें सारी मनुष्य-जातिके प्रतिनिधि हों, जिसमें सारी मनुष्य-जातिकी कल्याणकामना हो, जिसमें मनुष्यजातिके लौकिक और आत्मिक विकासके ध्येय समाविष्ट हों, स्थापित हो तो उससे संसारक वास्तविक कल्याण हो सकता है और वह सफलतापूर्वक बिर कालतक जीवित, रह सकती है।

३ राज्यके भिन्न भिन्न रूप ।

सुप्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञानी एरिस्टाटलने राज्यके रूपोंका विभक्तीकरण किया था। थोड़ेसे मतभेदके साथ आपका यह विभक्तीकरण आज भी कई राजनीतिके परिण्डतोंको मान्य है। राजनीतिक संसारमें बहुत प्रगति हो जानेके कारण, इस वक्त एरिस्टाटलके विभक्तीकरण (Division)से जैसा चाहिये, वैसा काम नहीं चलता, पर फिर भी तरवत यह अब भी मान्य

हो रहा है। एरिस्टाटलने राज्यके प्रधानतया तीन रूप बतलाये हैं। (१) राजतन्त्र (Monarchy) (२) कुलीनतन्त्र (Aristocracy) और (३) प्रजातन्त्र (Democracy)। आज भी प्रधानतासे राज्यके ये तीन ही रूप माने जाते हैं। कितने ही विभाग जो आजकल किये जाते हैं, किसी न किसी तरह इन तीनोंके अन्तर्गत आ जाते हैं। पहले हम इन तीनों पद्धतियोंका अलग २ विचारकर फिर हम इनके अन्तर्गत आनेवाली अन्य राज्य पद्धतियोंका भी विचार करनेका प्रयत्न करेंगे।

राजतन्त्र ।

राजतन्त्र (Monarchy) उस शासनप्रणालीका नाम है, जिसमें किसी एक उच्चतम सत्ताकी प्रेरणासे राज्यका कारोबार चलता हो। इसे हम सीधे सादे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि जहाँ एक राजाका राज्य हो, जहाँ राजाके हाथमें राज्यकी सब विधि द्वारा मर्यादित शक्तियाँ और अधिकार हों, वहाँके शासनको राजतन्त्र कहते हैं। महामति एरिस्टाटलका कथन है—“वह राज्य राजतन्त्रीय कहलाता है, जहाँ एक आदमी सर्वसाधारणके हितके लिये राज्य करना है। अमेरिकाके सुप्रसिद्ध लेखक मि० चार्नरका कथन है “जहाँ शासनकी ऊँची सत्ता किसी एक व्यक्तिमें केन्द्रीभूत हुई हो, चाहे फिर उसके अधीनस्थ शासनका कुदकल काम करनेवाले कितने ही व्यक्ति क्यों न हों, वहाँके शासनको राजतन्त्र कहते हैं।”

राजतन्त्रके प्रधानतासे दो भेद किये जा सकते हैं। सब-

सत्ताधारी राजतन्त्र (Absolute monarchy) और वैध राजतन्त्र (Constitutional monarchy)। सर्वसत्ताधारी राजतन्त्र उसे कहते हैं जहाँ “राजा करे सो न्याय और पासा पड़े सो दाव” की कहावत चरितार्थ होती है, जहाँ राजाका हुक्म ईश्वरीय आज्ञाके तुल्य समझा जाता है, जहाँ राजाके अधिकारमें किसीको घुं करनेतकका अधिकार नहीं, जहाँ राजा ही सब कुछ है, प्रजाके मतका या भावोंका आदर करना या न करना, यह राजाके मर्जीकी बात है। रूसका जार तथा भारतके अधिकांश देशी राजा इस श्रेणीमें आते हैं। हमारी रायमें सर्वसत्ताधारी राजतन्त्रके भी दो उपविभाग हो सकते हैं। यथा आदर्श सर्वसत्ताधारी और खेच्छाचारी या अत्याचारी सर्वसत्ताधारी राजतन्त्र। आदर्श या प्रजाप्रेमी सर्वसत्ताधारी राजा उन्हें कहते हैं जिनके हाथमें यद्यपि सर्वसत्ता रहती है, पर वे अपनी खुशीसे प्रजामतका बड़ा आदर करते हैं, प्रजाको पुत्रवत् समझते हुए उसीके हितमें अपना हित समझते हैं। प्रजाकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वीद्विक और आध्यात्मिक उन्नतिको अपना प्रधान ध्येय मानते हैं। इस प्रकारके उच्चातिउच्च और दिव्य राजाओंमें हम श्रीरामचन्द्रका नाम सबसे पहले रखेंगे, जिन्होंने प्रजामतके आदर करनेका तथा प्रजाहितका सर्वोत्तम आदर्श दिखलाया। इस श्रेणीके और भी कई आदर्श राजाओंके उल्लेख हमारे शास्त्रोंमें मिलते हैं। आधुनिक कालमें यद्यपि “राम”, जैसे दिव्य राजा दिखायी नहीं देते हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे राजा हैं जो प्रजामतका

आदर करते हैं और प्रजाका कल्याण करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। किसी अंशमें महाराजा बड़ौदा, मैसूर, द्राचनकोर, इन्दौर, झालरापाटन आदिके नृपतियोंको इस श्रेणीमें ले सकते हैं। दूसरी श्रेणीमें अत्याचारी और स्वेच्छाचारी सर्वसत्ताधारी राजा आते हैं। ये प्रजामतकी कुछ परवा नहीं करते। राज्यको अपनी घणीती मानते हैं। ये अपने आपको देवताका अश या विष्णुका अवतार समझते हैं। प्रजामतकी अवहेलना कर चाहे सो कर डालते हैं। ये समझते हैं कि ईश्वरने हमें शासन करने हीके लिये सृजा है। मतलब यह कि ये पूरे तौरसे स्वेच्छाचारी होते हैं। रूसके मृत जारकी गणना ऐसे स्वेच्छाचारियोंमें थी। भारतवर्षके अधिकांश राजा महाराजा विशेष कर राजपूतानेके राजा इस श्रेणीमें आने योग्य हैं।

अब वैध राजतन्त्र (Constitutional monarchy) को लीजिये। वैध राजतन्त्र उसे कहते हैं जिसमें राजाकी शक्तिया देशकी किसी विधि (Constitution) से या प्रजामतसे मर्यादित हों। इङ्ग्लैण्डके आधुनिक राजा सम्राट पञ्चम जार्ज इस श्रेणीमें आते हैं। यद्यपि वे राजराजेश्वर हैं, पर उनके अधिकार देशकी विधि (Constitution) से मर्यादित हैं। वे बिल्कुल स्वेच्छाचारी नहीं हैं। पार्लियामेण्टसे उनके अधिकार नियमित हैं। वे भारतीय राजाओंकी तरह मनमानी नहीं कर सकते। यूरोपके अन्य कितने ही राजाओंकी शक्तियां या अधिकार कुछ न्यूनाधिक रूपसे, इसी प्रकार देशकी विधिसे नियमित हैं।

यह तो हुए शासनकी दृष्टिसे राजतन्त्र (Monarchy) के भेद । अब दूसरी तरहके भेदोंपर विचार कीजिये । राजा के तरहके होते हैं, एक वे जो पुश्तैनी राजा होते हैं, दूसरे वे जो लोगोंके द्वारा चुने जाते हैं । हिन्दुस्तानके प्राचीन इतिहाससे देखनेसे पता चलता है कि प्राचीन हिन्दुस्तानमें कई जगह राजा चुने जाते थे । वेदोंमें भी राजाके चुने जानेके उल्लेख मिलते हैं । बौद्ध ग्रन्थोंमें तो इस प्रकारके कई उल्लेख मिलते हैं । कहा जाता है कि प्राचीन कालमें रोममें भी राजा लोग चुने जाते थे । पोलैण्डके इतिहासमें भी राजाओंके चुने जानेके कई उल्लेख हैं । पवित्र रोमन साम्राज्यका प्रधान (Head) भी चुना गया था । सन् १७७८में बर्लिनकी सुलहके अनुसार बल्गेरियाके राजाने भी चुनावके द्वारा राजगद्दी प्राप्त की थी । पर इस वक्त ससारके प्रायः सब राजा पुश्तैनी हैं; अर्थात् परम्परासे उनका परिवार राज्य करता आ रहा है ।

अब साधारण रूपसे यह देखना है कि राजतन्त्रमें क्या गुण और दोष हैं । प्रत्येक बातका विचार करते समय यह आवश्यक है कि उसकी दोनों बाजुयें दिखलायी जावें । अतएव हम यह राजतन्त्रके गुण और दोषोंकी समालोचना करना चाहते हैं । यह कहनेको तो आवश्यकता नहीं कि राजतन्त्र शासनप्रणाली संसारमें अत्यन्त प्राचीन है । संसारमें इसका कबसे प्रादुर्भाव हुआ, इसका ठीक ठीक सामाजिक इतिहास नहीं मिलता । जो कुछ मिलता है, वह विश्वसनीय नहीं । अठारहवीं सदीके सुप्र

सिद्ध दार्शनिक और इतिहासवेत्ता मि० ह्यूमने कहा था—
 “यद्यपि आधुनिक कालमें सब प्रकारकी राज्य-प्रणालियोंमें सुधार
 हुआ है, पर राजतन्त्र (Monarchical Government) ने
 पूर्णता (Perfection) की ओर सबसे अधिक प्रगति की है।
 सभ्य राज्यतन्त्र रिपब्लिककी तरह कानून और विधिके राज्य
 में लगे हैं। उनमें व्यवस्था-पद्धति और स्थिरता दीखने
 लगी है। वहां धन माल सुरक्षित है। उद्योग धन्धोंका उत्तजन
 मेल रहा है। हुनर और कलाकौशल तरकी पा रहे हैं। राजा
 लोग प्रजाके साथ बसा चर्चा करने लगे हैं, जैसे पिता पुत्रके
 साथ करता है।” इस प्रकार कुछ अन्य महानुभावोंने भी
 राजतन्त्र शासनप्रणालीकी और उससे होनेवाले लाभोंकी प्रशंसा
 की है।

राजतन्त्रके गुण ।

जो लोग राजतन्त्रके हिमायती हैं, वे इस राजतन्त्रके पक्षको
 कई तरहसे पुष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि इसमें सारी शक्ति
 एक जगह केन्द्रीभूत रहती है इसलिये राज्य शासनमें मतभेद
 हो जानेसे शक्तियोंके विपर जानेका जो डर रहता है, वह इसमें
 नहीं रहता। जबतक कैसरके हाथमें जर्मनका राज्यसूत्र था,
 तबतक वहां जिस एकता और पूर्णतासे राज्यशासन चलता था,
 तथा राष्ट्रकी शक्तियोंका जैसा बढिया सङ्गठन था, वैसा आज
 नहीं है। यद्यपि वहां आज प्रजातन्त्र है, पर वहांकी शक्तियां
 बिखर गयी हैं। वहां बात बातमें मतभेद और विरोध हो रहा

है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। इसके सिवा कंसरके समयमें जर्मनीकी सर्वाङ्गमुखी जो उन्नति हो रही थी वैसे आज नहीं हो रही है। इस प्रकारके उदाहरण देकर वे अच्छे राजतन्त्रको कुलीनतन्त्र और प्रजातन्त्रसे श्रेष्ठ सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी योग्य, प्रजाप्रेमी और शासन चतुर राजाके राज्यमें प्रजा जैसी तरकीब कर जाती है, वैसे प्रजा कभी कभी प्रजातन्त्रमें भी नहीं कर पाती।

दूसरी बात यह है कि जिन देशोंमें सभ्यताका यथेष्ट विकास नहीं हुआ है, जहाकी प्रजा सुसंस्कृत, योग्य तथा शासन क्षम नहीं है, वहा कई राजनीतिविशारदोंके मतानुसार जैसा सुयोग्य और परोपकारी राजतन्त्र सफल हो जाता है, वैसे प्रजातन्त्र नहीं होता। इसे दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं कि जहा लोगोंका यथेष्ट रूपसे राजनीतिक विकास नहीं हुआ है, जहाके लोग शासनकार्यमें हिस्सा लेनेके लिये अयोग्य है, जहाके लोगोंकी राजनीतिक भावनायें बिल्कुल अपूर्ण या सुषुप्ति अवस्थामें हैं, वहाकी स्थितिके अनुकूल विशेष तीरसे राजतन्त्र ही हो सकता है। यहा यह तो अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि यह बात अच्छे और लोकप्रिय राजतन्त्रके लिये कही जा रही है। अत्याचारी और स्वेच्छाचारी राजतन्त्र तो सर्वत्र बुरा है, उसका अनुमोदन तो किसी स्थितिमें नहीं किया जा सकता। अमेरिकाके सुप्रसिद्ध विद्वान् मि० गार्नरका कहना है कि लोगोंको जङ्गली अवस्थासे निकालकर सभ्य अवस्थामें पहुँचानेके

लिये और उनमें नियमबद्धता (Discipline) का गुण लानेके लिये जितना काम राजतन्त्र दे सकता है, उतना कोई दूसरा तन्त्र नहीं दे सकता । इंग्लैण्डके विश्वविख्यात लेखक जान स्टुअर्ट मिलका कथन है—“जङ्गली आदिमियोंके साथ व्यवहार करनेके लिये एकतन्त्रीय शासनप्रणाली ही सर्वथा उपयुक्त है । हा, उन जङ्गली मनुष्योंको सुधार कर सम्यक् बनाना उसका उद्देश्य अवश्य होना चाहिये ।” आगे चलकर फिर मिल महोदय कहते हैं—“अद्यतक मनुष्य-जाति इस अवस्थापर न पहुच जाये कि वह गहनतम मामलोंमें स्वतन्त्रताके साथ वादानुवाद न कर सके, तत्रतः उनपर स्वाधीनताका तत्र कुछ नियमित मर्यादामें लगाना चाहिये ।” कई पाश्चात्य लेखकोंका कथन है—“मध्ययुग या प्राचीन युगके लिये राजतन्त्र शासनप्रणाली ही उपयुक्त थी । उसीका अस्तित्व उस वक्त मुनासिब (Justified) था । उस वक्तकी स्थितिमें अन्य शासनप्रणालीका सफल होना कठिन था । राजतन्त्र शासनप्रणालीहीने अन्य प्रकारकी शासन-प्रणालियोंका मार्ग साफ किया ।”

राजतन्त्रके दोष ।

अद्यतक हमने विशेष रूपसे राजतन्त्रके गुणोंपर ही विचार किया है । अब उसके दोषोंको भी देख लीजिये । हम ऊपर कहे हुए दोनों प्रकारके दावोंपर अलग अलग विचार करेंगे । पहले सर्वसत्ताधारी राजतन्त्र (Absolute Monarchy) को लीजिये । यह बात तो साफ है कि जिन लोगोंके लिये राज्य किया

जाता है, उनका उसकी शासनप्रणालीमें कोई हाथ नहीं रहता। हाँ, राजा चाहे तो अपनी मर्जीसे थोड़ेसे हक प्रजाको देता है; पर यह बात राजाकी मर्जीपर है। इस शासनप्रणालीमें जो कुछ एक आदमी—राजा ठीक और योग्य समझता है, उसकी समझमें जो बातें ठीक जँचती हैं, वही करता है। मतलब यह कि हजारों लाखों प्रजागणोंका शासन एक मनुष्यके हाथमें रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ फर्त्तव्यक्षम और आदर्श राजाओंको छोड़कर अधिकांश राजा शासनमें जितना अपना हित सोचते हैं उतना प्रजाका नहीं सोचते। प्रजाके हित और स्वार्थका बलिदानकर वे अपना स्वार्थ और हित साधते हैं। गरीब प्रजाकी कठिन कमाईके धनको किस प्रकार अपने पेश आराममें, अपनी नीच वासनाओंकी पूर्तिमें बरबाद करते हैं, इसके सैकड़ों उदाहरण आज हमारे सामने हैं। 'Development of European Polity' नामक ग्रन्थमें लिखा है—“सर्व राजतन्त्रकी प्रवृत्ति स्वेच्छाचारिता और उसकी बुराइयोंकी ओर होती है। इसमें राजाके हित और स्वार्थको बहुत स्थान मिलता है। लोगोंके स्वार्थों के बलिदानपर कई राजाओंकी नीच वासनाओंकी पूर्ति होती है। इस प्रकारकी कई बुराइया राजतन्त्रमें हैं।”

अगर यह भी मान लिया जावे कि किसी राजतन्त्रीय शासन में धर्मराज्य हो रहा है, प्रजा सुखी है, राजकोष अच्छे कामोंमें खर्च किया जाता है, शासन बड़ी क्षमता और योग्यतासे चलाया

जाता है, तोभी इन सब उच्च गुणोंके होते हुए भी आजकलके जमानेमें यह शासनप्रणाली श्रेष्ठतम नहीं समझी जा सकती है, ऐसे धर्मशील और न्यायी राजाको आदर्श और धर्मायता कह सकते हैं, पर इस वक्त एक तन्त्रीशासन, चाहे वह कितनी ही अच्छा क्यों न हो, आदर्श नहीं माना जा सकता। क्योंकि शासनमें योग देनेसे प्रजापरजिम्मेदारी पड़ती है और जिम्मेदारी से मनुष्यकी आत्माका विकास होता है, उसमें शासन क्षमता आती है। यह बात अच्छेसे अच्छे राजतन्त्रमें भी उतनी सम्भव नहीं, जितनी प्रजातन्त्रमें है। सरकारका उद्देश केवल प्रजाको सुखी और सतोषी करना ही नहीं है, उसकी शक्तियोंका विकास और उनके फूलने फलनेके अनुकूल अवसर भी उपस्थित करना है। आजकलके जमानेमें सरकारका वही रूप अच्छा समझा जाता है, जिसमें लोगोंका हिस्सा हो, और जिसके द्वारा शासनक्षम योग्य नागरिकोंकी उत्पत्ति हो। सरकारका ऐसा ही रूप आजकल आदर्श समझा जाता है। इसके अतिरिक्त राजतन्त्र शासन प्रणालीमें और भी अनेक दोष हैं, उन सबका विवेचन करना यहाँ समय नहीं। अब हम यहाँ वंशपरम्परागत राजतन्त्रप्रणालीकी थोड़ी सी समालोचना करते हैं।

• वंशपरम्परागत राज्य-पद्धतिके गुणदोष ।

• राजतन्त्रके पक्षमें जो कुछ कहा जाता है उसका निष्कर्ष यही है कि पिताके गुण कुछ न कुछ अंशमें पुत्रमें उतरते हैं। आधुनिक विज्ञानने भी किसी अंशतक इस बातकी स्वीकार

किया है। पर इस नियममें जो अपवाद (Exceptions) देखे जाते हैं, वे भी कम नहीं हैं। दुर्गुणी पिताके सद्वगुणी पुत्र होने तथा सद्वगुणी पिताके दुर्गुणी पुत्र होनेके सैकड़ों उदाहरण दिखलाये देते हैं। यह कोई निश्चित बात नहीं है कि गुणवान पिताके गुणवान ही पुत्र उत्पन्न हों। इसी प्रकार किसी सद्वगुणी और बुद्धिमान् राजाके सद्वगुणी और बुद्धिमान् ही पुत्र उत्पन्न होंगे, इसका कोई नियम नहीं है। सम्भव है कि उसके दुर्गुणी, लम्पट और अयोग्य पुत्र भी उत्पन्न हो जाय। अतएव योग्यता और अयोग्यता सद्वगुण या दुर्गुणकी विना परीक्षा किये ही केवल इसी बातपर कि वह राजाका लडका है किसीको राजगद्दीपर ठुँसैठा देना और हजारों लाखों आदमियोंके भाग्यकी धागडोर उसके हाथ सौंप देना फहातक उचित है। इसका विचार प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धिसे कर सकता है। इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि कई बार इसी पुश्तैनी पद्धतिके कारण राजगद्दीपर ऐसे अनुभवहीन, अयोग्य और शासनअक्षम राजा बैठाये जाते हैं जो इन्द्रियोंके गुलाम बनकर दिनरात विषयासक्त रहते हैं और प्रजाके कठिन धर्मोंके धनकी अधिकाश रूपसे प्रजाहितमें न लगाकर अपनी नीच दासनाओंकी वृत्तिमें लगाते हैं। फ्रान्समें पाच सौ वर्षतक निरन्तर ऐसे राजा राज्यासीन किये गये, जिनकी उम्र राज्याभिषेकके समय पचीस-वर्षसे भी कम थी। सौ वर्षतक तो यहा ऐसे राजा गद्दीपर बंठे रहे जा उस समय इक्कोस वर्षकी आयुके भी न थे। हमारे भारत

वर्षमें तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यहाँ देशी राज्योंमें सर्वत्र पुश्तैनी पद्धति मौजूद है। अठारह वर्षका लडका यहाँ गद्दीपर बैठा दिया जाता है। उसकी शिक्षा ऐसे वायुमण्डलमें होती है, जिससे वह स्वामी और प्रजाहितैषी बननेके बदले परले दर्जेका लम्पट और विलासप्रिय बनता है, प्रजाप्रेमी बननेके बदले गौराङ्गोंका दास बनता है। वह तो यह समझ बैठता है कि राज्य मेरी मौरूसी जायदाद है। इसका जैसा चाह वैसा उपयोग करनेका मेरा अधिकार है। प्रजाको इसमें चूँ करनेका कोई हक नहीं। वह मनमाने रूपसे धन उडाता है। प्रजापर चाहे जैसे मनमाने अत्याचार करता है। उसे अपनी जिम्मेदारीका तनिक ह्याल नहीं रहता। हमारे हिन्दुशास्त्रोंमें राजाके जो दिव्य आदर्श बतलाये हैं, उनका उसे ज्ञान नहीं रहता। हमारे कहनेका मतलब यह नहीं है कि आधुनिक कालके सब ही देशों राजा अयोग्य और बेल्गामके घोड़े हैं। उनमें कुछ अच्छे और प्रजाप्रेमी तथा न्यूनाधिक रूपसे अपनी जिम्मेदारीको समझनेवाले हैं, पर इनकी संख्या अगुलीपर गिनने योग्य भी नहीं निकलेगी। अधिकांश राजा उपरोक्त ही श्रेणीके हैं। इन सब बातोंसे यही तथ्य निकलता है कि वंशपरम्परागत पद्धतिमें जहा थोड़ेसे गुण हैं, वहा अनेक दोष हैं। तिसपर भी जहा राजाकी शक्तिया अमर्यादित रहती हैं, किसी विधि (Constitution) या प्रजामतसे नियमित नहीं रहतीं, वहा तो राज्यकी यह पुश्तैनी पद्धति अत्यन्त हानिकारक है। यद्यपि ऐसी दशामें भी कुछ आदर्श

किया है। पर इस नियममें जो अपवाद (Exceptions) देखे जाते हैं, वे भी कम नहीं हैं। दुर्गुणी पिताके सद्गुणी पुत्र होने तथा सद्गुणी पिताके दुर्गुणी पुत्र होनेके सैकड़ों उदाहरण दिखलायी देते हैं। यह कोई निश्चित बात नहीं है कि गुणवान पिताके गुणवान ही पुत्र उत्पन्न हों। इसी प्रकार किसी सद्गुणी और बुद्धिमान् राजाके सद्गुणी और बुद्धिमान् ही पुत्र उत्पन्न होंगे, इसका कोई नियम नहीं है। सम्भव है कि उसके दुर्गुणी, लम्पट और अयोग्य पुत्र भी उत्पन्न हो जाय। अतएव योग्यता और अयोग्यता सद्गुण या दुर्गुणकी बिना परीक्षा किये ही केवल इसी बातपर कि वह राजाका लडका है किसीको राजगद्दीपर धुँसैठा देना और हजारों लाखों आदमियोंके भाग्यकी धागडोर उसके हाथ सौंप देना फहातक उचित है। इसका विचार प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धिसे कर सकता है। इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि कई बार इसी पुश्तनी पद्धतिके कारण राजगद्दीपर ऐसे अनुभवहीन, अयोग्य और शासनअक्षम राजा बैठाये जाते हैं जो इन्द्रियोंके गुलाम बनकर दिनरात विषयासक्त रहते हैं और प्रजाके कठिन फर्माईके धनकी अधिकाश रूपसे प्रजाहितमें न लगाकर अपनी नीच वासनाओंकी चृत्तिमें लगाते हैं। फ्रान्समें पाच सौ वर्षतक निरन्तर ऐसे राजा राज्यसीन किये गये, जिनकी उम्र राज्याभिषेकके समय पच्चीस-वर्षसे भी कम थी। सौ वर्षतक तो यहा ऐसे राजा गद्दीपर बैठते रहे जा उस समय इक्कीस वर्षकी आयुके भी न थे। हमारे भारत-

धनवान या राजवशके लोग अपने स्वार्थ और हितको सामने रखकर शासन करने लगे। इसीसे इसका महत्व घट गया और आधुनिक ससारमें राज्यकी पद्धति सर्वोत्तम और आदर्श नहीं समझी जाती है।

उच्च या अल्पजनसत्तात्मक राज्यके तत्त्वतः जो मूल आदर्श हैं, उनपर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। यह शासन-प्रणाली गुणको महत्त्व देती है, संख्याको नहीं अर्थात् थोड़ेसे गुणी मनुष्योंके शासनको यह जितना अभीष्ट समझती है, उतना जनताके महाविशाल समूहके शासनको नहीं समझती। यह झुंडके शासन (Mob-rule) को नापसन्द करती है। इसका सिद्धान्त है कि कुछ मनुष्य अन्य मनुष्योंकी अपेक्षा शासन करनेमें अधिक क्षम रहते हैं। यह अनुभव और राजनीतिक प्रतिभाका अधिक आदर करती है। प्राचीन शासनप्रणालीको स्थिर रखना चाहती है। यह परम्परागत सत्तामें आकस्मिक क्रान्ति करनेकी विरोधी रहती है। पुराने रीतिरिवाजों और इतिहासपर हडताल फेरना यह पसन्द नहीं करती। उन सस्याओंको जो दीर्घ समयसे आदरणीय गिने जा रही हैं, एकाएक नाश करना नहीं चाहती। यह राजतन्त्र (Monarchy) और प्रजातन्त्र (Democracy) के बीचकी प्रणाली है, जो दोनोंको सीमोलुब्धन करनेसे रोकती है। यह दोनोंको उचित समयमें रखना चाहती है।

माटेस्करूके कथनानुसार यह एक नर्म राज्यपद्धति है, जो सद्गुणपर निर्भर करती है। इसमें पुश्तैनी जो शक्ति है, वह

राजा निकल आते हैं, पर वे केवल अपवाद रूप रहते हैं। उनसे इस पद्धतिका किसी प्रकार समर्थन नहीं किया जा सकता।

४ उच्च जनसत्तात्मक राज्य

जिस शासनप्रणालीमें थोड़ेसे लोगोंके हाथमें या किसी विशिष्ट उच्च वर्गके हाथमें उच्च राज्यसत्ता रहती है, उसे अग्र जीमें एरिस्टोक्रेसी "Aristocracy" कहते हैं। हिन्दीमें इसे उच्च या अल्पजनसत्तात्मक राज्य कह सकते हैं। यह कई प्रकारका होता है। एक तो वह जिसमें राज्यसत्ता कुछ उच्च वर्गके लोगोंके हाथमें हो, दूसरे वह जिसमें कुछ धनवान लोगोंके हाथमें राज्यसत्ता हो, तीसरे वह जिसमें पण्डितों और विद्वानोंके हाथमें हो। मतलब यह कि इस अल्पजनसत्तात्मक शासन-प्रणालीमें जनताके थोड़ेसे लोग ही राज्यसूत्र चलाते हैं।

राजनीतिशास्त्रके कितने ही पण्डितोंका कहना है कि अगर इस शासनप्रणालीमें वे ही लोग राज्यचक्र चलावें, जो योग्यता और सद्गुणोंमें सर्वोत्तम श्रेणीके हों, तो इस शासन-प्रणालीका समर्थन बड़ी अच्छी तरह किया जा सकता है। प्राचीन ग्रीक लोगोकी यही भावना थी कि राज्यसूत्र उन्हीं लोगोंके हाथमें रहे, जो नैतिक और बौद्धिक दृष्टिसे सर्वोपरि श्रेणीके हों। उन्होंने अल्पजनसत्तात्मक राज्यका दूसरा नाम "सर्वोत्तम मनुष्योंका शासन" रखा है। पहले पहल इस शासन-प्रणालीका बड़ा आदर था। पर पीछे जाकर इसका रूप विकृत हो गया। "सर्वोत्तम मनुष्योंका यह शासन" धनकुबेरोके शासनमें परिणत हो गया।

सममत है कि किसी खास और विशिष्ट कुटुम्बपर राजनीतिक योग्यताका सिद्धा लगा देनेसे काम नहीं चलता।# क्योंकि जैसा हम पहले कह चुके हैं बुद्धिमान् यापका लडका नालायक निकल जाता है और नालायक यापका लडका बुद्धिमान् निकल जाता है। इस प्रकारके अकारण भेद (Spontaneous variation) बहुत होते हैं। अतएव किसी राजनीतिधुरन्धर पिता या कुटुम्बकी भावी सतानें भी उम्मी योग्यताकी होंगी, इस बातका कोई निश्चय नहीं कर सकता। इतना होनेपर भी कुछ गम्भीर और नामी लेखकोंने छुल्लमखुला नहीं परन्तु पुरतैनी तत्त्वपर अल्पजनसत्तारमक राज्यके सङ्गठनको समर्थन करनेका प्रयत्न किया है। सर हेनरी मेनका कथन है कि “पुरतैनी राज्यकार्य करनेवाले लोगोंमें राज्यकार्यके योग्य उतनेही मनुष्य सम्भवत मिल सकते हैं, जितने सर्वसाधारणके चुनाव (Popular election) से मिल सकते हैं।

प्रोफेसर सिली महोदयका कथन है—“वह मनुष्य जो राजनीतिज्ञका पुत्र है, कुछ न कुछ राज्यके मामलोंने परिचय रखता ही है, क्योंकि वह दिन रात राजनीतिक वायुमण्डलमें रहता है।” इंग्लैण्डके सुप्रख्यात् इतिहास लेखक लेफी महोदयने

* राजपूतानेमें सुदृग्ही एक कौम है, इस कौमके कुछ लोगोंने राजनीतिक योग्यताका परिचय अभी दिया होगा, इससे उनको कौमही सुदृग्ही नामसे मशहूर हो गयी। यह कौम अपने आपको राजधुरन्धर मानती है। ऐसे भारतक अन्य प्रांतों और यूरोपमें भी उदाहरण मिलते हैं।

प्रजातन्त्रमें नहीं है। यह अपने अधिकार और शक्तिका नादानोसे उपयोग नहीं करतो। यह बहुत संभल संभलकर आगे पैर रखती हैं। अगर इसमें प्रतिभाशाली और योग्य मनुष्योंका चुनाव होता रहे तो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर लोकसमूहकी दृष्टिसे विचार न कर केवल सरकारके गुणों की दृष्टिसे विचार किया जावे तो यह कहना पड़ेगा कि अशिक्षित और अज्ञानी लोकसमूहके शासनसे इसमें अधिक शक्ति और योग्यताके तत्त्व हैं। जान स्टुअर्ट मिलका भी कथन है कि जो सरकारें अपनी तुली हुई मानसिक योग्यता और शक्ति (Vigor) के लिये सुप्रसिद्ध हुई हैं उनमें उदादातर अल्पजनसत्तात्मक सरकार ही है। हा यह बात अवश्य है कि इस प्रणालीमें वे ही लोग होने चाहिये जिन्होंने सार्वजनिक कार्य और सार्वजनिक जीवनहीको अपने जीवनका लक्ष्य बना रखा हो।

उच्च या अल्पजनसत्तात्मक राज्यपद्धतिके दोष

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दीखनेमें यह राज्यपद्धति बड़ीही अच्छी मालूम होती है। पर इसमें कुछ व्यावहारिक गड़बटें ऐसी हैं कि जिनका हल होना बड़ा कठिन है। पहली बात यह है कि किस तत्त्वके आधारपर ऐसा चुनाव किया जावे जिसमें राजनीतिक दृष्टिसे सर्वोत्तम मनुष्योंका ही चुनाव किया जा सके। दूसरी बात यह है कि इस बातका जिम्मा कैसे किया जावे कि ये लोग शासनमें अपने अधिकारोंका अपने लाभ और स्वार्थकी पूर्तिके लिये उपयोग न कर सके। यह बात तो अब प्रायः सर्व-

तान पैदा हो। क्या कई ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि बड़े पारी राजनीतिज्ञोंके ऐसे भी पुत्र हैं जिनमें मुत्सद्दीपनका गुण मामूली आदमीके बराबर भी नहीं है। इसके अलावा इसमें जो ट्रिया हैं उन्हें हम ऊपर दिखला चुके हैं।

इसी प्रकार धन, जमीन, जायदाद या व्यक्तित्व भी राजनीतिक योग्यताके खास चिह्न नहीं हैं। जो लोग इन बातोंसे राजनीतिक योग्यताकी परीक्षा करते हैं वे गहरी भूल करते हैं। इन बातोंका राजनीतिक योग्यतासे कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं। जेफरसन नामक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञका कथन है कि वह अल्पजनसत्तात्मक शासन (Aristocracy) जिसका पाया धन और जन्म पर है केवल शरारतसे भरी हुई ही नहीं है पर साथही भयङ्कर भी है। हां वह उच्चजनसत्तात्मक शासन-प्रणालीको, जो सद्गुण और योग्यतापर निर्भर करती है, सर्वोत्तम समझता है। सुप्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी रूसो-निर्वाचित उच्चजनसत्तात्मक शासन प्रणाली सर्वोत्तम है, जहा सबसे अधिक बुद्धिमान् मनुष्य अपने स्वार्थके लिये नहीं बरन् जनताके हितके लिये शासन करते हैं। इस प्रकारकी शासन प्रणाली जिसमें जनता द्वारा चुने हुए सबसे अधिक बुद्धिमान् और योग्य मनुष्य शासन करते हैं, आधुनिक कई लेखकोंके मतानुसार भी उत्तम शासन प्रणाली है। पर जब जनता द्वारा चुने हुए सर्वोत्तम मनुष्य शासन करें तो वहां प्रजासत्तात्मक राज्य हो जाता है।

वेन्जमिन फ्रैंकलीनके इस कथनका खण्डन किया है कि कानून पण्डितोंके कानून पण्डितही या शासकोंके शासकही पुत्र होते हैं। यह बात उतनी ही भद्दी है जितनी कि यह बात है कि महान गणितज्ञका पुत्र भी महान गणितज्ञ होता है।” यह बात निर्मूल है कि प्रतिभाशाली पिताकी प्रतिभा सर्वदा और सर्वत्र पुत्रमें उतनी ही चाहिये। लेकी महोदय कहते हैं—यदि हम पाव सौ ऐसे कुटुम्बोंको लें जिनका पुत्रतैनी धन्या राज्यकार्य है, और जिनकी रवाभाविक भावनायें भी राजनीतिक हैं तो क्या हमें इन कुटुम्बोंमें अधिक राजनीतिज्ञ और शासनपूर्ण नहीं मिलेंगे? इसी सरप्राके अन्य कुटुम्बोंसे स्वभावतया ही उपरोक्त कुटुम्बोंमें अधिक राजनीतिज्ञ मिलेंगे। सफल राजनीतिक जीवनके लिये तत्पज्ञान और कविताकी तरह असाधारण बुद्धि और प्रतिभाकी उतनी आवश्यकता नहीं है। इसके लिये केवल निर्णयशक्ति, उद्योग, चतुराई और मनुष्य स्वभावके ज्ञानकी आवश्यकता है। ये गुण असाधारण बौद्धिक शक्तिके बिना भी पूर्णतापर पहुच सकते हैं। यद्यपि लेकी महोदयके इस कथनमें सत्यका अंश है पर साथ ही उनके इस कथनमें कई त्रुटिया भी हैं। यहा यह सवाल नहीं है कि कौन कौनसे कुटुम्बोंमें शासन करने लायक अधिक मनुष्य मिल सकते हैं। सम्भव है कि जिन खानदानोंका परम्परासे हा धन्या राज्यकार्य है उनमें अधिक राज्यकार्य धुरन्धर निकल जावें। पर सवाल इस बातका है कि क्या कोई ऐसा निश्चित नियम है कि राज्यकार्य धुरन्धरके घर राज्यकार्य-धुरन्धरही

आजकलका समय जनसत्तात्मक शासनका है। आजकल यही शासनप्रणाली सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। क्योंकि इस शासन-प्रणालीमें सर्वसाधारण जनताकी इच्छाएं, भावनाएं और आवश्यकताएं जितनी अच्छी तरहसे व्यक्त हो सकती हैं तथा जितनी अच्छी तरहसे उनकी पूर्ति हो सकती है, उतनी अन्य किसी शासनप्रणालीमें नहीं हो सकती। जिन लोगोंके लिये शासन किया जाता है, उनकी इसमें पूरी आवाज रहती है। इसमें लोगोंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अतएव वे अपने कार्योंके लिये उन लोगोंके सामने जिम्मेदार रहते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। या दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि प्रजा-प्रतिनिधि अपने कार्योंके लिये प्रजाके सामने जिम्मेदार रहते हैं। इसका यह परिणाम होता है कि इन प्रतिनिधियोंके लिये शासनमें अपने स्वार्थों या हितोंकी पूर्ति करनेके बहुत ही कम अवसर रह जाते हैं। क्योंकि उन्हें प्रतिक्षण इस बातका ख्याल रहता है कि हमें अपने कार्योंके लिये प्रजाको जवाब देना है।

सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक (Political philosopher) जान स्टुअर्ट मिलका कथन है--“सब लोग या लोगोंका अधिकांश भाग अपने चुने हुए प्रतिनिधियोंके द्वारा जिस राज्यमें शासन करता है, उसे प्रजासत्तात्मक राज्य कहते हैं। आदर्शकी दृष्टिसे राज्यका वही सर्वोत्तम रूप है जिसमें अन्तिम अधिकार जनताके हाथमें रहता है, जिसमें हर एक मनुष्यको आवाज उठानेका हक रहता है। केवल उसी सरकारसे समाजकी आवश्यकताएं

प्रजासत्तात्मक शासन

लोकसत्तात्मक शासन राज्यके उस सङ्गठनको कहते हैं, जिसमें जनता या जनताका अधिकांश हिस्सा * प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे राज्यशासनमें भाग लेता हो। आजकलका प्रजासत्तात्मक राज्य इस तत्त्वपर निर्भर करता है कि हर एक प्रामाणिक तथा अपना हितहित समझनेवाले व्यक्तिको राज्यकार्यमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे भाग लेनेका अधिकार है। जेफरसन नामक विख्यात राजनीतिक लेखकका कथन है कि आजकलके लोकसत्तात्मक राज्योंका सब दारोमदार अधिकांश जनताकी योग्यता तथा मध्यम श्रेणीके मनुष्य या मनुष्योंकी योग्यतापर है, क्योंकि ये ही लोग शासकोंको चुनते हैं। कितने ही लेखकोंका कथन है कि किसी राज्यकी नींव जनसत्तापर कितनी ही गहरी क्यों न पड़ी हो पर राज्यकार्य करनेका भार तो नियमित सब्बका लोगों ही पर डालना पड़ता है अर्थात् व्यावहारिक दृष्टिसे वह प्रजासत्तात्मक होते हुए भी तत्त्वत उच्चजन या अल्पजनसत्तात्मक ही रहता है। एक अमेरिकन लेखकका कथन है कि सबकी सब जनता राज्यकार्य उसी प्रकार नहीं कर सकती जिस प्रकार एक गाडीमें बैठे हुए सबके सब लोग घोड़ोंको नहीं हांक सकते, पर तोभी कोई घोड़े को हाकेगा ही। इसी प्रकार शासनकार्य भी नियमित लोगोंतक ही परिमित रहता है।

* पागल, छुष्ट, नाबालिक वगैरे आदि कुछ लोगोंका हिस्सा इसमें नहीं रहता है।

आजकलका समय जनसत्तात्मक शासनका है। आजकल ही शासनप्रणाली सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। क्योंकि इस शासन-प्रणालीमें सर्वसाधारण जनताकी इच्छाएँ, भावनाएँ और आवश्यकताएँ जितनी अच्छी तरहसे व्यक्त हो सकती हैं तथा जितनी प्रच्छी तरहसे उनकी पूर्ति हो सकती है, उतनी अन्य किसी शासनप्रणालीमें नहीं हो सकती। जिन लोगोंके लिये शासन कया जाता है, उनको इसमें पूरी भावाज रहती है। इसमें लोगोंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। अतएव वे अपने कार्योंके लिये उन लोगोंके सामने जिम्मेदार रहते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। या दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि प्रजा-प्रतिनिधि अपने कार्योंके लिये प्रजाके सामने जिम्मेदार रहते हैं। इसका यह परिणाम होता है कि इन प्रतिनिधियोंके लिये शासनमें अपने स्वार्थों या हितकी पूर्ति करनेके बहुत ही कम अवसर रह जाते हैं। क्योंकि उन्हें प्रतिक्षण इस बातका ख्याल रहता है कि हमें अपने कार्योंके लिये प्रजाको जवाब देना है।

सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक (Political philosopher) जान स्टुअर्ट मिलका कथन है--“सब लोग या लोगोंका अधिकांश भाग अपने चुने हुए प्रतिनिधियोंके द्वारा जिस राज्यमें शासन करता है, उसे प्रजासत्तात्मक राज्य कहते हैं। आदर्शकी दृष्टिसे राज्यका वही सर्वोत्तम रूप है जिसमें अन्तिम अधिकार जनताके हाथमें रहता है, जिसमें हर एक मनुष्यको भावाज उठानेका हक रहता है। केवल उसी सरकारसे समाजकी आवश्यकताएँ

पूरी हो सकती है, जिसमें या तो सब लोग भाग लें या इतने लोग भाग लें जो समाजके सामान्य हितकी दृष्टिसे आवश्यक हैं।”

यह तो हुई प्रजासत्ताकी साधारण व्याख्याएँ, अब यह देखना है कि प्रजासत्तात्मकमें वे कौनसे विशेष गुण हैं, जिनकी बढीलत वह आज ससारमें प्रायः सर्वमान्य हो रहा है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध राजनीतिक मि०गार्नरका कथन है—“प्रजासत्तात्मक राज्यमें सर्वोत्तम गुण और विशेषता यह है कि वह जनताकी उठाता है, उसमें रही हुई शक्तियोंका आविष्करण और विकास करता है, राज्यकार्योंके लिये उसका उत्साह बढाता है और शासनमें उसे योग्य स्थान देकर उसकी स्वदेश भक्तिको दृढ़ करता है। प्रजातन्त्र इस बातसे साफ इन्कार करता है कि कुछ मनुष्योंने तो शासन करनेके ही लिये जन्म लिया है और कुछ लोगोंने केवल उनकी आज्ञा पालनेहीके लिये जन्म धारण किया है। प्रजातन्त्र इस बातको नहीं मानता कि कुछ आदमी जन्महीसे बड़े होते हैं। वह सबको राजनैतिक दृष्टिसे समान पायेपर रखना चाहता है। लेव्हेले (Laveleye) महाशयका कथन है—“राजनैतिक दृष्टिसे कोई आदमी स्वतन्त्र नहीं है। जिस शासनमें, जिस सरकारमें जनताका हिस्सा नहीं रहता उसके लिये स्वार्थत्याग करनेके लिये स्वभावतया ही वह तैयार नहीं होता। प्रजातन्त्रसे जनतामें रही हुई स्वदेशभक्ति विकसित होती है, क्योंकि इसमें हर एक नागरिक यह जानता है कि सरकार हमारी है और सरकार काम करनेवाले अधिकारी हमारे ही नौकर हैं। इसके अतिरिक्त

राजातन्त्रकी स्थापना समानता और लोकमतकी नींवपर होनेके कारण वे क्रान्तियोंके भयसे भी मुक्त रहते हैं। डी टोर्काविल (De Toequeville) महोदयका कथन है “आजतक ससारमें जितनी क्रान्तियां हुई हैं और जिन्होंने ससारके रूपको बदल दिया है वे असमानताके नाश करनेहीके लिये हुई हैं।” यही महाशय अपने एक अन्य ग्रन्थमें लिखते हैं कि प्रजातन्त्र नागरिकताकी शिक्षा देनेवाली शाला है। जान स्टुअर्ट मिल महोदयने भी प्रजातन्त्रकी प्रशंसा करते हुए यह स्वीकार किया है कि प्रजातन्त्र जनताके चरित्र और बौद्धिक शक्तिको विकसित करनेमें बड़ी ही सहायता पहुँचाता है और किसी शासन या सरकारकी श्रेष्ठता इसीसे प्रकट होती है कि उसमें प्रजाकी मानसिक, नैतिक, आर्थिक और बौद्धिक शक्तियोंको क्हातक उत्तेजना मिलती है। इन शक्तियोंके बढ़ानेमें सरकारका जो रूप सबसे अधिक अनुकूल होता है, वह उसका सबसे अच्छा रूप है।

प्रजासत्तात्मक शासनके दोष ।

अतक हमने लोकसत्तात्मक राज्य या प्रजातन्त्रके गुणोंका ही विवेचन किया है, पर प्रत्येक पदार्थमें जहां गुण होते हैं, वहां कुछ न कुछ दोष भी अवश्य ही होते हैं। निर्दोष तो केवलमात्र परमात्मा है। भूतकालके कुछ लेखकोंने प्रजातन्त्रके दोषोंको दिखलानेकी बड़ी चेष्टा की है। ये लोग क्या कहते हैं, अब हम उसीका विवेचन करते हैं।

इनका कथन है कि प्रजातन्त्र गुणपर निर्भर नहीं करता, वह

संस्थापर निर्भर करता है अर्थात् वह गुणशाली मनुष्योंका शासन नहीं है बल्कि जनसमुदायका शासन है। वह इस बातको उपेक्षा करता है कि जिस प्रकार अन्य कार्यक्षेत्रोंमें विशेष योग्यताकी आवश्यकता होती है वैसे ही राज्यकार्यमें भी होता है। वह इस झूठे सिद्धान्तपर काम करता है कि सब मनुष्योंमें शासन करनेकी क्षमता बराबर है अर्थात् जितनी शासन करने की क्षमता एक मनुष्यमें है, उतनी ही दूसरेमें है। वह यह मान कर चलता है कि सब ही मनुष्य राजनीति-धुरन्धर हैं। जस्टिस जेम्स महोदयका कथन है कि “गुशासनके लिये विशेष ज्ञान की, विविध प्रकारकी मानसिक शक्तिके विकासकी और शान्त और समययुक्त निर्णयशक्तिकी आवश्यकता है। अज्ञानता और अयोग्यताको जितनी घरेलू काम काजमें टालनेकी जरूरत है उतनी ही राज्यशासनमें भी टालनेकी जरूरत है। अज्ञानता, अयोग्यता और समयहीनताका जैसा बुरा परिणाम घरेलू कार्योंमें होता है, उससे कई गुना अधिक भयकर परिणाम राज्यकार्योंमें होता है। मिल और माटेस्क महोदयने भी प्रजातन्त्रकी प्रशंसा करते हुए इतना संकेत तो अवश्य किया है कि प्रजातन्त्र वहीं व्यावहारिक रूपसे सफल हो सकता है, जहाँ की सर्वसाधारण जनता बुद्धि, योग्यता और चरित्रमें ऊँचे दर्जे की हो। बर्क महोदयने प्रजातन्त्रकी कड़ी समालोचना करते हुए लिखा है कि इस शासनप्रणालीमें उत्तरदायित्वहीन लोगोंके हाथमें सत्ता चली जाती है। इससे बड़ा नुकसान होता है।

कुछ लेखकोंने इस शासनप्रणालीकी घुराई दिखलाते हुए लिखा है कि "प्रजातन्त्र कला कौशल, विज्ञान और संस्कृतिके लिये अनुकूल नहीं है।" प्रजातन्त्रीय सरकार न तो प्रत्यक्ष रूपसे इन्हें उत्तेजना पहुँचाती है और न ऐसी स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूपसे इन्हें प्रोत्साहन मिले।

सुप्रख्यात अग्रजी लेखक सर हेनरी मेन और प्रोफेसर डब्ल्यू० ई० एच० लेकीने प्रजातन्त्रकी फडी समालोचना की है।

प्रजातन्त्रकी इन सब अनुकूल और प्रतिकूल समालोचनाओंकी ध्ये नपूर्वक पढ़नेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रजातन्त्र ही सब शासनप्रणालियोंमें उत्तम है, क्योंकि इसका पाया मानवीय स्वाधीनता और मानवीय समानतापर लगा हुआ है। इससे मनुष्यकी बुद्धि और कार्यकारी शक्तियोंके विकासको आश्चर्यकारक उत्तेजना मिलती है। उसकी स्वदेशभक्ति दृढ़ होती है। सारे समाजके हितके लिये शासन होता है। पर साथ ही हम दूसरे मतको भी पसन्द करते हैं। हमारा विश्वास है कि प्रजातन्त्रकी सफलताके लिये यह आवश्यक है कि सर्वसाधारण जनताका चरित्र ऊँचा हो, उसमें सद्गुणों और सयमका विकास हो। जिस जनतामें योग्यता नहीं, चरित्रयल नहीं, सयम शक्ति नहीं वह प्रजातन्त्रके योग्य नहीं है। घेजिम्मेदार और सयमहीन अयोग्य लोगोंके हाथमें शासन होनेसे लाभके बदले नुकसान होता है। हमारे कहनेका निष्कर्ष यह है कि अगर जनता

* ब्लन्शले प्रभृति लेखकोंने इस बातका खण्डन किया

योग्य और समयी हो तो प्रजातन्त्र शासनकी ही सर्वश्रेष्ठ विजय दुन्दुभी बजेगी। इसका क्षेत्र दिनोंदिन अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है। भविष्यमें इसका क्या रूप होगा, इसका उत्तर समयकी परिस्थितिपर ही छोड़ना अच्छा है।

५. व्यक्तिवाद ।

व्यक्तिवादी अराजकवादियों (Anarchists) की तरह राज्यको अनावश्यक नहीं समझते। वे किसी न किसी रूपमें समाजकी वर्तमान दशामें, राज्यको आवश्यक समझते हैं। हाँ अराजकवादियोंकी तरह व्यक्तिवादियोंका भी यह मत है कि राज्य एक आवश्यक घुसाई है। उनका कहना है कि राज्यका कार्यक्षेत्र जहातक सम्भव हो, इतना सकीर्ण कर देना चाहिये कि सिवा शान्तिरक्षा, सुव्यवस्था और लोगोंके जानमालकी हिफाजतके उसके अधिकारमें अन्य कोई काम ही न होना चाहिये। व्यक्तिवाद याहरी रुकावटको अच्छा नहीं समझता और साथ ही उसका यह भी सिद्धान्त है कि जितना अधिक राज्यका कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है, उतनी ही व्यक्तिगत स्वाधीनतामें बाधा पडती है। व्यक्तिवादका सिद्धान्त है कि मनुष्यमें अहंकार, अज्ञानता आदि दोष परस्परगत स्त्रमावसे रहते हैं और इन्हीं दोषोंके बशीभूत होकर वह अपने निजी स्वार्थके लिये दूसरेके स्वत्तोंपर बार करता है। मनुष्यकी इस कुप्रवृत्तिको उचित सोमासे बाहर न होने देनेके लिये

राज्यको आवश्यकता है। सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक ज्यूक्स सार्समगने तो व्यक्तिवादकी सीमानो बहुत बढ़ाकर यहातक कह डाला है कि राज्यको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिनसे वह अपने आप बेकाम हा जाये और वह अपनी मृत्युके लिये आप तैयारी करे। विख्यात इतिहासकार फ्रीमेन महोदयने भी लिखा है, "राज्यकी आदर्श पद्धति वह है जिसमें बिलकुल शासन न करना पड़े। सरकारके अस्तित्वका कारण मनुष्यकी अपूर्णता है।" व्यक्तिवादियोंका कथन है कि राज्यका अस्तित्व केवल इनलिये है कि सत्तारमें अपराधका अस्तित्व है। इसलिये उसका कार्य केवल अपराधोंको रोककर शान्ति और व्यवस्था रचना है। अन्य कामोंमें हाथ डालना उसका कर्त्तव्य नहीं। जब राज्य रेलवे, तार, थियेटर, पुस्तकालय, अजायबघर, बाग बगोचे, स्कूल कालेज आदि कई काम अपने सिरपर ले लेता है तो समझना चाहिये कि वह केवल व्यक्ति की ही रक्षा नहीं करता है (जिसके लिये कि उसका अस्तित्व है) पर वह उन कार्यों में भी अनुचित रूपसे हाथ डालता है जो कि व्यक्तियोंको करनेके हैं। आजकल शिक्षा, सफाई, टीका, व्यापार और उद्योग धन्धेके जो अनेक काम राज्य अपने हाथोंमें रखता है उने व्यक्तिवादी अच्छा नहीं समझते। साथ ही वे यह भी जोरसे प्रतिपादित करते हैं कि राज्यको व्यक्तियोंके सामाजिक जीवनमें हस्तक्षेप करनेका कोई अधिकार नहीं है। व्यक्तिवादियोंका तो साफ साफ कहना है कि ज्यादा शासन मत

करो।" वे कहते हैं कि राज्यका कार्य केवल यही है कि वह शान्ति और व्यवस्था रखे, वादोंको पूरा करवाये, अपराधके लिये सजा दे और जब ये काम हो जाव तब समझ लेना चाहिये कि उसके काम हो चुके। इनके सिवा उसे और कोई काम करना नहीं है।

व्यक्तिवादकी उत्पत्ति और विकास

पाश्चात्य लेखकोंके मतानुसार व्यक्तिवादका उत्पत्तिकाल अठारहवीं सदीका उत्तरार्ध है। इस समय यूरोपमें सरकारका शासन बेहद बढा हुआ था। व्यक्तिवातन्त्र्यका नामोनिशान नहीं था। इसीसे प्रतिक्रिया शुरू हुई। उसी समय फिजियोक्रेटके अनुयायी अर्थशास्त्रविदोंने यह प्रकट किया था कि राज्यके उद्योगग्रन्थोंके लिये किसी प्रकारकी शर्तें डालकर लोगोंके आर्थिक व्यापारमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उसका कार्य केवल उन प्रकृतिके नियमोंकी रक्षा करना होना चाहिये, जिनके अन्तर्गत देशकी पैदाइश बढे। फिजियोक्रेटके मतानुयायियोंने राज्यकी उच्चसत्तापर भी आक्रमण किया था। उन्होंने उद्योग और व्यापारके लिये, पूर्ण स्वाधीनताके लिये आवाज उठायी थी। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रवेत्ता एडम स्मिथने भी अपने विख्यात ग्रन्थ "Wealth of the Nations" में इस मतका बडे जोरसे समर्थन करते हुए लिखा था कि राज्यकी लोगोंके आर्थिक मामलोंमें हाथ डालनेकी आवश्यकता नहीं। इसके

बाद रिकार्डों, माल्यस नामक अग्रेज ग्रन्थकारोंने, थास्टियेट, डे-टाँप्यूव्हेल (De. Tanqueville), टूनायर, लिबानसे, नामक फ्रेन्च लेखकोंने तथा कान्ट (Kant), फिच (Fichte), विलिहेम हमबोल्ट (Wilhelm Humboldt) आदि जर्मन दार्शनिकोंने भी इसी बातका समर्थन किया था। इन महाशयोंके बाद भी लेबोले (Laboulaye), माईकेल, हर्बर्ट स्पेन्सर, जान स्टुअर्ट मिल, युल स्मिथ, चर्ड्सवर्थ नामके कितने ही विख्यात महानुभाव इसका बड़े जोरसे समर्थन करते हैं।

सबसे पहले सन् १७६१ में विलिहेम हमबोल्टने एक ग्रन्थ लिखा था जिसमें उसने बड़े जोरसे यह प्रतिपादन किया था कि "सरकारको जहातक घन सके कम शासन करना चाहिये। वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। सरकारका सबसे पहला कर्त्तव्य यही है कि अपने राज्यके व्यक्तियोंके व्यक्तित्वका विकास करे।"

इंग्लैण्डके महान दार्शनिक हर्बर्ट स्पेन्सर महोदयने व्यक्तिवादका बड़े जोरसे समर्थन किया है। उसका कथन है कि राज्यका अस्तित्व मनुष्यके परम्परागत अहमाव (Egoism) और बदमिजाजी (Perversity) का परिणाम है, अतएव राज्य वास्तवमें राज्यरक्षक होनेसे भी कहीं अधिक भक्षक है। आगे चलकर वह फिर कहते हैं, "चाहे यह बात सत्य हो या न हो कि मनुष्य अधर्मके ढाँचेमें ढाला गया है, पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि राज्यकी उत्पत्ति आक्रमणसे हुई

है। राज्यकी स्थापना मनुष्यके दुष्प्रकृतिके कार्योंमें उक्ति रोक रखनेके लिये और एक मनुष्यको दूसरे मनुष्यके अत्याचारोंसे बचानेके लिये हुई है, अतएव जब समाज अपनी पूर्ण नैतिक अवस्थापर पहुँच जायगा तब उसे राज्यशासनकी कोई आवश्यकता ही न रहेगी। स्पेन्सर महोदय कहते हैं, "सरकार तत्त्वतः दुराचारी (Immoral) है। उसका अस्तित्व इसीलिये है न कि अपराधका अस्तित्व है? क्या अपराधके मिटते ही सरकारको न मिट जाना चाहिये? यह ख्याल करना गलत है कि सरकारका अस्तित्व हमेशाके लिये बना रहना चाहिये।"

आगे चलकर स्पेन्सरने यह दिखलाया है कि व्यापार और वाणिज्यके लिये सरकारको कानून बनानेका कोई अधिकार नहीं। साय ही कारन्टाइन, रजिस्ट्रेशन कानून, अनिवार्य शिक्षा आदि काम भी स्पेन्सरके मतानुसार सरकारके नहीं हैं। ये काम लोगोंको अपने आप करनेके हैं। स्पेन्सरके मतानुसार राज्यको केवल वहीं हस्तक्षेप करनेका अधिकार है, जहाँ किसीके स्वतंत्रता का अपहरण होता हो।

स्पेन्सर महोदयकी तरह अन्य कितने ही विद्वानोंने व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। उनका कहना है कि राज्यको व्यक्तिकी स्वतंत्रतामें बाधा न देनी चाहिये। उसे इस प्रकार स्वतंत्र देना चाहिये कि वह अपने जीवन या अस्तित्वके उद्देश्योंको अनेक प्रकार समझ सके। जबतक किसी व्यक्तिकी स्वाधीनतासे दूसरोंकी

बाधा न आवे तबतक राज्यको न्यायतः यह

कर नहीं है कि वह उस व्यक्ति की स्वाधीनतामें बाधा उपस्थित करे। कांट, फिशर, हम्बोल्ट, जान स्टुमट मिन प्रभृति राजनीति विचारदोने बड़े जोरसे यह प्रतिपादन किया है कि व्यक्तिमें रही हुई सब शक्तियोंका एक साथ विकास करनेके लिये यह आवश्यक है कि उसको स्वाधीनतामें यथासम्भव न्यूनसे न्यून बाधा डाली जावे; क्योंकि उसकी स्वाधीनतामें जितनी रोक रखी जायगी उतनी ही उसकी उत्पत्ति और स्थापत्यनकी शक्तियां कम और उसको जिम्मेदारी निर्बल होगी तथा उसकी शक्तियोंका हाल होकर उसका चरित्र छोटा होगा।" जान स्टुमट मिलने भी कड़ा है कि राजशासनकी उपादत्ती (Excess of Government) से व्यक्तिकी मानसिक शक्तिकी वृद्धिमें हानि पहुंचती है और इससे मुख्यको अथवा निर्णयशक्तिके अनुसार कार्यकारणमें बाधा उपस्थित होती है। सुली प्रतिस्पर्धा व्यक्तिकी सर्वोत्तम सम्भवाओं (Possibilities) का विकास करती है, उसको उपम बुद्धिको बढाती है और उसमें स्थापत्यनके माप पूरा करती है। इसी बातको सामने लाकर व्यक्तिवादी कहते सर्वोत्तम सम्भवाका विकास व्यक्तिवादी ही करते हैं। जिन लोगोंके कान्फेमें राज्यका टाप रहता है या बात बातमें राज्यकी सहायतापर निर्भर रहते हैं वे जमीन नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त व्यक्तिवादियोंका यद्वा है कि जिन संसार, शास्त्र (Science) के गहनतम तथ्योंपर निर्भर करता

सारी शक्तियों और योग्यताको इनकी तरफ़ीमें लगा देता है। इनकी तरफ़ीके नये नये मार्ग उसे सूझते हैं। इससे पैदाइश भी ज्यादा होती है और व्यक्तिकी शक्तियोंको आविष्करणका मार्ग मिलनेसे वे खूब फलती फूलती हैं।

अन्तमें व्यक्तिवादो राज्यकी सर्वज्ञताको (Omniscience) खोकार नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि व्यक्तियोंकी आवश्यकताओंको जितनी अच्छी तरहसे खुद व्यक्ति समझ सकते हैं, उससे अधिक अच्छी तरह राज्य समझ सकता है। उनके मतानुसार राज्यमें व्यक्तियोंसे अधिक आविष्कारक बुद्धि नहीं है, क्योंकि राज्य भी तो व्यक्तियोंहीसे बना है।

व्यक्तिवादकी समालोचना।

अभीतक हमने वही बातें कही हैं जो व्यक्तिवादके हिमायती इसके समर्थनमें कहते हैं। अब उन लोगोंकी भी बातें सुन लीजिये, जो इसके विरोधी हैं। वे कई तरफ़ोंपर इसका विरोध करते हैं कि व्यक्तिवादियोंका यह कहना ठीक नहीं कि राज्य एक धुराई है। मनुष्यजातिके अस्तकके अनुभवमें यह बात नहीं आयी है। इतिहास दिपला रहा है कि सभ्यताके विकासमें अच्छे राज्योंने बड़ी सहायता पहुँचायी है। अतएव राज्य, अगर यह अपना वास्तविक कर्तव्य पालता रहे तो निस्संदेह अच्छी घस्तु है। हा, कभी २ किसी राज्यकी स्वार्थलोलुपताके कारण सर्वसाधारणकी उन्नतिमें बाधा पहुँचती है, पर इससे राज्यसंस्थाको

बुरा कहकर उसका तिरस्कार करना ठीक वैसा ही है, जैसे रेलवे सड़कपर कभी कभी दुर्घटनाओंके हो जानेसे यह कह देना कि इन्हें बनाना ही बुरा है। स्पेन्नरका यह कहना कि अपराधका अस्तित्व होनेहीके कारण राज्यका अस्तित्व है और नैतिक दृष्टिसे परिपूर्ण मानवसमुदायके लिये राज्यकी आवश्यकता नहीं, ठीक नहीं। राज्यके उद्देश केवल अपराधोंकी रोक ही नहीं है, उसके उद्देश इनसे कई दर्जे ऊंचे हैं।

जबतक मनुष्य समुदायमें रहता है, तबतक उसके सामुदायिक अभाव (Collective wants) भी किसी न किसी रूपमें रहते हैं। इनकी पूर्ति राज्यसङ्गठनके ही द्वारा हो सकती है। अतएव यह कहना कि कभी ऐसा समय आयगा कि राज्यकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ठीक नहीं। व्यक्तिवादके प्रोचो कहते हैं कि आजकल जो बिह दिखलायी दे रहे हैं उनसे यह प्रकट होता है कि जैसे २ आधुनिक सभ्यताकी जटिलता (Complexity) बढ़ती जायगी, वैसे २ और भी अधिकाधिक राज्यकी आवश्यकता बढ़ती जायगी। उद्योग धन्धोंके बढ़ जानेसे, शहरोंमें अधिक घनी वस्ती हो जानेसे, सामुदायिक सर्पत्तिके बढ़ जानेसे तथा आर्थिक और सामाजिक स्थितिमें परिवर्तन होनेसे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वह व्यक्तिवादके अनुकूल नहीं। इससे इन वर्षोंमें इसके विरुद्ध एक प्रबल प्रतिक्रिया (Reaction) शुरू हो रही है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक हक्सले महोदयका कथन है कि—“सभ्यताकी स्थिति जितनी ही ऊंची

पहुंची हुई होगी उतनी ही अधिक समाजके व्यक्तियोंकी एक दूसरेपर निर्भरता रहेगी। एक व्यक्तिके कार्योंका प्रभाव किसी न किसी अंश और रूपमें दूसरेपर पड़े बिना न रहेगा। ऐसी दशामें यह असम्भव हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसीकी स्वतन्त्रतामें कम ज्यादा बाधा पहुँचाये बिना कोई बुरा काम नहीं कर सकता। ऐसी हालतमें क्या यह बात नहीं कही जा सकती कि व्यक्तिवादियोंका कहना अधिकांशमें ठीक नहीं और किसी न किसी अंश या रूपमें राज्यकी आवश्यकता है।" ले नामक राजनीतिक विद्वानने भी ठीक ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। उसका कथन है "जैसे २ सभ्यताकी प्रगति होती जाती है, वैसे २ व्यक्ति एक दूसरेपर या समष्टिरूपसे यों कहिये कि समाजपर अधिकाधिक निर्भर होते जाते हैं। अतएव सभ्यताकी प्रगतिके परिमाणन राज्यका कार्यक्षेत्र भी बढ़ते रहना चाहिये। स्पेन्सर का व्यक्तिवाद आधुनिक समाजकी स्थितिमें उपयुक्त नहीं।

व्यक्तिवादियोंका यह कहना कि सर्वसाधारणकी भलाईके कामोंमें राज्याका हाथ अछूटा नहीं, इससे वैयक्तिक स्वतन्त्रतामें बाधा पहुँचती है, बहुत ही अल्पांशमें सत्य है। व्यक्तिवादके समालोचकोंका मत है कि हर एक मनुष्यके कार्योंपर योग्य शर्तों (Restrictions) रखनेसे सब लोगोंके स्वतन्त्र बढ़ते और व्यापक होते हैं, जैसे वृक्षोंमें कलम बाँधनेसे थोड़ेसे फलोंका मुकसान होता है पर अन्तमें अच्छे और बहुत फल उत्पन्न होते हैं। याने इससे आखिर लाभ हो जाता है। इसका यदा खूलासा

करना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्तिके कार्यमें उचित रोक रकनेसे सर्वसाधारणकी स्वतन्त्रता घटनेके बदले बढ़ती है। मान लीजिये कि सब व्यक्तियोंको पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी, उन्हें पूरे तौरसे स्वच्छन्द कर दिये। इसका परिणाम यह होगा कि कितने ही दुष्ट व्यक्ति दूसरोंके स्वत्वोंपर—उनके जानमालपर हमला करेंगे। समाजमें बड़ी अव्यवस्था हो जायगी और समष्टि-रूपसे सब व्यक्तियोंकी स्वतन्त्रतामें बेहद बाधा पहुचेगी। अतएव व्यक्तिके कार्यमें बुद्धिमत्तापूर्वक फ्रिस्ती न किसी अंशमें ऐसी रोक अवश्य होनी चाहिये, जिससे वह दूसरोंके स्वत्वोंपर या जानमालपर अन्यायपूर्वक आक्रमण न कर सके।

व्यक्तिवादियोंकी यह कल्पना भी निर्बल आधार रखती है कि राज्य स्वाधीनताका विरोधी है, राज्य और स्वाधीनता परस्पर विरोधसूचक शब्द हैं। राज्यका कार्यक्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वैयक्तिक स्वतन्त्रता कम होती जाती है, अर्थात् दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि शासनकी अधिकतासे वैयक्तिक स्वाधीनताकी कमी होती जाती है। वास्तविक बात तो यह है कि सुसङ्गठित और उदार राज्यके कार्योंसे व्यक्तियोंकी न केवल नैतिक, शारीरिक और धार्मिक योग्यता ही बढ़ती है, पर साथ ही सफल और स्वार्थी मनुष्योंके द्वारा उनके मार्गमें रखी जानेवाली बाधाये हट जानेसे उनकी स्वाधीनताका मार्ग भी खुला होता है और वे उस हमेशाके झगड़ेसे बचते हैं जो उन्हें राज्य न होनेकी हालतमें उन लोगोंसे करने

इते हैं जो अपने स्वार्थके लिये दूसरोंपर अकारण ही आक्रमण करते हैं।

व्यक्तिवादके विरोधी व्यक्तिवादियोंके इस कथनका खण्डन करते हैं कि सरकारी नियम और कानून व्यक्तिके चरित्रबल (Character) को निर्बल करते हैं। इनका (व्यक्तिवादके विरोधियोंका) कहना है कि यह बात ठीक नहीं। चरित्रबल (Character) का विकास केवल स्वाधीनताहोसे नहीं होता, उसके साथ साथ उचित संयमकी भी आवश्यकता है। व्यक्तिवादके विरोधियोंके मतानुसार यह बात भी ठीक नहीं कि सरकारका कार्यक्षेत्र बढ़नेसे वैयक्तिक स्वाधीनता कम होती है और मनुष्य निर्बल एवं परावलम्बी बनता है। परिपूर्ण रीतिसे विकास पाया हुआ मनुष्य वही है, जो सामाजिक है। समाजसे बिल्कुल अलग रहनेवाला या यों कहिये कि प्राकृतिक मनुष्य सम्य नहीं कहलाता। आजकल यह बात प्रायः सर्वमान्य है कि व्यक्ति अपने चरित्रके विकासके लिये समाजका बहुत कुछ ऋणी है।

व्यक्तिवादमें यह एक भारी दोष है कि वह राज्यनियमों (State regulations) की घुराइयोंको बहुत घटाकर तथा उसके लाभोंको घटाकर घतलाता है, वह स्वाधीनताकी वास्तविक प्रकृति और सोमाको समझनेमें गलती करता है। समाजके साथ व्यक्तिका जो सम्बन्ध है, उसके जाननेमें वह भूल करता है। वह समाजमे अधिक व्यक्तिको महत्त्व देना है। वह प्रायः यह मानकर चलता है कि समाजसे मानों व्यक्तिका सम्बन्ध नहीं-

हे, और वह समाजसे जुदा किया जा सकता है। उनकी घातों-से यह धारणा हुए बिना नहीं रहती कि व्यक्तिके हिताहित समाजके हिताहितसे भिन्न हैं। हम भी मानते हैं कि व्यक्ति केवल समाजका अंग (fraction) नहीं है। वह समाजका जीवन है। जिस प्रकार बिना व्यक्तियोंके, समाजका अस्तित्व नहीं, वैसे ही बिना समाजके मनुष्य मनुष्य नहीं, पर वह एक जगली जानवर है।

व्यक्तिवादी सरकारके कई दोषोंको, उनके द्वारा की गयी अनेक भूलोंको दिखलाकर सरकारपर अविश्वास प्रकट करते हैं। पर यह बात ठीक नहीं। यह समझना गलत है कि अमुक अमुक सरकारने भूतकालमें अमुक २ भूलें कीं या उसके अधिकारियोंने शक्तिका दुरुपयोग किया, इसलिये सरकारका अस्तित्व ही ठीक नहीं, भविष्यमें उनपर विश्वास करना अनुचित है। यह बात कहना तो ठीक वैसे ही है, जैसे यह कहना कि ग्युनिसिपैलिटीके द्वारा बनायो हुई गटरोंसे अगर कभी मोतीजराकी बीमारी फैल जावे तो यह कह देना कि गटर बनानेका रीति ही खराब है। सरकारोंने भूतकालमें जो भूलें की हैं, या वर्त्तमानमें वे जो भूलें कर रही हैं, उन्हें व्यक्तिवादी बहुत बढाकर दिखलाते हैं, वे उन सबोंको इकट्ठीकर उनकी प्रदर्शनी करनेका प्रयत्न करते हैं। हफनले महोदयका कथन है,—“राज्य काचके बने हुए महलमें रहता है। वह क्या करता है सो हम सब देखते हैं। उसकी सब असफलताये

सम्पूर्ण या असम्पूर्ण रूपसे दृष्टिगोचर हो जाती हैं और वे बहुत बढ़ाकर सामने लायी जाती हैं। इसके विपरीत खानगी लोगों-के काम ईंट और चूनेकी धीवारोंके अन्दर आश्रय पाते हैं। सर्व-साधारण शायद ही जान पाते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति क्या कर रहे हैं। हा, उनकी वे भूलें अलग-तथा प्रकट हो जाती हैं जो थडो गम्भीर होते हैं।” लाड पेमत्रोकका कहना है कि जिस प्रकार राज्यकी भूलें इकट्ठी कर दिखलाई जाती हैं, वैसे ही व्यक्तियोंकी दिखलायी जायें तो वे अधिक होंगी।

व्यक्तिवादी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जितनी अच्छी तरह अपना हिताहित समझ सकता है, उतनी अच्छी तरह राज्य नहीं समझ सकता। स्वतः व्यक्तिही अपने हितका सयसे अच्छा निर्णयकर्त्ता (Judge) हो सकता है। अगर व्यक्ति खुद अपने आपपर छोड़ दिया जाये तो वह अपने हितकी पूर्ति अच्छी तरह कर सकेगा। यह बात यद्यपि कुछ अशोभे मृत्य है पर सर्वाशमे सत्य नहीं। मिल, सिजविक जैसे व्यक्तिवादियों ने भी यह स्वीकार किया है कि वैज्ञानिक आविष्कारोंकी वृद्धिके कारण जैसे जैसे जीवनके सरजाम अधिकाधिक जटिल और दुष्कर होते जाते हैं, वैसे वैसे धर्मविभागकी दृष्टिसे भी आदमीको अपने जीवनोद्देशके साधन जाननेके अवसर कम होने जाते हैं, वैसे वैसे प्राकृतिक विकासके मार्ग रुकने जाते हैं और शक्तियोंका हास होना जाता है। एक वेल्जियम लेखकका कथन है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना हिताहित

स्वत्व और कर्त्तव्य भली प्रकार निर्णय कर सके और वही काम करे जो वस्तुतः उसे करना चाहिये तो फिर राज्यके हस्तक्षेपकी आवश्यकता ही उठ जायगी और हम पूर्ण स्वाधीनताके राज्यमें रहने लगेंगे। यद्यपि यह बात कई अंशोंमें ठीक है, पर क्या यह सम्भव हो सकती है? क्या अज्ञानी लोग उन भूतों और भयका प्रतिकार स्वतः कर सकते हैं, जिनसे वे अज्ञान हैं? अज्ञानताके कारण कहिये या और अन्य किसी कारणसे कहिये, कितने ही लोग अपने हिताहितको अच्छी तरह नहीं समझते, अतएव राज्यको उनके हितोंकी रक्षा करनी पड़ती है। बच्चेको टीका न लगानेसे उसके जानकी जोखिम है, इस बातको कितने ही मातापिता नहीं जानते या जानने हुए भी वे अपने बच्चेको टीका लगाना पसन्द नहीं करते। ऐसी दशामें उन बच्चोंके हितके लिये या यों कहिये कि समाजके हितके लिये सरकारको अनिवार्य टीका लगानेका नियम बनाना पड़ता है। कितने ही मातापिता शिक्षाके महत्वको नहीं समझते, वे अपने बच्चोंको पढ़ाना पसन्द नहीं करने तो क्या ऐसी दशामें यह कहा जा सकता है कि ये लोग अपने हितको अच्छी तरह समझते हैं? क्या ऐसी दशामें राज्यका यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह उनके उन हितोंको समझकर, जिन्हें वे अज्ञानताके तथा अन्य किसी कारणसे नहीं समझते हैं, अनिवार्य शिक्षाका नियम जारी कर दे? इसमें क्या घुसाई है? इसमें कौनसी स्वाधीनताका नाश होता है? शराप पीना घुसा है, इससे व्यक्तिकी शारी-

रिक्त और मानसिक शक्तियोंका ह्रास होता है, इसके भयङ्कर परिणाम सारे राष्ट्रपर पड़ते हैं। पर तोभी कितने ही लोग अज्ञानताके कारण कहिये या आदतके गुलाम होनेके कारण कहिये शराय उड़ाते हैं। किन्तु जो अपना कमाया हुआ धन इसमें खर्चा कर देते हैं। ऐसी दशामें व्यक्तियों और राष्ट्रके हितके लिये राज्य शराय रोकनेका कोई कानून बनावे तो इसमें क्या बुराई है ? और इसमें यह व्यक्तिकी स्वाधीनतामें कौनसी अत्याय पूर्ण बाधा डालना है ? मतलब यह है कि ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनमें व्यक्ति अपना हिताहित या तो अज्ञानताके कारण नहीं समझता है या समझता भी है तो अपने ऐहिक सुख और विषय लोलूपतामें उसे भुला देता है। ऐसी दशामें राज्य इसके हिताहितके कार्योंमें उचित निगाह रखे तो इसमें क्या अनुचित है ?

साम्यवाद ।

साम्यवाद उस सिद्धान्तका नाम है जो वर्त्तमान राजनीतिक और औद्योगिक वस्तु स्थितिमें आवश्यक परिवर्त्तन द्वारा आर्थिक असमानताको दूर करना चाहता है। देखते हैं, कि इस ससारमें एक ओर तो लक्षपति और करोडपति अनुपमेय विलासिताका जीवन व्यतीत करते हैं, और दूसरी ओर हजारों गरीब घोर दरिद्रता और अन्धकारमें अपने दुःखमय जीवनको बिता रहे हैं। एक ओर तो लोग स्वरटायर गाडियोंमें और मोटरोंमें ठे आनन्दसे सुबह और शाम हवा खाने जाते हैं और दूसरी

ओर करोड़ों अमागे पेटज्वालासे जलते हुए जेठकी कडी धूपमें नगे सिर और नंगे पैर डोलते फिरते हैं। एक ओर तो कुछ लोग तरह तरहके पकवान उडाते हैं और दूसरी ओर लाखों करोड़ों लोग भूखके मारे तडप तडपकर प्राण देनेमें धाध्य हांते हैं। एक ओर तो कुछ लोग खसकी टट्टियोंके भीतर पडे पडे आराम से खराटे लेते हैं और दूसरी ओर बेचारे लाखों करोड़ों मनुष्यों को बैसाखकी जलतो हुई लूममें सेतों और खलियातोंमें काम करना पडता है। एक ओर तो कुछ धनिक अफसर, या राजा और महाराजा नाच मुजरो, विवाह शादियों, उत्सवों और दाव तोंमें पानोकी तरह रुपया नष्ट करते हैं दूसरी ओर लाखों करोड़ों मनुष्योंको अपनी या अपने बाल बच्चोंकी शिक्षा, अपनी शक्तियोंके विकास और अपनी कार्यक्षमता बढ़ानेके लिये भी साधन प्राप्त नहीं होते। अपनी गरीबीके कारण वे अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति नहीं कर सकते। धनहीनता उनकी वृद्धिमें रुकावट डालती है। उनकी शक्तिया अविकसित रह जाती हैं और वे इस ससारसे अकालहीमें कूच कर जाते हैं। अकाल और महामारिया सदा उनके लिये मुंह बाये पडी रहनी हैं। उनकी मृत्युसख्या धनिकोंसे तिगुनी होती है। उन्हें पापी पेटकी ज्वाला शान्त करनेके लिये नाना प्रकारके अपराध और पाप करनेको, आत्माका इनन और दण्ड भोगनेको विवश होना पडता है। दिन रात कठोर परिश्रम करनेपर भी गरीबों को नारकीय यन्त्रणाएँ सहनी पडती हैं और अमीर बिना हाथ

पैर हिलाये ही स्वर्गीय सुखोंका भोग करते हैं। यह सब किस लिये ? इसलिये नहीं कि वे मनुष्य नहीं, उनके हाथ पाँव या बुद्धि नहीं, पर केवल इसलिये कि एक धनी है और दूसरा निर्धन। साम्यवादी ऐसी दुरवस्था उत्पन्न करनेवाली राजनीतिक और औद्योगिक परिस्थितियों, सामाजिक यन्त्रों और अडचनोंमें सुधार करना चाहते हैं। प्रोफेसर एली महोदयका कथन है कि साम्यवादी वे हैं जो समाजका इस तरह संगठन करना चाहते हैं जिसमें वर्तमान आर्थिक असमानता दूर हो जावे और मनुष्य-समाजका सामुदायिक रूपसे आर्थिक विकास हो। सारांश यह है कि साम्यवादी वे हैं जो उस समाज-सङ्गठनको और राज्यप्रणालीको चाहते हैं जिसमें कि उद्योग धन्योंका स्वामित्व व्यक्ति या व्यक्तियोंके हाथमें न रहकर सारी जनता या जनतासे बनी हुई सरकारके हाथमें रहे।

जहां व्यक्तिवादी राज्यके कार्यक्षेत्रका केवल शान्तिरक्षा तक ही परिमित रखना चाहते हैं, वहां साम्यवादी राज्यके कार्य क्षेत्रको हर बातमें विस्तृत करना चाहते हैं। उनका मत है कि राज्यका कार्य केवल शान्तिरक्षा या शासनप्रबन्ध करना ही नहीं है पर लोगोंकी आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक आवश्यकताओंकी पूर्ति करना भी है। कितने ही साम्यवादिओंके मतानुसार राज्यका यह कर्तव्य है कि वह प्रजाके मनुष्योंको योग्य कार्य मिलनेकी ग्यारंटी दे, आवश्यकता पडनेपर उन्हें बिना व्याजके रुपये दे, उनके लिये आरोग्यशाली घर बनाने, उनके लिये

स्वसाय करे तथा उनके आराम और सुभीतेके लिये हर प्रकार का प्रबन्ध करे। अमेरिकाके संयुक्तप्रदेशके कई साम्यवादियोंने अपने राष्ट्रीय प्लेटफार्मपर यह कहा था कि सब प्रकारके माल उत्पन्न करनेके यन्त्र, खानें, रेलवे, तार, टेलीफोन, गैसवर्क्स, नहरें आदि सबपर राष्ट्रीय सरकारका अधिकार रहे। ये सब सर्वसाधारणकी जायदाद समझी जावें। इनके नफे नुकसानमें सर्वसाधारण हिस्सेदार हों। किसी आविष्कारके लाभपर किसी व्यक्ति-विशेषका अधिकार न रहकर सर्वसाधारणका रहे। राष्ट्रीय सरकार गरीब लडकोंके लिये अन्न, वस्त्र और पुस्तकों का प्रबन्ध करे तथा शिक्षाका मुफ्त और अनिवार्य प्रचार करे। बेरोजगारियों और निष्ठलोंके लिये योग्य मजदूरी या कामका प्रबन्ध करे।

साम्यवादके पक्षमें जो दलीलें दी जाती हैं उनमें मुख्य ये हैं कि आजकलके आर्थिक संगठनमें मजदूरोंको-गरीबोंको-अपने परिश्रमका योग्य फल नहीं मिलता, इनके परिश्रमका अधिकांश भाग पू जीवाले हडप कर जाते हैं। इन घेचारोंको बहुत कम मिलता है। पू जीवाले दलाल या कारखानोंपर देखरेख करने वाले मनुष्योंकी जेबें तो खूब भर जाती हैं और दिन रात कडा परिश्रम करनेपर भी घेचारे ये दरिद्राके दरिद्री ही बने रहने हैं। मतलब यह है कि साम्यवादियोंके मतानुसार आजकलका आर्थिक संगठन घनघन या पू जीवालोंके लिये ही लाभकारक है। इसमें अर्थके घटवारेकी घटी असमानता है। इसमें ऊँचे

बठनेके जितने बवसर धनवानोंको हैं, उनके शताश भी सम्पत्तिके असली उत्पादक मजदूरोंको नहीं हैं। इस आधुनिक आर्थिक सङ्गठनमें धनवानोंके पास मजदूरोंको लूटनेके अनेक साधन हैं। जब लाखों मजदूरोंके गलेपर छुरी चलती है तब एक आदमी करोड़पति होता है। इन सब स्थितियोंको देखकर साम्यवादी कहते हैं कि संसारके सबसे अधिक मनुष्योंके सबसे अधिक हित और कल्याणके लिये (Greatest good of the greatest number) यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राज्य जमीन और पू जी-पर तथा पैदाइश (Production) के साधनोंपर अधिकार कर ले। इससे आज लाखों करोड़ों जनताका जो लाभ मुठ्ठी-मर पू जीवाले खा जाते हैं वह नारो जनताको मिलना रहेगा और समाजमें आज जो भयङ्कर विषमता दिखाई देती है वह नहीं रहेगी।

आजकल व्यक्तिवादके भावोंके कारण इतनी भयङ्कर प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जो लोग औद्योगिक या साम्पत्तिक दृष्टि से निर्बल हैं उनकी कहीं दाद नहीं लगती। उनके लिये सफलताके बहुत कम साधन हैं। वे कितने ही योग्य होनेपर भी धनवानोंके मुकाबलेमें खड़े नहीं हो सकते। इस स्थितिमें गरीब तो अधिक गरीब होते जाते हैं और धनवान अधिक धनवान होते जाते हैं। अर्थात् दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि आधुनिक आर्थिक सङ्गठन भरको अधिक भरता है और आलोको और भी खाली करता है। साम्यवादियोंका कहना

है कि इन्हीं सब खराबियोंसे साम्यवादकी उत्पत्ति हुई है और न्याय तथा सत्यपर इसकी नींव पड़ी हुई है। उनका कथन है कि भूमि, खनिज धातु आदिपर सबका एकसा अधिकार होना चाहिये। ये सब ईश्वर-प्रदत्त हैं, जो सारी मनुष्य-जातिको दी गयी हैं। जिस प्रकार वायु, सूर्यप्रकाश और जलपर सबका एकसा अधिकार है वैसे ही इनपर भी होना चाहिये।

आधुनिक आर्थिक सङ्गठनमें जिस प्रकारकी प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें निर्बलोंका तो पूरी तरह घात होता है। इस अनियमित प्रतिस्पर्धासे एक ओर वेतनकी कमी होती जाती है और दूसरी ओर बेरोजगारियोंकी संख्या बढ़ती जाती है। इस स्थितिसे समाजकी सामुदायिक रूपसे जो हानि होती है, वह अवर्णनीय है। अगर यह स्थिति ज्यों की त्यों चलती रही तो संसारकी सभ्यताको नाशकारी धक्का पहुँचेगा। संसारकी इस आनेवाली भयकर स्थितिसे रक्षा करनेके लिये साम्यवादी संसारमें रही हुई भयंकर आर्थिक विषमताको मिटाना ही एकमात्र रामबाण उपाय समझते हैं। वे कहते हैं कि इसके लिये प्रतिस्पर्धाका अन्त कर उसके स्थानपर सहकारी तत्त्व (Cooperative principle) को स्थान देना चाहिये। इस सहकारी तत्त्व से लोगोंको अपनी उन्नतिके लिये समान अवसर मिलेंगे। इससे वैयक्तिक चरित्र और बलका अपूर्व विकास और सच्ची स्वाधीनताका आविष्कारण होगा। आजकलकी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा जडवाद (Materialism) और अप्रमाणिकताको जन्म देती

। इससे वैयक्तिक चरित्र (Individual character) की दृष्टि (Standard) गिरती है । मानवीय स्वभाव निसर्गत हो निर्धूल है, भ्रष्टाचार और घट्ट सहजनता प्रवृत्त हो जाता । और आधुनिक आर्थिक विपत्तता उसे और भी अधिक घट्ट करती है । अतएव राज्यका आद्यकर्त्तव्य है कि वह मनुष्यकी इन गतयकर घुराईयोंसे रक्षा करे और उसे योग्य मार्ग दिखलावे ।

साम्यवादका सिद्धान्त राज्यके सावयव सिद्धान्तसे बहुत दूर मेल घाता है । जिस प्रकार सावयव सिद्धान्त यह प्रतिपादित करता है कि समाज एक शरीर (Organism) है, जिममें प्रत्येक अंगको सारे शरीरके लिये काम करना पडता है, वैसे ही साम्यवादके मतानुसार व्यक्तिको अपने वैयक्तिक लाभकी लपेक्षाकर सारे समाजके लिये काम करना चाहिये, अर्थात् साम्यवाद सयसे अधिक मनुष्योंके नवसे अधिक हितकी घोषणा करता है ।

साम्यवादी कहते हैं कि राज्यने कई क्षेत्रोंमें प्रतिस्पर्धाका नाशकर उसके स्थानमें सरकारी तन्त्रकी स्थापना कर दी है । परकार पोस्टका इन्तजाम करती है, सिषके ढालती है और भी कई प्रकारके काम करती है । इसमें उसे सफलता भी हुई है । इन्ही प्रकार सरकार सब औद्योगिक काम अपने हाथमें लेकर संगठिन क्यों नहीं करती ? क्यों नहीं वह ऐसा प्रबन्ध करती जिससे ससारके उद्योग धन्धोंकी नींव न्याय और सत्यपर पड कर प्रत्येक मनुष्यको अपने परिश्रमका योग्य फल मिले । सामु-

दायिक स्वामित्व और व्यवस्था पूर्णरूपसे प्रजातन्त्रके सिद्धान्तों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दोंमें यों कह लीजिये कि इसका पाया नैतिक और परोपकारी तत्त्वोंपर जमा हुआ है। इससे समाजमें न्यायतन्त्रका विकास होकर वैयक्तिक और सामाजिक अभिवृद्धिको बड़ी सहायता मिलेगी।

साम्यवादकी समालोचना ।

अबतक वेही बातें कही गयी हैं, जो साम्यवादके पक्षकी हैं। अब उन बातोंको भी सुन लीजिये जो इसके विरुद्ध कही जाती हैं। जो लोग साम्यवादके विरोधी हैं उनका कहना है कि साम्यवाद मानवी प्रकृतिके अनुकूल नहीं। वह अव्यवहार्य और अधिकांशमें असम्भव है। अगर यह भी मान लिया जावे कि भूमि, कारखाने, उद्योगधन्धे आदिके वैयक्तिक स्वामित्वकी जगह समाज या राष्ट्रीय राज्यका स्वामित्व स्थापित किया जाना सम्भव भी हो जावे तोभी इससे लाभके बदले हानि अधिक है। इससे मानवीय परिश्रम, मानवीय बुद्धि और मानवीय प्रतिभाका विकास करनेवाले साधनोंका नाश हो जायगा। मनुष्य किसी न किसी स्वार्थको लिये हुए कार्य करता है। जैसे जैसे उसे अपने कार्यमें अधिकाधिक सफलता होती जाती है वैसे वैसे वह अधिकाधिक उत्साहसे काम करता है। इससे उसकी बुद्धि, प्रतिभा, कार्यकर और प्रवर्तक शक्तिको अपूर्व उत्तेजना मिलती है। अगर मनुष्यको अपने किये हुए परिश्रमका, अपनी बुद्धि और प्रतिभाके उपयोगका फल न मिलेगा, तो वह पूर्ण

परिश्रम क्यों करने लगेगा? क्यों वह अपनी त्रिविकशक्तिको नष्ट करेगा। मानवीय प्रकृतिमें यह बात नहीं है कि वह जपरदस्ती दूमरोंके लिये काम करना पसन्द करे। इससे मनुष्यकी कार्यकारी शक्तिको घटा पहुँचता है, उसकी प्रवर्तक शक्ति (Incentive power) का ह्रास होता है।

दूसरी बात यह है कि ससारमें कमी पूर्ण समानता स्थापित नहीं हो सकती। यह बात प्रकृतिके नियमके खिलाफ है। दो वृक्षोंके फल समान रूपसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। दो पशु या दो मनुष्य बुद्धि, प्रतिभा या योग्यतामें समान नहीं हो सकते। थोड़ी बहुत विषमता रहती ही है। उग्र साम्यवाद प्रकृतिके नियमके खिलाफ है। निरक्षर और विद्वान, मूर्ख और बुद्धिमान, अल्पमति और प्रतिभावान, आलसी और परिश्रमी मनुष्यकी बराबरी कैसे हो सकती है? अगर इस प्रकारकी बराबरी करनेका प्रयत्न किया जायगा तो बड़ा थन्याय होगा। इससे मनुष्यकी उन शक्तियोंको घटा पहुँचेगा जो ससारकी सम्यक्ताका जीवन हैं। दूसरी बात यह है कि जबतक मनुष्यकी प्रकृति वैसी ही बनी रहेगी, जैसी कि वह इस वक्त है तबतक साम्यवादकी पूर्ण सफलता होना कठिन है। इन्हीं सब बातोंका रूपालंकार कुछ साम्यवादियोंने अन्य सिद्धान्तवादियोंके साथ समझीता कर ये बातें निश्चित की हैं —

१—प्रत्येक मनुष्यको अपनी आवश्यकतानुसार द्रव्य मिलना चाहिये।

२—प्रत्येक मनुष्यको अपने परिश्रमके अनुसार द्रव्य मिलना चाहिये ।

३—प्रत्येक मनुष्यको अपनी योग्यताके अनुसार द्रव्य मिलना चाहिये ।

इन लोगोंका कहना है कि जय मनुष्यकी आवश्यकता, परिश्रम और योग्यता तीनों बातोंका ख्यालकर द्रव्यका बटवारा होगा तब वे सब कठिनाइयां दूर हो जायगी जो अभी सामने लायी जा रही हैं । पर इसपर भी यह दलील की जा रही है कि मनुष्यकी आवश्यकता, परिश्रम और योग्यता किस पैमानेसे मापी जायगी । इस प्रकारकी कितनी दलीलों की जगती हैं जो साम्यवादके विरुद्ध कही जाती हैं । साम्यवादके कई भेद हैं । उनमेंसे कुछपर हम अगले अध्यायमें विचार करेंगे ।

अराजकवाद ।

अराजकवाद शब्द ही अपने उद्देश्यको स्पष्ट कर देना है । इसका सिद्धान्त है कि समाजपर किसी प्रकारका भीनरी या याहरी नियन्त्रण न होना चाहिये । यह सिद्धान्त नवीन नहीं, जबसे मनुष्यके, मनमन्दिरमें स्वाधीनता देवीका आह्वान होने लगा है, जबसे मानवहृदय स्वाधीनताकी-भ्रकारसे गू जने लगे हैं, तभीसे इसका अस्तित्व प्रकट हुआ है और इसी कारण, ससारका कोई भी देश इसकी कल्पनासे वंचित नहीं । इस सिद्धान्तके प्रसिद्ध प्रवर्तक प्रोढनका कथन है कि एक व्यक्तिका दूसरे

व्यक्तिपर शासन करना घोर अन्याय है। आगे यही फिर कहता है कि "समाजकी घास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब अराजकता और सुव्यवस्था परस्पर एकत्रित हो जाय।"

राजकीय दृष्टिसे यह अराजकवाद अति प्राचीन है। परन्तु इसके आधुनिक स्वरूपमें राजकीय सिद्धान्तोंके साथ साथ कुछ साम्यतिक सिद्धान्तोंका भी समावेश हो गया है। इसके साम्यतिक सिद्धान्तोंके अनुसार समाजकी भावी व्यवस्थामें जमीन एवं उद्योग धन्धोंके साधनोंका स्वामित्व वैयक्तिक न रहकर सामुदायिक रहना चाहिये। इसी कारण अराजकवादको साम्यवादका एक अङ्ग भी कह सकते हैं।

प्राचीन साम्यवादियोंने अपने ग्रन्थोंमें इसका विवेचन किया है अत्रश्य, पर स्वतन्त्ररूपसे इस सिद्धान्तकी घोषणा एवं प्रचार करनेवाला घाकुनिन नामक एक रूसी नेता था। उसके सिद्धान्त साम्यवादी सिद्धान्तके पुरोगामी स्वरूप कहे जा सकते हैं। घाकुनिनके विचारोंके अन्तर्गत आदिसाध्य और अन्तिम साध्यमें कोई अन्तर नहीं, अतः इसके बहुतसे विचार अव्यवहार्य समझकर छोड़ दिये गये हैं।

अराजकवादपर कुछ कहनेके पूर्व उसके सस्थापकके जीवन सम्बन्धी कुछ घटनाओंका उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि उसके विचारोंके साथ उसके जीवनका विलक्षण साम्य है। इसका सारा जीवन साम्यिक शासनसे युद्ध करनेमें ही व्यतीत हुआ। रूस जैसी एकतन्त्री और अनियन्त्रित भूमिपर सारी

शासनसत्ताके विरोध करनेवाले किसी महापुरुषका जन्म होना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं। यह तो प्रकृतिका नियम ही है कि जहापर जितना ही भयानक रोग होगा, औषधि भी वहा उतनी ही चमत्कारिक होगी।

बाकुनिनका जन्म १८१४में रूसके एक उच्च कुलके अन्तर्गत हुआ था। शिक्षा समाप्त होनेपर उसने तोपखानेके एक अफसरकी हैसियतसे सैनिक विभागमें प्रवेश किया था। उन दिनों यह पद बहुत श्रेष्ठ समझा जाता था और कुछ खास खास आदमियोंको छोड़कर बाकीको मिलना असम्भव था। नियुक्त होते ही वह पोलैंड भेजा गया। उस समय पोलैंडकी प्रजापर रूसी सरकारके राक्षसी अत्याचार होते देख उसके हृदयपर गहरी चोट पहुंची और उसने किसी भी तरह ऐसी अत्याचारी सरकारसे सहयोग रखना उचित न समझकर तुरत अपने पदसे इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात् कुछ समयतक वह मित्र मित्र विषयोंके अध्ययनमें सलग्न रहा। सन् १८४७ में वह पेरिस गया, जहापर कि प्रोढनसे उसकी मित्रता हो गयी और उसने उसीसे सामाजिक अराजक पथके सिद्धान्तोंकी दीक्षा ली।

सन् १८४८ में जब सारा यूरोप क्रान्तिकी भारी लहरसे काप उठा था, बाकुनिनको अपने विचारोंके अनुसार कार्य करनेका अच्छा अवसर मिला। वह तन, मनसे उस क्रान्तिमें सम्मिलित हो गया। सेक्सनीके ड्रेस्डेन नामक नगरमें जो उपद्रव हुआ था, उसमें उसका पूरा हाथ था। प्रारम्भमें उपद्रवकारियोंकी विजय

हुई और कुछ समयतक वे उसपर स्वतन्त्र प्रजातन्त्र स्थापित कर शासन करते रहे। पर कुछ ही समय पश्चात् प्रशियन सरकारकी सेनाने उस नगरपर चढ़ाई की। यद्यपि बाकुनिन प्रोत्साहित करनेपर वज्रवाश्योंने उस फौजका सामना किया, अन्तमें वे पराजित हुए। बाकुनिन शत्रुके हाथ गिरफ्तार हुए और आठ वर्षतक कठिन कारावासमें फंसे उठाता रहा। सन् १८५० में प्रशियन सरकारने उसे फासीकी सजा दी, लेकिन उसी समय आस्ट्रियाकी सरकारने उसे माग लिया और पाठ महीने पश्चात् वह आस्ट्रियाके सुपुर्द कर दिया गया। आस्ट्रिया सरकारने भी पहले तो उसे फासीका हुपम दिया, पर बाद उस आदमीको बदलकर आजीवन कारावासका दण्ड दिया। आस्ट्रियाके कारावासमें उसे घोर यन्त्रणाएँ सहनी पड़ीं। उसका हाथ पैर भारी जंजीरोंसे जकड़ दिये गये थे। गलेमें भी एक वजनदार जंजीर डाली गयी थी, जिससे वह कई बार खम्भोंसे बाधा गया। कुछ महीनोंके पश्चात् रूसी सरकारने उसे माग लिया, जिससे वह शीघ्र ही रूस भेजा गया। वहाँ भी वह कष्टोंसे खाली न रहा। यहातक कि बीमारीके मारे उसके सब दांत गिर पड़े और पाचनशक्ति धिगड गयी। यद्यपि इन सब यन्त्रणाओंके उसका शरीर कुश हो गया था, पर मन वैसा ही गभीर, अटपट पक्ष लिपही बना हुआ था। जेलखानेमें भी उसे हमेशा यह चिन्त लगी रहती थी कि "कहीं मेरे अन्त करणकी यह द्वेषवृत्ति चुस न हो जाय। वह अग्नि जो उस शासनसत्ताको भस्

करनेके लिये प्रज्वलित हुई है बुझ न जाय । अत्याचारियोंके प्रति कहीं दया उत्पन्न न हो जाय ।” पर उसकी यह विज्ञप्ति निर्मूल थी, उसका वह निश्चय एक क्षणके लिये भी विचलित न हुआ । जिस उद्देश्यको लेकर वह जेलमें प्रविष्ट हुआ था, उसीके साथ वह वहांसे बाहर निकला ।

जिस समय वाकुनिन जेलखानेमें था उसी समय जारनिकोलसका स्वर्गवास हो गया और द्वितीय एलेक्जेंडर सिहासना रुढ़ हुआ । वह कुछ उदार स्वभावका था । उसने कई राजनीतिक केंद्रियोंको मुक्त कर दिया । यद्यपि उस रिहाईको सूचीमें वाकुनिनका नाम भी था पर जारने उसे अपने हाथसे काट डाला । जब पुत्रशोकसे विह्वल वाकुनिनकी माताने वाकुनिनकी मुक्तिके लिये जारसे प्रार्थना की तब जारने उसके उत्तरमें यही कहा कि वाकुनिनको छोड़ना खतरनाक है, सरकारसे द्वेष करनेके कारण वह जेलमें ठूसा गया है, पर आश्चर्य है कि अभीतक उसके भावोंमें लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ ।

सन् १८५७ में वह साइबेरिया भेज दिया गया । सौभाग्यसे वहाका गवर्नर उसका सम्बन्धी था जिसके कारण वह वहा बड़े आरामसे स्वतन्त्रतापूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगा । चार वर्षतक वहा रहनेके उपरान्त वह वहासे भाग गया और कई प्रकारके कष्ट सहन करता हुआ अमेरिका होकर १८६१ में इंग्लैण्ड पहुँचा । तदनन्तर उसने अपना सम्पूर्ण जीवन अपने मतका प्रचार करनेमें ही व्यतीत किया । पर फिर भी उसे

जैलकी हवा खानी पड़ी। सन् १८६७ में उसने "प्रजा सत्तात्मक साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय समिति" (International alliance of Socialist Democracy) स्थापित की। यीथमें कुछ समय-तक वह इटलीमें भी रहा था। उसने वहापर मेजिनोके विरुद्ध मजदूर लोगोंकी अन्तर्राष्ट्रीय चेन्नका उपदेश दिया था। वहा उसने एक समिति भी स्थापित की थी। सन् १८६६ में वह मार्क्सके अन्तर्राष्ट्रीय सघमें सम्मिलित हो गया।

इसके दूसरे वर्ष फ्रैंच-जर्मन-युद्धमें जय दूसरे नेपोलियनकी बादशाहतका अन्त हो गया तब उसने लियान्समें पेरिसके कम्यूनके समान प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणाली स्थापित करनेका प्रयत्न किया पर उसमें वह असफल हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय सघमें भी उसके उग्र विचारोंके कारण लोग उसके विरुद्ध थे। अन्तमें सन् १८७२ में वह मताधिक्यसे सघके बाहर कर दिया गया। यद्यपि कैंदपानेके असह्य कष्टोंके कारण उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड गया था, पर तोभी उस महापुरुषने अपने सकल्लोका प्रचार करनेमें तनिक भी आलस्य न किया। मरते दम तक वह उसमें प्रयत्नशील रहा। इस प्रकार अपने जीवनकी लोकसेवाकी वेदीपर अर्पित कर यह महात्मा क्रान्तिकारियोंकी आश्रयभूमि स्विट्जरलैंडके वन नगरमें स्वर्गगामी हुआ।

बाहुनिगने "इश्वर और राष्ट्र" (God and the State) नामक एक ग्रन्थ लिखा है। उसकी प्रस्तावनामें उसके दो अमिन्न-हृदय मित्र "कैफिरो" और "पेलिसी" लिखते हैं —

“बाकुनिनके शत्रु और मित्र सभी लोग इस बातको भली प्रकार जानते हैं कि अद्भुत विचारशक्ति, दृढ निश्चय और अपूर्व कार्योत्साह आदि गुण इन महापुरुषमें कूट कूटकर भरे हुए थे। सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि क्षुद्र लाभोंको, जिनको प्राप्त करनेके लिये जनसमाज दिनरात व्यग्र रहना है, इसने हमेशा घृणाकी दृष्टिसे देखा है। उसके ऊँचे कुलमें जन्म लेनेपर भी उसने पेश आराम, स्वार्थ आदि अधगुणोंसे अलग रहकर समाजको निर्दोष करनेका बीडा उठाया था। क्षणभरके लिये भी उसने कभी अपने सुख और स्वार्थकी ओर दृष्टिपात नहीं किया। अपने जीवनमें देशत्याग, कारागृहवास आदि अनेक कठिनाइयोंका सामना करनेपर भी वह अपने उपदेशसे विचलित न हुआ।

बाकुनिनका सारा जीवन अस्वस्थताहीमें व्यतीत हुआ, इसी कारण उसे अपने मतका विस्तृतरूपसे विवेचन करनेको समय ही न मिला। उसका यही एक ग्रन्थ (ईश्वर और राष्ट्र) प्रकाशित हुआ, और वह भी अधूरा। बाकुनिनने भी एक बार यह लिखा था कि, “मेरा जीवन ही अधूरा है।”

बाकुनिनके विचार अत्यन्त पुरोगामी और क्रान्तिकारक थे। हर एक प्रकारकी ग्राह्यमत्ताका वह कट्टर विरोधी था। वह ईश्वरसे लेकर छोटीसे छोटी शक्तियों एवं समस्त आदर्श व्यवस्थाओंको अस्वीकार करता था। वह कहता है कि सृष्टिके नियमोंका पालन करने ही पर मनुष्यकी स्वतन्त्रता रक्षित रह

सकती है। क्योंकि प्रकृतिके इन नियमोंको वह स्वयं ही स्वीकार करता है। मानवीय या ईश्वरीय किसी भी कारणसे और आदमी और पराई इच्छासे उन नियमोंको स्वीकार करनेके लिये वह बाध्य नहीं। ये नियम तो अपनी इच्छासे ही बनाये गये हैं, पापुनिके मतमें उपरोक्त नियमोंके द्वारा समाजके व्यक्तिस्वा-
 यि सम्बन्धी प्रश्न सहज ही हल हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्तिको तृष्टिनिरीक्षण और शास्त्राभ्यासके द्वारा प्रकृतिके नियमोंकी जानकारी प्राप्त करके संसारमें उसका प्रचार करना चाहिये। समाजका प्रत्येक व्यक्ति जब इन नियमोंको जान लेगा तब वह उनका पालन करेगा। मनुष्य सृष्टिका एक अंग है, अतः ये प्रकृतिके नियम उसके जीवनके नियम कहे जा सकते हैं जिनका पालन करना उन्मङ्ग स्वभावका एक धर्म है। इन प्रकार जब प्रकृतिके नियमोंका पालन होने लगेगा, तब सब प्रकारके नियमन, कानून और राज्यसत्ता आदिकी आवश्यकताएँ नष्ट हो जायगी।

समाजके भिन्न भिन्न विभागों और उन विभागोंके पदाधिकारियोंका नाम मिटना जरूरी है। इन अविकारोंसे समाजके एक समुदायके लोगोंकी दूसरे समुदायपर अत्याचारपर अनुचित लाभ उठानेका अवसर मिल जाता है और इससे उनकी शुद्धि और मनोवृत्ति दूषित हो जाती है।

पापुनिकका कथन है कि सत्तासे सब धर्म उठा दिये जाय और मानवीय हृदयोंमें पारलौकिक और ईश्वरीय न्यायके स्थानपर मानवन्यायकी स्थापना हो। नये प्रकारकी विवाहप्रथा तोड़

दी जाय। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिसे बननेवाली सब जातिया और वर्ग तोड़ दिये जाय। प्रत्येक मनुष्यके चाहे वह स्त्री हो या पुरुष एक बराबर रखे जायं। उत्तराधिकारकी प्रथा नष्ट कर दी जाय। भूमि, श्रमके साधन, तथा सब प्रकारकी पूजा समाजके स्वामित्वमें रखी जाय, और स्वेच्छाप्रेरित मजदूरोंको उसका उपयोग करने दिया जाय। प्रत्येक श्रमजीवीको उसके परिश्रमका बदला मिलना आवश्यक है। भिन्न भिन्न राष्ट्रोंमें श्रमजीवियोंके अन्तर्राष्ट्रीय सघ स्थापित किये जाय और उनमें पारस्परिक प्रेम बढ़ाकर उद्योग धंधोंकी आवश्यक व्यवस्था की जाय। इस प्रकार लोगोंके हृदयमें स्थित मिथ्या देशाभिमान और परराष्ट्रोंके प्रति द्वेषभाव दूर कर दिया जाय, जिससे सारे ससारके श्रमजीवी मिलकर एक हो जायं।

इन उद्देशोंकी पूर्तिके लिये याकुनिनने जिन उपायोंकी योजना की है वे बहुत ही क्रांतिकारक हैं। भविष्यमें उसके उद्देशोंकी सिद्धिमें जो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएँ बाधक हो सकती थीं उन सबको वह नष्ट कर देना चाहता था। उसका कथन है कि इस कार्यमें लगे हुए व्यक्तिको अपने वैयक्तिक हित, कोमल मनोभावना, धर्मविचार, राष्ट्रभिमान, या नीति-कल्पनाके कारण उससे कदापि परावृत्त न होना चाहिये। उसका उद्देश सदा यही होना चाहिये कि समस्त साध्य उपायोंसे अस्तुत समाजको बिलकुल नष्ट कर दिया जाय। उस कार्यमें यदि दुष्टताका भी उपयोग करना पड़े तो करनेमें नहीं हिचकना

चाहिये । इस विध्वंसके पश्चात् जो व्यवस्था होगी, वह लोगोंके कार्यों और भावोंके अनुसार होगी । परन्तु उसका निर्णय आनेवाली पीढ़िया स्वयं ही कर लेंगी ।

रूसमें बहुतसे लोग बाकुनिनके अनुयायी हो गये । यूरोपके दक्षिणी भागमें भी साम्यवाद-सम्बन्धी आन्दोलनपर इसके विचारोंका प्रभाव पडा । १८७३ में स्पेनमें तत्कालीन समाज-पद्धतिके विरुद्ध जो घलये हुए थे वे इसीके कारण हुए थे । उसकी मृत्युके पश्चात् उसके अनुयायी फ्रांसमें उसके उद्देशोंका प्रचार करने लगे । इसी समय फ्रांसकी एानोंके मजदूरोंने दगा किया, जिससे पुलिसने कई अराजकतादियोंको गिरफ्तार किया । इन कैदियोंमें विख्यात प्रिन्स क्रोपाट्किन भी था ।

अराजकताके सम्बन्धमें प्रिन्स क्रोपाट्किनके ग्रन्थ आज तक प्रमाणभूत माने जाते हैं । उसके "अनार्किस्ट कम्युनिजम" और "फोल्ड, फैक्टरीज एण्ड घकेशाप" नामक ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं । इन ग्रन्थोंमें उसके विचारोंका विस्तृत विवेचन किया गया है ।

प्रिन्स क्रोपाट्किनका जन्म रूसके एक बहुत उच्चकुलमें हुआ था । यहातक कि उसके मित्र कहा करते थे कि रूसके सिंहासनपर जारकी अपेक्षा उसके कुलका विशेष अधिकार है । उसका स्वभाव प्रेमपूर्ण और अन्त करण कोमल था । बाल्यकालमें राजदरबारमें रहनेसे वह राज्यपद्धतिसे बहुत परिचित हो गया था और इसी कारण तत्कालीन राज्यपद्धतिसे वह घणा

करता था। भौतिक एवं कृषिशाल्यसे वह भली प्रकार परिचित था। कारखानेकी अन्तर्व्यवस्था भी उससे छिपी हुई नहीं थी।

उसका पिता गुहामोंका मालिक था, इसलिये वह बाल्यकालसे ही ऐसे दृश्य देता करता था जो टॉम काकाकी कृदिया (Uncle Tom's Cabin) में पढ़नेको मिलत है। दासोंके साथ जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किये जाते थे उन्हें देख कर उसके हृदयमें दयाका स्रोत उमड़ आता था। सोलह वर्षकी अवस्थासे उसे राजकीय परिसेवकों (Pages) की शिक्षा मिलने लगी। घरके अन्दर रहकर उसने दीनों और अनाथोंके प्रति प्रेम करना सीखा था, अब राजदरवारमें रहकर उसने बर्बर आदमियोंके प्रति घृणा करना सीखा। उसने अपने मनमें निश्चय कर लिया कि रूसी दमनकारक सरकारसे सेना और शासनके विषयमें किसी तरहके सुधारकी आशा रखना बिल्कुल व्यर्थ है। उसके पश्चात् कुछ दिनोंतक वैज्ञानिक विषयका अध्ययन करके वह साम्यवादके आन्दोलनमें सम्मिलित हो गया।

हम ऊपर लिख आये हैं कि क्रोपाट्किन अच्छा ग्रन्थकार भी था और उसने कई ग्रन्थ भी लिखे हैं। क्रोपाट्किनके ग्रन्थोंमें जिन बातोंका विवेचन किया गया है वे दो भागोंमें विभक्त की जा सकती हैं, (१) आर्थिक (२) राजकीय। आर्थिक मतमें दो प्रणालियाँ उपस्थित होती हैं। एक सम्पत्तिके उत्पादनका, दूसरा उसका व्ययका। इनमेंसे पहले प्रश्नके सबन्धमें प्रायः एक निश्चित मर्यादातक अराजकवादी और साम्यवादी दोनोंमें मतभेद है।

दोनोंका ही यह मत है कि आधुनिक श्रम और मूलधनके बीच रहा हुआ अन्तर नष्ट कर डालना चाहिये। कारखानों और जमीनपर समाजका अधिकार रखा जाय। श्रमजीवियोंके औद्योगिक सघ ही इन कारखानोंको चलायें। मतलब यह कि मूलधनवालोंकी सत्ता निर्मूल कर दी जाय। यहाँतक अराजकवादी और साम्यवादी साथ २ चलते हैं परन्तु सामाजिक स्वामित्वकी बात छिडनेपर कारखानोंमें काम करने और तैयार हुए मालके बटवारेके सम्बन्धमें दोनोंमें मतभेद हो जाता है। साम्यवादी कहते हैं कि वर्तमानमें जो रोजाना मजदूरी दी जाती है, उसे बन्द करके, जो लोग काम करें या कमसे कम काम करनेको तैयार हों उन्हें मालकी पैदावारमें हिस्सा दिया जाय, और जो काम न करना चाहें उन्हें या तो कामपर लगाया जाय या भूखों मरने दिया जाय। आगे चलकर इनमें दो मन हो जाते हैं। एक मत कहता है कि हलके और ऊँचे अनाडी थीर कुशल, सबको बराबर हिस्से दिये जाय। दूसरा मत कहता है कि मालका बटवारा कामकी योग्यताके अनुसार होना चाहिये। परन्तु इससे इस सिद्धान्तमें बाधा नहीं आती कि "बिना कर्म किये समाजमें किसीको कुछ भी न मिले।" लेकिन अराजकवादी कहते हैं कि बलप्रयोग करके या क्षुधासे पीडित करके काम करनेके लिये मजदूर करना ठीक नहीं। रोजाना मजदूरीकी पद्धति बन्द करके किसीसे बलात् कार्य न कराया जाय। प्रत्येक व्यक्तिगो अपने इच्छानुसार जितना समय मिले उतने ही समयतक कार्य करनेकी पूर्ण स्वाधीनता रहे।

समाजके प्रत्येक व्यक्तिको यथावश्यक जीवनोपयोगी सभी सामग्री बिना मूल्य दी जाय । विलाससामग्री इतने परिमाणमें उत्पन्न नहीं हो सकती जो सभीको पर्याप्त हो, तोभी ये पदार्थ मुफ्तमें ही दिये जायं । हा, वितरण करते समय इस बातका अवश्य ध्यान रक्खा जाय कि हरएक पदार्थ सबको समान भागमें पर्याप्त हो । ऐसा होनेसे वैयक्तिक सम्पत्ति न रहेगी, जिसका न रहना ही अच्छा है ।

अब यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि कोई भी काम करनेके लिये मजबूर न किया जायगा और बिना परिश्रमके ही प्रत्येक जीवनोपयोगी सामग्री पा सकेगा तो फिर परिश्रम करनेके भ्रममें पड़ेगा ही कौन ? और जब कोई परिश्रम ही न करेगा तो फिर आवश्यक वस्तुएं तैयार ही कैसे होंगी ? दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होगा कि सबको इच्छित परिमाणमें कोई भी वस्तु, चाहे वह आवश्यक ही क्यों न हो मिलती रहनेसे वह यथेष्ट परिमाणमें कैसे उत्पन्न हो सकेगी ।

दूसरे प्रश्नका उत्तर देते हुए क्रोपाट्किन कहता है कि अन्न वस्त्र आदि आवश्यक पदार्थ किसी नियमित परिमाणसे अधिक कभी खर्च नहीं हो सकते । मनुष्यकी उपभोगशक्तिने उसके उपभोगको मर्यादित कर दिया है । अतएव यदि वे मुफ्तमें भी मिलेंगे तोभी मनुष्य एक विशेष परिमाणसे अधिक सख्यामें कभी न लेगा । उदाहरणार्थ आजकल नलोंके द्वारा यद्यपि लोगोंको पानी मुफ्तमें मिलता है पर तोभी यह कहीं नहीं देखा जाता कि

लोग दिनरात उन्हें खुले रखते हैं। अपना कार्य होते ही नल बन्द कर दिये जाते हैं। यही सिद्धान्त अन्न और चत्त्रोंपर भी लग सकता है, पर तोभी इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुफ्तमें सामग्री मिलनेपर कुछ अधिक व्यय अवश्य होगा।

क्रोपाट्किन और अन्य अराजकवादिषोंका कथन है कि आज भी अनाज आदि आवश्यक पदार्थ जरूरतसे ज्यादा उत्पन्न होते हैं। फिर क्या कारण है कि इस समय भी लोगोंकी ये सामान आवश्यक परिमाणमें प्राप्त नहीं होते? इसका मुख्य कारण यह है कि लोगोंके पास पदार्थोंको खरीदनेके लिये आवश्यक द्रव्यकी कमी है। द्रव्यकी कमीका यह अपवाद सामग्री मुफ्तमें मिलनेपर मिट जायगा और आगे वैज्ञानिक रीतिसे खेती करनेपर पैदावार भी बढ जायगी, जिससे रही सही कमी भी दूर हो सकती है। मात्थसने इस भविष्यवाणीको झूठा सिद्ध कर के दिखाया है। उसके विरोधमें क्रोपाट्किन अपने सिद्धान्तकी पुष्टि करते हुए फ्रांसके उन वैज्ञानिकोंकी ओर उद्गली उठाता है जो इस बातकी प्रतिज्ञा करते हैं कि खराबसे खराब जमीन भी थोड़े परिश्रममें उपजाऊ बनायी जा सकती है और प्रत्येक खेतमें एक ही वर्षमें पाच छ फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। जितनी जमीनमें आजकल पाच छ टन घास पैदा होता है उसीमें ५० से २०० टनतक घास पैदा की जा सकती है, एवं एक वर्गमील भूमिमें इतना अनाज पैदा किया जा सकता है जो एक हजार मनुष्योंकी पर्याप्त हो। ये बातें केवल जयानी जमा खर्च नहीं,

वहिक प्रयोग द्वारा प्रमाणित की हुई बातें हैं। इस समय इंग्लैंडमें चैम्पियन नामक एक सज्जन हैं जो एक एकड़ भूमि पर इतनी घास पैदा करते हैं जो तीन पशुओंको पर्याप्त हो ; जब कि वहाके अन्य स्थानोंपर एक पशुके लिये दो तीन एकड़ भूमि दरकार होती है।

अतएव यह बात सिद्ध हो गयी कि वर्तमान और भविष्यमें बहुत समयतक समाजके सब व्यक्तियोंको सब आवश्यक सामान देते रहनेपर भी भौतिक दृष्टिसे पैदावारमें कमी न होगी।

अब पहले प्रश्नपर विचार करना है कि यदि सब लोगोंके आवश्यक सामग्री मुफ्तमें मिल जायगी तो काम करनेके ऋद्धतमें कौन पड़ेगा। किसीको क्या जरूरत रहेगी कि वह व्यर्थ ही परिश्रम करके अपने शरीरको कष्ट दे।

कोपाट्किन इसका उत्तर देते हुए कहता है कि मानव प्रकृति मिहनतसे घृणा नहीं करती। यथेष्ट काम करना उसे पसन्द है। आजकल लोग जो कार्य करना नहीं चाहते उसका कारण यह है कि उनके कार्यसे उन्हें सुख नहीं मिलता। उस कार्यके सुखको कुछ इने गिने श्रीमान् लोग लूटते हैं। इन्हें तो सिर्फ मजदूरीके गिने हुए पैसे मिलते हैं। परन्तु जब सबके हितका प्रश्न सम्मुख आता है, तब वे जी जानसे परिश्रम करते हैं। हा, यह सच है, कि सीमाके बाहर मनुष्य काम नहीं कर सकता। वेहद काम करनेसे मनुष्य जी चुराता है। इस बातको सभी जानते हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति चार घंटे अच्छी तरहसे काम

करे, और सब एकमत होकर उसकी उत्पादकतापर विशेष ध्यान दें, तो श्रमका अपव्यय बिल्कुल बन्द हो जायगा, एवं इस चार घटेके परिश्रमसे समाजके सब लोग मध्यम श्रेणीकी तरह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

जिस प्रकार अति परिश्रमसे मनुष्य घबराता है उसी प्रकार निरुत्तम होकर बैठना भी वह पसन्द नहीं करता। यहातक कि आजकलके घटे घटे श्रीमान् भी कुछ न कुछ उद्योग करते रहते हैं। समयको व्यतीत करनेके लिये एक न एक कार्य करना आवश्यक है। कुछ थोड़ेसे आलसी पिढोंको छोड़, अन्य लोगोंको कुछ न कुछ कार्य किये बिना चैन नहीं पडता? इसका अनुभव पेशानर लोग भली प्रकार करते हैं। यह सच है कि अधिक परिश्रमसाध्य और कष्टप्रद कार्य करना कोई पसन्द नहीं करता। इसके उत्तरमें कुछ शास्त्रज्ञ कहते हैं कि यंत्रोंका प्रचार होनेसे लोगोंका श्रम एवं कष्ट दोनों बच जायगे और थोड़े श्रमसे माल भी अधिक तैयार होगा। परिश्रमकी मात्रा कम होनेपर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक इसलिये कार्य करेंगे कि निकम्मे बैठना उन्हें बिल्कुल पसन्द नहीं और ज्यों ज्यों यंत्रोंका प्रचार घटता जायगा त्यों त्यों ऐसे कार्य भी कम होते जायगे जिन्हें करते करते लोग उकाता जाते हैं।

इसके अतिरिक्त सामाजिक प्रतिष्ठाके लोभसे भी लोग कार्य करनेमें प्रवृत्त होंगे। जो व्यक्ति परोपकार-बुद्धिसे दूसरोंकी अपेक्षा उत्तम काम करेगा, समाज उसे उतनी ही अधिक इज्जत

और सम्मान प्रदान करेगा। आन्तरिक भावना और प्रतिष्ठाके लोभसे भी कई लोग साहसपूर्ण, चातुर्ययुक्त और अधिक परिश्रमके काम करनेमें प्रवृत्त होंगे। वर्त्तमानमें भी कई विद्वान् केवल यशके मन्दिरमें पहुचनेके लिये सारा जीवन वैज्ञानिक खोजमें ही लगा देते हैं। वर्त्तमान कालमें भी जब कि लोगोंकी स्वार्थवृत्ति बढ़ रही है ऐसे महापुरुष पाये जाते हैं तो भविष्यत्में जब कि मनुष्यकी वृत्ति स्वार्थकी ओरसे हटकर केवल परोपकार की ओर प्रवृत्त होगी ऐसे महात्मा इससे कई गुनी सख्यामें उत्पन्न होंगे।

इस प्रकार उक्त दोनों प्रश्न सहज ही हल हो जाते हैं। पहला यह कि श्रम करनेके लिये किसो प्रकारकी सख्ती न की जायगी तोभी कुछ अपवादोंके सिवाय सभी लोग परिमित श्रम अवश्य करेंगे। दूसरा यह कि ज्ञानकी सहायता और यात्रिक उन्नतिसे उक्त परिश्रम द्वारा समाजके सब लोगोंको आवश्यक वस्तु यथेष्ट परिमाणमें मुफ्त मिल जाया करेगी। अतएव निश्चित हुआ कि—

१—समाजमें किसीसे बलात्कार कार्य न कराया जाय और किये हुए कार्यके बदलेमें किसीको वेतन, मजदूरी या अन्य किसी प्रकारका बदला न दिया जाय।

२—समाजके प्रत्येक व्यक्तिको उदरनिर्वाहार्थ आवश्यक वस्तु मुफ्त और काफी परिणाममें दी जाये। सुख भोगके वे पदार्थ जो काफी परिमाणमें उत्पन्न न हों, सबको धराधर बांट दिये जायें।

अब हम अराजकपक्षके दूसरे विभाग "राजकीय विभाग" पर कुछ विस्तृत विवेचन करेंगे।

माक्सने प्रतिपादित किया है कि आदर्श समाज व्यवस्था होनेपर सरकारका आधुनिक स्वरूप नष्ट हो जायगा। उनके जिम्मे केवल भिन्न भिन्न औद्योगिक सघकी पारस्परिक व्यवस्थाका उपद्रवहीन कार्य रह जायगा। परन्तु उसने सरकारके जिम्मे जिन जिन कार्यों को देनेका विचार स्थिर किया है उसको देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकारकी सत्ता किसी प्रकार कम हो जायगी। उलटे उससे तो उसकी सत्ता बढ़ना ही सम्भव है। माक्सने 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो'में लिखा है कि आवागमनके सब साधनोंकी व्यवस्था सरकारके जिम्मे रहे, और मध्यवर्ती धकेके द्वारा वह क्रेडिट (साख) पूर्तिकी व्यवस्था करे। इससे सरकारकी जिम्मेदारी घटेगी या बढ़ेगी इसे पाठक स्वयं सोच सकते हैं।

प्रजासत्तात्मक पद्धतिके पृष्ठपोषकोंका कथन है कि एक तो श्रमजीवियोंके प्रतिनिधि ही उसकी सत्ताका उपयोग करेंगे, दूसरे उस समय वर्णभेद बिल्कुल नष्ट हो जायगा। सारा

अनेकके उससे समाजको समान ही कष्ट होगा। अधिकारी चाहे कैसा ही क्यों न हो अधिकारके शासनपर आसीन होते ही उसकी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, और उन (अधिकारियों) का समाज ही अलग बन जाता है। वे अन्तःकरणसे इस बातका अनुभव करने लग जाते हैं कि प्रजाकी अपेक्षा उन्हें हिताहितका ज्ञान अधिक है एवं जो कुछ भी वे कर रहे हैं वही समाजको हितकारक है। मतविरोधको वे सहन नहीं कर सकते, और जो कोई उनका विरोध करते है उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं। निर्वाचकोंका प्रतिनिधियोंपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका उदाहरण प्रायः सभी प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्योंमें पाया जाता है। अतएव यह अनुमान करना कि श्रीमानोंके हाथकी सत्ता श्रमजीवियोंके हाथोंमें जानेपर समाजकी दशा सुधर जायगी बिल्कुल व्यर्थ है। वर्त्तमानमें भी पार्लमेन्टके अन्दर श्रमजीवियोंके प्रतिनिधि जाते हैं पर वे हमेशा अपने समाजकी रुखको देखकर कार्य नहीं करते हैं कितने मनमाना कार्य कर बैठते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि भविष्यत्में आदर्श स्थिति प्राप्त होनेपर यदि श्रमजीवियोंके हाथमें भी सत्ता रही तो उसका परिणाम घुरा होगा।

क्रोपाट्किन लिखता है कि "मानवीय इतिहासमें प्रातिनिधिक पद्धतिको जो कुछ करना था उसे वह कर चुकी। उसीके द्वारा पहलेकी वैयक्तिकराजपद्धति नष्ट हो चुकी। उसीके कारण

जनता अब सार्धजनिक प्रश्नोंकी ओर ध्यान देने लगी है, किन्तु इससे यह अनुमान कर लेना भारी भूल होगी कि यही पद्धति आदर्श समाजके अनुकूल होगी। समाजकी आर्थिक स्थितिके अनुरूप ही उसकी राजकीय स्थिति होगी और समाजकी आधुनिक आर्थिक अवस्थाका मूल वैयक्तिक सम्पत्तिके नष्ट हो जानेपर आधुनिक राजकीय व्यवस्थामें परिवर्तन न होना असम्भव है। आधुनिक जीवनक्रमसे इस परिवर्तनकी दशाका अनुभव हो सफा है। इस परिवर्तनसे सरकारकी सत्ता न बूट सकेगी। वर्त्तमानमें सरकार जिन जिन कार्यों के करनेमें हाथ डालती है भविष्यत्में वे ही कार्य पारस्परिक अनुमतिसे बने हुए मण्डल और संस्थाओंके द्वारा ही सम्पादित होंगे।

अराजक लोग खुले मैदानमें इस बातको प्रतिपादित करते हैं कि समाजमें किसी प्रकारके घाह्य शासन और सरकारकी सहा धरनेवाली किरपी संस्थाकी आवश्यकता नहीं। इससे यह कल्पना न करना चाहिये कि सरकारके न होनेसे चारों ओर गोलमाल एवं गडबड हो जायगी। अराजक भी समाजमें सुव्यवस्थाका रहना अति आवश्यक समझते हैं, पर उनका कथन है कि यह सुव्यवस्था कोई किसीपर घलात्कार न करे। सब यह सोचकर कि उसमें समाजका हित है उस कार्यको अपने हृदयसे करें। ऐसी व्यवस्था करना असम्भव नहीं। श्रीमान् लोगोंकी वर्त्तमान सत्तामें भी इसी प्रकारकी व्यवस्था रक्षी जाती है। इसकी पुष्टिके लिये वे लोग रेलवे का उदाहरण देते

हुए कहते हैं कि सभी राष्ट्रोंकी रेलवे कम्पनिया पारस सम्मतिसे टाइम-टेबिल निश्चित करती हैं। यद्यपि कोई इसे पालन करनेको मजबूर नहीं करता तोभी उस नि टाइम-टेबिलका पालन करनेमें वे तनिक भी त्रुटि नहीं क मतलब यह कि पारस्परिक सम्मतिका उपाय बहुत ही उप है। इससे वैयक्तिक स्वार्थपरता नष्ट हो जायगी और सम सब कार्य सुव्यवस्थित रूपसे चला करेंगे।

इन सिद्धान्तोंपर कई प्रकारके आक्षेप किये जाते हैं। लोग कहते हैं कि राज्यसत्ताके नाम शेष हो जानेपर कोई वि को दवानेवाला न रह जायगा, जिससे महाभारत शान्तिपूर्वकें अध्यायमें कहे अनुसार "किसीपर किसीका अधिक रहेगा।" खेच्छाचार और डकैती बढ़ जायगी। "जिसकी उसकी भैंस" वाली कहावत चरितार्थ हो जायगी। कृषि वाणिज्यका नाश हो जायगा। विवाहप्रथाका अस्तित्व जायगा, धर्म और यज्ञका नाम शेष हो जायगा और मारे हाहाकार मच जायगा।

क्रोपाट्किन इस आक्षेपका उत्तर देते हुए कहता है कि विषयपर ज्यों ज्यों विचार किया जाता है त्यों त्यों यह वि निश्चय होता जाता है कि आजकल समाजमें जितने दुष्कृत्य है उन सबोंका उत्तरदायित्व समाजपर ही है। सजा देनेसे फासीपर लटकानेसे इन दुष्कृत्योंकी कमी नहीं हो सकती। कल न्यायालयोंके अन्दर जितने मुकद्दमें आते हैं उनमें अधिकां

उत्पत्तिका कारण मनुष्य—समाजकी दुर्वृत्ति नहीं घरन् समाजकी द्रव्योत्पादन या द्रव्यविमाजन करनेकी अव्यवस्था ही है। इसके अतिरिक्त मानवप्रकृतिकी दुर्वृत्तिके कारण भी जो अपराध होते हैं वे भी फासी और जेलखानेके डरसे कदापि कम नहीं हो सकते प्रत्युत् इनसे उनकी सख्या और भी बढ़ती है। हमारी गुप्तपुलिस, फँदखाने और फासीपर लटकानेकी व्यवस्थाने ही समाजको उच्छृंखल बना दिया है, और इन्हींके कारण इसमें मोच मनोवृत्तियों और दुष्ट आदतोंका प्रचार होता जा रहा है नीतिनियमकी आडमें समाजके अन्दर जो जो घटनाएँ होती हैं उन्हें देखकर कलेजा फाप उठता है। किस रीतिसे इन उपायोंका पता लगाया जा सकता है इसका विवेचन हम पहले कर चुके हैं

(Anarchist Communisme पृष्ठ ३१—३२)

वैयक्तिक सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर किसीको उदरनिर्वाह की चिन्ता न रहेगी। जिससे समाजका स्वरूप बदल जायगा, स्वार्थकी जड़ कट जायगी, और दुष्ट विचार उत्पन्न करनेवाली परिस्थिति ही नष्ट हो जायगी। इतनेपर भी यदि कोई भूला भटका किसी प्रकारका दुष्कृत्य कर भी डालेगा तो उसे किसी प्रकारकी सजा न देकर सहानुभूतिके साथ समझा दिया जायगा। इस प्रकार धीरे धीरे अपराधोंकी सख्या घटती जायगी और कुछ समयमें वे बिलकुल निर्मूल हो जायगे।

यही अराजकपथके राजकीय और आर्थिक भागोंका स्थूल स्वरूप है। एक दृष्टिसे देखा जाय तो इसका और सब धर्मों एवं

तत्त्वज्ञानोंका साध्य एक ही है। तत्त्वज्ञान और धर्म भी यही उपदेश देते हैं कि मनुष्यको वाह्य नियन्त्रणकी उपेक्षा न कर केवल कर्तव्यसे प्रेरित होकर निष्काम बुद्धिसे कार्य करना चाहिये। मनुष्य-समाजमें ज्ञान और आत्मसंयमका इतना प्रचार होना चाहिये कि कानून और सरकारकी उनको कोई परवा ही न रहे। उनका पारस्परिक व्यवहार नीति और प्रेमसे युक्त हों। यही सिद्धान्त (वाह्यबन्धनकी अपेक्षा आन्तरिक प्रेरणाकी स्थापना) अराजकवादियोंका भी है। उनका कथन है कि प्रत्येक प्रकारका वाह्य नियन्त्रण मनुष्यकी प्राकृतिक स्वाधीनतापर आक्रमण करता है। अतएव उसको नष्ट करना अनिवार्य है।

आगे चलकर अराजकपन्थवादी कहते हैं, सब आधुनिक संस्थाएं नष्ट कर दी जाय। तत्त्वज्ञान कहता है कि इनमेंसे कुछ संस्थाएं स्वार्थनिरोध और इन्द्रियनिरोधके लिये आवश्यक हैं। उन्हींके द्वारा मनुष्य अपने साध्यपर पहुँच सकता है। इस प्रकार अराजकपन्थ और धर्ममें केवल साध्यका अन्तर है, साधनका नहीं।

हम पहले ही लिख चुके हैं कि यह पथ रूसमें ही सबसे अधिक फैला है। उस जमानेमें रूसके समान यूरोपमें कहीं भी एक तन्त्री राज्यव्यवस्था नहीं थी। शिवा कारणके कार्य कहीं नहीं होता। यही कारण है कि रूसमें बहुत फैलनेपर भी इस सिद्धान्त की वायु यूरोपमें नहीं पहुँची। मानसशास्त्रका एक सिद्धान्त है कि जहा लोगोंका बंधन जितना ही दृढ़ होगा, उसका विरोध भी

उतना ही प्रबल होगा। जहाँपर लोगोंको प्रगटमें राजनीतिक घर्वा करनेकी इजाजत नहीं रहती, वहाँपर अप्रकटमें अत्याचार और क्रान्ति द्वारा उसे साध्य करनेकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

रूसमें दो सस्याएँ बहुत प्राचीन हैं, जिनका वहाके समाज-पर गहरा प्रभाव पडा है। पहली सस्या है जारकी एकतन्त्र शासनकी पद्धति और दूसरी देहातियोंकी "भीर" नामक समाज पद्धति। तातार, तुर्क, पोल, स्वीडन, लियूनियन आदि शत्रु-रूसको घेरे हुए थे। अतएव उस समय देशकी रक्षाके लिये एक-तन्त्री सरकारकी आवश्यकता थी। परन्तु एक धार स्थापित होते ही उस पद्धतिने वहा अपनी मजबूत जड जमा ली। जारकी सत्ता मर्यादित रहने या उसपर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध डालनेवाली वहा कोई सभा नहीं। यूरोपके अन्य देशोंके समान वहापर धर्माधिकारियोंका प्राबल्य भी नहीं। वहा ईसाई धर्मका ग्रीक कैथोलिक नामक विलकुल ही भिन्न मत प्रचलित है। उस मजहबके धर्माध्यक्षकी कदर रोमनकैथोलिक धर्माध्यक्षके समान स्वतंत्र और राजाले श्रेष्ठ नहीं। प्रत्युत् वहाके धर्माधिकारीको राजाकी आज्ञाके अनुकूल चलना होता है। जारने वहाके सरदारोंको भी हतवीर्य कर डाला है, अतएव इंग्लैण्डके समान वहा सरदारोंका प्राबल्य भी नहीं। यूरोपके अन्य देशोंमें धनी, व्यापारी, कारखानेदार आदि लोगोंका "मध्यम" नामक एक वर्ग है, पर रूसमें व्यापारिक एवं औद्योगिक उन्नति न होनेसे उसका भी अस्तित्व नहीं। इन सब कारणोंके एक ही स्थानपर एकत्रित

हां जानेसे जारकी सत्ता स्वेच्छाचारितासे पूर्ण और बहुत निरंकुश है। पीटर महानके समान कुछ जारोंने इस सत्ताका उपयोग कर देशका बहुत कुछ हित किया, पर खासकर इस सत्ताका उपयोग देशकी उन्नतिके लिये न कर, अपने अधिकार और सुखको निर्विघ्न रखनेके लिये ही किया जाता है।

रूसकी दूसरी संस्थाका नाम है "मीर"। इसमें और भारतवर्षकी ग्राम्यपंचायतमें बहुत कुछ साम्य है। प्रत्येक ग्राममें एक एक मीर रहता है। ग्रामकी सब जमीन मीरके अधिकारमें रहती है। मीरके और सब ग्रामवासियोंके हक बराबर रहते हैं भारतीय ग्राम्य पंचायतोंके समान ही मीर सब ग्रामकी व्यवस्था करता है। प्रत्येक गावका मीर और उसकी अन्तर्व्यवस्था स्वतंत्र प्रकारसे चलती है और प्रत्येक ग्राम अपनी भौतिक आवश्यकताएं आप ही पूरी कर लेता है। जमीनका कर और सेनाके लिये सैनिक देनेका कार्य भी इसीके जिम्मे रहता है। इससे जारको भी बड़ी सुविधा रहती थी। हजारों व्यक्तियोंसे भिन्न भिन्न सम्बन्ध रखनेकी अपेक्षा अकेले मीरसे सम्बन्ध रखना बड़ा सहज है और इसी कारण कई राज्यकान्तिया होनेपर भी मीरके जीवनमें कोई धक्का न पहुंचा। जारको मीरकी अन्तर्व्यवस्थामें दाध डालनेका कोई मौका हो न आया। मीरके ही कारण रूसी* रूपकोंपर सत्तारके परिवर्तनका प्रभाव न पड़ा। लेकिन इस कारण उनके जीवनमें एक प्रकारके शैथिल्यका प्राङ्-र्भाव हो गया। सत्तारकी सामयिक समीरका उनके शरीरमें

सच्चार न होनेसे उनके विचारोंका विकास बिल्कुल न होने पाया। वे यद्वातक नहीं जानते थे कि सुधार किस चिडियाका नाम है। राज्यव्यवस्थासे उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होनेसे उस ओर उन्होंने ध्यान न दिया। “कोउ नृप होउ हमें का हानी” की नीतिके अनुसार उनकी स्थिति थी। इसीसे सारे यूरोपके अन्दर रूसके साम्राज्य अज्ञानी, धैर्यशून्य और पशु समाज दूसरे न्यानपर दूढ़े भी नहीं मिलेगा। इसका सब दोष यदि मीरके सिरपर मढ़ा जाय तो कोई अनुचित न होगा। जार युद्ध और ऐशोधारामके लिये प्रजासे जयर्षस्तो सैनिक और फर बसूल करता था। ये सब अत्याचार रूसी कृपक चुपचाप सहन कर लेते थे। इन अत्याचारोंके असह्य हो जानेपर कभी बलबे हो जाते थे पर वे सुसंगठित न होनेके कारण शीघ्र दबा दिये जाते थे, और यत्नाइयोंको फटोर दड दिया जाता था। इन सब कारणोंसे रूसक अध्याह नैराश्य-सागरमें गोता लगाकर हाथपर हाथ धरे प्रार्थकों ओर देता करते थे। यह उनमें एक आदत सी हो गयी थी।

ऐसी दशा होनेपर भी रूसका यूरोपके अन्य देशोंसे थोडा बहुत सम्बन्ध हमेशा बना रहता था। अतएव यदि दरे लुपे चहाकी कोई फल्पना रूसमें प्रविष्ट हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। गारम्भमें रूसके उच्चकोटिके लोगोंमें अन्य देशोंके आचार व्यवहार और स्वातन्त्र्य भावोंका प्रचार होने लगा। कुछ दिनोंके पश्चात् इस प्रकारके मतका होना एक तरहके फैशनमें परिण-

णित होने लग गया। सन् १८५५में अलेक्जेंडर जारके सिंहासन पर बैठा, उसके मत कुछ उदार थे अतएव वह राज्यव्यवस्थामें सुधारकर लोगोंको कुछ अधिकार प्रदान करना चाहता था। उस समयतक रूसी कृषक गुलाम समझे जाते थे, लेकिन उसने उन्हें स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। देशमें नवीन न्यायालय स्थापित किये गये। लोगोंको स्थानीय स्वराज्य दिया गया एवं शिक्षाप्रचारकी व्यवस्था की गयी।

इन सब सुधारोंसे लोगोंके मनमें कुछ कुछ आकांक्षा उत्पन्न होने लगीं, जिससे वहाके समाजमें कुछ कुछ जीवन दिखायी पडने लगा। इसी समय रूसमें यूरोपके पुरोगामी और क्रान्तिकारक विचारोंका समावेश हुआ। निराशा और अज्ञानके अन्धकारमें पड़े हुए रूसी समाजको एकाएक प्रकाशकी किरण दिखायी दी। अन्धेको लाठी मिलनेके समान इन लोगोंको इन क्रान्तिकारक विचारोंसे आनन्द हुआ। उन्होंने इन विचारोंका हृदयसे अभिनन्दन किया, और उस अभिनन्दनके साथ ही उन्हें उस पराधीनताके बन्धनोंको तोडनेकी इच्छा हुई जिसमें वे जकड़े हुए थे। रूसके इस क्रान्तिकारक आन्दोलनको “विध्वंसक” (Nihilist) सज्ञा दी गयी। इस मतके अनुयायियोंको किसी प्रकारकी सत्ता पसन्द न थी। किसी भी मत, सम्प्रदाय और सिद्धान्तको केवल विश्वासपर पूजना उनकी शानके खिलाफ था। समाजकी सब राजकीय और कौटुम्बिक संस्थाएँ, धर्म और नीतिसे उनकी दृष्टिमें त्याज्य और दोषपूर्ण

थीं। वे उन सबको नष्ट करके समाजकी एक नवीन ढङ्गसे रचना करना चाहते थे। क्रमशः और धीरे धीरे सुधार करना वे अपनी शानके खिलाफ समझते थे। कला, कौशल, काव्य एवं कोमल मनोरिकारोंको वे तुच्छ दृष्टिसे देखते थे। भौतिक शास्त्र और बुद्धिका ही वे सबसे अधिक आदर देते थे। इन सब बातोंकी इनकी बाह्य नीतिमें गणना की जाय तो अनुचित न होगा। असलमें समाजके दीन दुखी लोगोंका सुधार करना ही इनकी आन्तरिक नीति थी। लेकिन समाजकी एक भी सस्था और शासनपद्धतिसे उसका सुधार होते न देख वे घटे विद्व गये थे, और इसी सात्विक आवेगमें आकर वे सब प्रकारके विध्व-
 षक कार्य करनेको उतारु हो गये। वे समाजके सब लोगोंको समान समझते थे, दूसरे अलेक्जेंडरके सिंहासनारूढ होनेके समय इस मतके अनुयायियोंने आधुनिक व्यवस्थाको नष्ट करनेका यत्न आरम्भ किया। इस ओर ध्यान न देकर यदि जार अपने निजके उदार मतानुसार राजकीय और अन्य सुधारोंका क्रम जारी रखता तो वहासे इस मतका अस्तित्व शीघ्र ही उठ जाता, क्योंकि तत्कालीन शोचनीय परिस्थितिके कारण ही इस मतका प्रचार हो पाया था। यदि वह परिस्थिति ही नष्ट कर दी जाती तो इस मतका कोई आधार न रह जाता। लेकिन जारके ये सुधार देशके पुराने श्रीमानोंको पसन्द न थे। उनके हार्थमें इन सुधारोंसे भारी धक्का पहुँचा था। इससे ये यती मौका देख रहे थे कि किसी प्रकार जारसे इन सुधारोंका दोना बन्द करवाया जाय।

बस, ज्योंही निहिलिस्टोंका प्रचार हुआ, त्योंही जारके मनमें उन्होंने यह बात जमा दी कि यह दल उन्हीं सुधारोंका नतीजा है। अखिर बुद्धिजारका भी मन यह बात सुनकर मीला हो गया। दूरदृष्टितासे रहित होनेके कारण वह स्वयं कुछ भी नहीं सोच सका। इतनेमें ही सन् १८६६ में “कैरोकेजाप” नामक व्यक्तिने जारको मार डालनेकी कोशिश की, जिससे जारका मन और भी विगड गया, और उसने शीघ्रही धरपकड प्रारम्भ कर दी।

यूरोपमें अन्यत्र प्रचलित साम्यवादियोंके प्रयत्नसे रूसके नवयुवकोंमें जागृति होने लगी। दमननीतिसे उस उत्साहको नष्ट करना असंभव था। मार्क्सका अन्तर्राष्ट्रीय सघ श्रमजीवियोंमें जोर शोरसे कार्य कर रहा था। जर्मनीमें प्रजासत्तात्मक साम्यवादी पक्ष अपने मतका प्रचार कर रहा था। सन् १८७० में पेरिसमें भी कुछ समयके लिये कम्यूनने अपना प्रजासत्तात्मक साम्यवादी राज्य स्थापित किया था। इन सबका प्रभाव रूसपर भी पडता था। रूसके सैफडों छात्र फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंडमें शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। सन् १८७३में एक फरमान निकालकर जारने उन सबको बुला लिया। वे विद्यार्थी भी अपने साथमें अन्य स्थानोंके जागृतिकारक भाव लेते आये थे। इनमें अधिकांश माकुनिनके अराजक पथके ही भाव थे। वे निहिलिस्ट पथके मतोंकी अपेक्षा अधिक सौम्य और विधायक थे। इन सब विद्यार्थियों का उद्देश देशके सब लोगोंसे मिल जुलकर जागृति उत्पन्न करनेका था। इसलिये वे सब लोग छोटे-छोटे में फैल गये और

वहाके लोगोंसे मिल जुल कर अपना कार्य करने लगे। ये छात्र भी रुपकोंकी तरह मोटे कपटे पहनते और खेती करते थे, यहां तक कि घटे घटे अनाट्योंके लडके भी जिन्हें खेती करनेका बिल्कुल अभ्यास न था साधारण मजदूरोंकी तरह कठिन परिश्रम करते थे। ऐसा करके वे श्रमजीवियोंको अपने दलमें मिलानेकी कोशिश करते थे। इस प्रकार रूसके नवयुवक अपूर्व उत्साह और अलौकिक स्वार्थत्यागसे जागृति फैलानेका प्रयत्न करने लगे, पर अनुभवहीन होनेके कारण विशेष सावधानी और चतुरतासे कार्य करनेमें वे असमर्थ हुए। सरकारको यह बात मालूम होते ही उसने उनको गिरफ्तार करनेका हुक्म दिया, जिससे तीन ही वर्षमें (१८७३-७६) दो हजार युवक कैद कर लिये गये।

इस धरपकडसे बहुत परिवर्तन हो गया। जब रूसी युवकोंको अपनी भूल मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कार्यप्रणालीको बदल डाला। वे देहातोंमें जाकर रहने लगे, और धीरे धीरे लोगोंको उत्तेजना देकर जारके विरुद्ध मड़काने लगे। कुछ दिन पश्चात् फिर जब उन्हें यह मालूम होने लगा कि अशिक्षित रुपकोंको अपने अनुकूल करना बहुत कठिन है तो फिर उन्होंने अपनी कार्यपद्धतिको बदला, और जार या अन्य फर्म-चारियोंके विरुद्ध गुप्तरीतिसे सावधानीपूर्वक कार्य करना निश्चय किया। बाकुनिनका यह उपदेश था कि समाजमें अमर्यादित स्वातन्त्र्य होना चाहिये। परन्तु उसके अनुयायियोंने इस अमर्यादित स्वातन्त्र्यको प्राप्त करनेके लिये जिस गुप्त मण्डलकी

स्थापना की उसमें आज्ञापालनके लिये बहुत कठोर नियम बनाया गया ।

एक मध्यवर्ती मण्डल स्थापित किया गया और यह नियम बनाया गया कि सब मण्डल बिना किसी शिकायतके उसकी आज्ञाओंका पालन करें । इस प्रकार कार्य प्रारम्भ किया गया । इस मण्डलका उद्देश बड़े २ अधिकारियों और जारका खून करनेका था । दिन दहाड़े पुलिसके एवं प्रान्तोंके खास अधिकारी और जनरलका खून किया गया, और दो चार चार असफल होनेके पश्चात् १८८१ में जार भी मार डाला गया ।

रूसके इस क्रान्तिकारक पन्थके पुरोगामी सिद्धान्त अत्यन्त समाजघातक थे । इसलिये सरकारका उस ओर बिलकुल ध्यान न देना असम्भव था । इस पन्थको नष्ट करनेका केवल एक उपाय प्रजाको शासनके अधिकार देकर उसे क्रान्तिसे विमुख करना था । पर जारने ऐसा न करके दमननीति प्रारम्भ कर दी । जिसका फल यह हुआ कि लोगोंने प्रत्यक्षरूपसे कार्य करना बन्द करके गुप्तरूपसे कार्य करना प्रारम्भ किया जिससे बेचारे जारको खुद भी उनका शिकार बनना पडा । जारके खूनके पश्चात् जब नवीन जार सिहासनारुढ़ हुआ तो क्रान्तिकारियोंने उसे एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि यदि लोक-निर्वाचित प्रतिनिधिसभा स्थापित कर उसे अधिकार दिये जाय तो सब पड़्यन्त और अत्याचार बन्द कर दिये जायेंगे । इससे स्पष्ट मालूम होता है

कि यद्यपि क्रान्तिकारियोंने परिस्थितिसे लाचार हो नृशसता-पूर्ण कार्य किये थे, पर तोभी उनका उद्देश पवित्र था। उस खराब परिस्थितिके बदल जानेपर वे अपने मार्गको भी बदलनेके लिये तैयार थे।

पर सब व्यर्थ हुआ। तीसरे निकोलसने भी उसी प्रकार दमननीति प्रारम्भ कर दी और सन् १९०३में ही १२००० लोगोंपर राज्यविद्रोहका अभियोग चलाया गया। इधर रूस-जापान युद्धमें रूसकी पराजय हुई, जिससे सारा देश तूफानसे प्रताडित समुद्रकी तरह क्षुब्ध हो उठा और अन्तमें लाचार होकर १९०५ में जारको डूमा नामक प्रतिनिधिसभा स्थापित करनी पड़ी। लेकिन फिर भी इस सभाको शासनके हक बिल्कुल नहीं दिये गये। केवल राज्यकार्यकी आलोचना करनेका हक उसे दिया गया। परन्तु उससे लोगोंका सतुष्ट होना अत्तम्मव था। सत्सारव्यापी महासमरमें रूसकी सेना बड़ी अव्यवस्थित थी, जारकी कायरता और रूसकी पराजयने तो लोगोंका जारके प्रति जो कुछ भी प्रेम रह गया था, उसे भी नष्ट कर डाला। अन्तमें डूमाने २४ घण्टेके अन्दर जारको पदत्यागके लिये मजबूर किया। इसके पश्चात् डूमाने अपने निजका प्रधान मण्डल बनाया। परन्तु कुछ ही समयके पश्चात् शासनसत्ता दोनोंके हाथसे निकल गयी।

श्रमजीवियोंके नेता 'लेनिन' और "ट्रोव्स्की" ने प्रधान मण्डल और डूमाकी अर्द्धचन्द्र देकर सब सत्ता अपने हाथमें ले

शत्रुसेना मैदानमें तलवार लिये युद्धके लिये उपस्थित थी, जिस समय अकालके मारे देशमें लूटमार मच रही थी, जिस समय कमजोर प्रजा बुरी तरह पिंसी जा रही थी, जिस समय "जिस की लाठी उसकी भैंस" (The might is right) वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी और जिस समय सारी सेना हतवीर्य हो गयी थी, ऐसे सफटके समयमें बोल्शेविक नेताओंने रुसका राज्य अपने हाथमें लिया और यूडेनिच, डेनकिन, रेगल आदि अन्तरस्थ शत्रुओंको पराजितकर मित्रराष्ट्रके समान चलवाने शत्रुओंकी भी देशमें दाल न गलने दी। इसके पश्चात् उन्होंने जनतामें नवजीवनका संचार किया, उचित व्यवस्था निर्माण की, शान्तिकी स्थापना की, कारखानोंको चलाये और राज्य कारोबारको उचित रूप दिया। इसके अतिरिक्त अपने सिद्धान्तोंके कार्यरूपमें परिणत किया। वहाकी आधुनिक शान्ति और सुव्यवस्थाका लोहा मानते हुए शत्रु भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि वहाकी राज्यव्यवस्था सुचारुरूपसे चल रही है। इससे साफ मालूम होता है कि रुसी जनता बोल्शेविज्मको हृदयसे चाहती है, वह उसका सच्चे दिलसे अभिनन्दन करती है। इसका कारण यह है कि यह मत अपने अनुयायियोंमें उत्साह और कर्त्तव्य परायणता भरनेका विलक्षण सामर्थ्य रखता है। ऐसी हालतमें कैसे कहा जा सकता है कि बोल्शेविक लोग दुष्ट, दुराचारी एवं त्याज्य होते हैं। किसी भी मतका अधिक या उसमें अद्भुत प्रेरणाशक्ति तभी हो सकती है जब कि

उसमें प्रामाणिकता, चिरकालीन सत्यता, और परिस्थितिकी अनुरूपता काफी अंशमें हो, और उस अंशको जाननेके लिये उसके अनुयायियों और प्रवर्तकोंकी दृष्टिसे उसपर विचार करना चाहिये। केवल द्वेषबुद्धिसे प्रेरित होकर छिद्रान्वेषणके द्वारा उसे जान लेना सम्भव नहीं। उसके लिये पक्षपातहीन एवं सत्य जिज्ञासासे प्राप्त होनेवाली अनुकूल मनोवृत्तिकी आवश्यकता है।

इसी उद्देशसे प्रेरित होकर पक्षपातहीन बुद्धिसे हम इस पर विचार करेंगे। समाचारपत्रोंके अतिशयोक्तिपूर्ण लेखों एवं म्बार्ग्य लेखकोंके द्वेषबुद्धिसे प्रेरित होकर लिखे गये ग्रन्थोंपर ध्यान न देकर हम प्रसिद्ध बोल्शेविक नेता लेनिन, और बोल्शेविक सरकारके द्वारा प्रकाशित लेखोंके आधारपर कुछ लिखनेका प्रयत्न करेंगे। इस परिच्छेदमें केवल सैद्धान्तिक दृष्टिसे ही विचार किया जायगा। साम्यवादी सरकार इन कुछ वर्षोंमें बहुत समयतक स्थापित रही है। अतएव इस समय सारे संसारकी दृष्टि इस बातपर लगी हुई है कि इन तत्वोंको व्यवहारकी कसौटीपर परखनेके लिये जो यह उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है, बोल्शेविक सरकार उसका किस तरह उपयोग करती है। यह भी साफ जाहिर है कि साम्यवादकी भावी स्थिति इसी अवसरके उपयोगपर अवलम्बित है। इस दृष्टिसे बोल्शेविक सरकारकी राज्यपद्धति और उसमें उनके द्वारा की गयी राजकीय, सामाजिक और आर्थिक क्रांति संसारके इतिहासमें अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

गिक श्रमजीवियोंकी सख्या ही अधिक थी, न उनका सङ्गठन ही दृढ था, और न कारखानोंकी स्थिति ही ऐसी थी, जिससे वहा इन उपायोंका सहारा लिया जाय। इससे वहापर सघवादकी जड जमना कठिन था। इसके अतिरिक्त वहापर जारशाहीका शासन इतना कठोर और दीर्घकालव्यापी था कि उसके विरुद्ध कोई भी आन्दोलन शस्त्रकी सहायता और गुप्तरीतिसे किये बिना सफल नहीं हो सकता था। 'क्रमश' 'धीरे धीरे' इत्यादि शब्द वहाके शब्दकोपसे निकाल दिये गये थे। उस समय तो वह केवल "एक घाव और दो टुकड़े" के सिद्धान्तका ही आधार रखा गया था। न्यायसङ्गत उपायों द्वारा किसी भी इष्टसिद्धिके प्राप्तिका प्रयत्न करना बिलकुल असंभव हो गया था। ऐसी परिस्थितिमें रूसके लोगोंको माफर्सके "वर्ग-फलह" और "सशस्त्र क्रांति" सिद्धान्त ही पसन्द आये। बोल्शेविक लोगोंने इन्हीं सिद्धान्तोंकी नींवपर अपने पन्थकी इमारत खड़ी की।

लेनिनने "द्री स्टेट एन्ड रिवोल्यूशन" नामक ग्रन्थके ८४ वें पृष्ठमें लिखा है कि "बोल्शेविज्म" शब्द रूसी भाषाके 'Bolshivstvo' शब्दसे निकला है, जिसका अर्थ मताधिक्य होता है। सन् १९०३ में ब्रुसेल्समें रूसके साम्यवादियोंकी एक परिषद् हुई, जिसमें अन्तर्व्यवस्था सम्बन्धी मतभेदोंके कारण कई पक्ष हो गये थे। उसमें लेनिनके पक्षपातियोंकी सख्या सबसे अधिक थी। इसीसे इस पक्षको "बोल्शेविक" सज्ञा दी गयी, नाम अभीतक प्रचलित है।

ही अधिक थी, न उनका सङ्गठन ही की स्थिति ही ऐसी थी, जिससे वहाँ जाय। इससे वहाँपर संघवादकी इसके अतिरिक्त वहाँपर जारशाहीका दीर्घकालव्यापी था कि उसके विरुद्ध सहायता और गुप्तरीतिसे किये बिना। 'क्रमशः' 'धीरे धीरे' इत्यादि शब्द उचित दिये गये थे। उस समय तो वहाँ "दुकुब्जे" के सिद्धान्तका ही आधार रह उपायों द्वारा किसी भी इष्टसिद्धिकी संकुल असंभव हो गया था। ऐसी को मार्क्सके "वर्ग-कलह" और "सशस्त्र" शब्द आये। बोल्शेविक लोगोंने इन्हीं ने पन्थकी इमारत खड़ी की।

"एन्ड रिवोल्यूशन" नामक ग्रन्थके ८४ के "बोल्शेविज्म" शब्द रूसी भाषाके निकला है, जिसका अर्थ मताधिक्य होता है। इसमें इसके साम्यवादियोंकी एक परिवर्तनवादी सम्यन्धी मतभेदोंके कारण कई

गिक श्रमजीवियोंकी सख्या ही अधिक थी, न उनका सङ्गठन ही दृढ था, और न कारखानोंकी स्थिति ही ऐसी थी, जिससे वहा इन उपायोंका सहारा लिया जाय। इससे वहापर संघवादकी जड जमना कठिन था। इसके अतिरिक्त वहापर जारशाहीका शासन इतना कठोर और दीर्घकालव्यापी था कि उसके विरुद्ध कोई भी आन्दोलन शस्त्रकी सहायता और गुप्तरीतिसे किये बिना सफल नहीं हो सकता था। 'क्रमश' 'धीरे धीरे' इत्यादि शब्द वहाके शब्दकोपसे निकाल दिये गये थे। उस समय तो वहा केवल "एक घाव और दो टुकड़े" के सिद्धान्तका ही आधार रह गया था। न्यायसङ्गत उपायों द्वारा किसी भी इष्टसिद्धिकी प्राप्तिका प्रयत्न करना बिल्कुल असभव हो गया था। ऐसी परिस्थितिमें रूसके लोगोंको मार्क्सके "वर्ग-कलह" और "सशस्त्र क्रांति" सिद्धान्त ही पसन्द आये। बोल्शेविक लोगोंने इन्हीं सिद्धान्तोंकी नीवपर अपने पन्थकी इमारत खड़ी की।

लेनिनने "दी स्टेट एन्ड रिवोल्यूशन" नामक ग्रन्थके ८४ वें पृष्ठमें लिखा है कि "बोल्शेविज्म" शब्द रूसी भाषाके 'Bolshivstvo' शब्दसे निकला है, जिसका अर्थ मताधिक्य होता है। सन् १९०३ में ब्रुसेल्समें रूसके साम्यवादियोंकी एक परिषद् हुई, जिसमें अन्तर्व्यवस्था सम्बन्धी मतभेदोंके कारण कई पक्ष हो गये थे। उसमें लेनिनके पक्षपातियोंकी सख्या सबसे अधिक थी। इसीसे इस पक्षको "बोल्शेविक" सहा दी गयी, और वही नाम अभीतक प्रचलित है।

घोर्शेविक शब्दको योलते ही मानसिक चरूपना अन्तश्च-
क्षुओंके सम्मुख लेनिनकी तैजोमयी मूर्तिका निर्माण कर देती है।
यदि कोई इसका कारण पूछे तो उसका यही उत्तर दिया जा
सकता है कि लेनिन घोर्शेविज्ममय और घोर्शेविज्म लेनिन-
मय है। लेनिन ही इस मतकी भाषोंकी ज्योति और हृदयका
प्राण है। वही इसका कर्ताधर्ता और विधाता है। उसीकी
वर्तृत्वशक्ति और साहसके कारण इस मतका प्रचार हुआ,
और उसीके नेतृत्वमें वह अधिकारारूढ भी हुआ। आज भी इस
मतका सामर्थ्य और स्फूर्ति लेनिनपर ही निर्भर है। द्राद्रस्की,
जोत्नाफीफ आदि अन्य लोग भी इस मतके नेता हैं, पर वे केवल
लेनिनके सहायकमात्र हैं।

लेनिनका असली नाम लाडिमिर यूलेनाफ है। रूसमें जार
शाहीके विरुद्ध आन्दोलन उपस्थित करनेके लिये, वहाँके प्रजा-
पक्षके लेखकोंको अपनी रक्षाके लिये भिन्न २ उपनाम रखने पड़ते
थे। उसीके अनुसार यूलेनाफने भी अपना उपनाम "निकोलाय
लेनिन" रखा है। वही नाम अब ससारमें प्रचलित हो गया
है। लेनिनका जन्म सन् १८७० में हुआ। उसका पिता रूसी
विद्या-विभागमें एक अधिकारी था। उसने बचपनमें लेनिनको
उत्तम शिक्षा दी थी। तत्कालीन अन्य रूसी युवकोंके समान
लेनिन भी युवावस्थाहीसे स्वतन्त्रतादेवीका उपासक बन गया।
उसने उसी समयसे स्वार्थत्यागके राज्यमें प्रवेश किया। जब
वह कालेजमें पढ़ता था, उसी समय उसके ज्येष्ठ भ्राताको

फासीकी सजा दी गयी थी । उसकी स्त्री भी एक बार देश निर्वासित हो चुकी थी और वह स्वयं भी कैद कर लिया गया था । पर उसके विरुद्ध प्रमाण न मिलनेसे वह छोड़ दिया गया तोभी उसे युनिवर्सिटीमें पुनः स्थान नहीं मिला । 'इस पश्चात् भी कई बार उसे देशनिर्वासनका दण्ड मिला, वह कुल समयतक वह साइबेरियामें भी कैद रखा गया, पर माताका दुलारा लाल अपने उद्देशसे तनिक भी विचलित हुआ । क्या स्वदेशमें और क्या विदेशमें हर समय वह अमृतका प्रचार करनेमें प्रयत्नशील रहा ।

लेनिन अपनेको मार्क्सका अनुयायी मानता है । उसका कथन है कि मेरे मतमें कुछ भी नवीनता नहीं । मैं तो केवल मार्क्सके बताये पथका पथिक हूँ । बहुतसे अन्य साम्यवादी मार्क्सके अनुयायी होनेका दावा रखते हैं, लेकिन या तो मार्क्सके सिद्धांतोंको समझ ही न सके हैं, या जानबूझकर स्वार्थवश ही, उसके सिद्धांतोंका मनमाना अर्थ लगाते हैं । अन्य मार्क्सके ग्रन्थोंका निष्पक्षपात या सत्य जिज्ञासासे अध्ययन करनेवाले व्यक्तिका मत उसके मतोंसे कदापि भिन्न नहीं हो सकता । कहा जाता है कि लेनिनका "रूसमें धनियोंका उत्कर्ष" (The Development of capitalism in Russia) नामक ग्रन्थ रूसमें बहुत प्रसिद्ध है । परन्तु यहा तो उसका केवल "सरकार और क्रान्ति" (The State and the Revolution) नामक ग्रन्थ ही प्राप्य है । उसमें

उसने मार्क्स और ऐंजिलके अघतरण देकर अपने मतके कार्यक्रमका समर्थन किया है। "नामूलं लिख्यते किञ्चित्" के प्रतिष्ठानुसार इस पुस्तकमें भी मार्क्सके आधारके बिना किसीने भी विरोध या प्रतिपादन नहीं किया है।

यह ग्रन्थ अपूर्ण है। सन् १९१७ के अगस्तमें अर्थात् बोल्शेविक क्रातिके तीन मास पूर्व इस पुस्तककी भूमिका लिखी गयी है, जिसमें मार्क्सके मतोंपर पडा हुआ भ्रमजाल दूर किया गया है। इसके आगेके भागमें लेफका विचार १९०५ की क्राति और १९१७ की जारशाहोके उच्छेदपर मीमासा करनेका था, लेकिन क्राति प्रारम्भ हो जानेके कारण लेनिनपर उससे भी अधिक महत्त्वका कार्य राज्यशासनकी व्यवस्थाका आ पडा, जिससे यह ग्रन्थ अपूर्ण ही रह गया। तारीख ३० नवम्बरको लेनिनने उक्त पुस्तकमें यह अतिम वाक्य लिखा है—

"It is more pleasant and more useful to live through the experience of revolution than to write about it"

इस ग्रन्थको पढनेसे लेनिनके मतका वास्तविक स्वरूप मालूम हो जाता है। अतएव हम उसका सारांश कुछ शब्दोंमें नीचे लिख देते हैं—

"सरकार"की उत्पत्ति क्यों हुई? इस विषयपर प्रकाश डालते हुए लेनिन कहता है कि जब समाजमें भिन्न-दो पक्ष हो जाते हैं और उन दोनोंके हितोंमें जब विरोध पैदा हो जाता है, तब उनके

नहीं हो सकता। पूंजीपतियोंकी सत्ताका नाश करनेपर भी वैयक्तिक धनवानोंका विरोध शेष रह जायगा, जिसका विरोध सशस्त्रसेना द्वारा करनेमें भी वे न चूकेंगे। इस विरोधका पूर्ण रूपसे नाश करनेके लिये समाजके अन्य तटस्थ लोगोंको—कृषक, डाकूर, इ जिनियर आदि ऊंचे दर्जेके श्रमजीवियोंको—असली श्रमजीवियोंमें सम्मिलित करके नवीन समाजकी रचना करनी होगी। इसके लिये कुछ समयतक श्रमजीवी सरकारका स्थापित करना नितान्त आवश्यकिय है।

माक्सने अपने "The State that is the Protectorate organised as the ruling" नामक ग्रन्थमें श्रमजीवी सरकारका उल्लेख किया है। उसका कथन है कि यह सरकार असल मजदूरोंके संगठनसे बनायी जाय। लेनिनपर कितने लोग यह आक्षेप करते हैं कि उसकी राज्यपद्धतिमें केवल शहरोंके औद्योगिक श्रमजीवियोंको ही अधिक मत मिलनेकी व्यवस्था की गयी है। लोकशाहीका नायक कहलाने वाले, सार्वजनिकमतकी घोषणा करने वाले इस नेताने अपने हाथमें राज्यसूत्र आते ही धनवानों और कारखाने वालोंका मताधिकार छीन लिया। परन्तु उनका यह आक्षेप असगत है। लेनिन तो साफ कहता है कि 'सरकार' नामक संस्था एक दलका अधिकार दूसरे दलपर चलानेके लिये ही पैदा होती है। धनवानोंकी सत्ताको नष्ट करनेके लिये श्रमजीवी सरकार बनायी जाती है। इस सरकारको संगठित करनेके लिये अन्य लोगोंको अधिकार

देनेसे बड़ी हानि होगी। पूजोपतियोंकी सरकार और मजदूरोंकी सरकारमें यही अन्तर है कि श्रमजीवी सरकारमें सब तरहके लोग सम्मिलित हो सकते हैं। यदि दूसरे लोगोंको भी श्रमजीवियोंके सिद्धान्तोंकी उत्तमता मालूम हो गयी, उनकी नैसर्गिकतापर उनका ध्यान आकृष्ट होगया, एवं उनके द्वारा की गयी समाजस्थापना उन्हें सुवप्रद मालूम हुई तो वे आपही उस जागृत श्रमजीवीदलमें सम्मिलित हो जायेंगे। इस प्रकार जब सब लोग उम्में सम्मिलित हो जायेंगे तब सारा समाज ही श्रमजीवीमय हो जायगा और वर्गभेद घन्द होकर वर्गकलह मिट जायगा। फिर तो सरकार आपही नष्ट हो जायगी। उसी तरह नष्ट हो जायगी जिस प्रकार पानीका आवागमन घन्द हो जानेसे नदीका पानी सूख जाता है। 'The authority of the Government over persons will be replaced by the administration of the things and the direction of the process of production' आजकल समाजमें सरकारकी सत्ता व्यक्तिपर रहती है, पर भविष्यमें सरकारके जिम्मे सामाजिक बातोंकी व्यवस्था और उत्पादनकार्यों के उपायोंकी देखरेखका कार्य रहेगा।

लेकिन इच्छित अवस्था प्राप्त होने तक मध्यकी सकमपावस्थामें समाजके अन्दर अनियन्त्रित श्रमजीवी सरकारका होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह कि स्वामिमानी युद्धप्रस्तुत श्रमजीवियोंके सिवा दूसरोंकी सरकारके निर्वाचनका अधिक

कार न रहे, और उस सत्कारको अपने विरुद्ध आचरण करने वालोंको शारीरिक दण्ड देनेका बेरोक अधिकार रहे। यह श्रमजीवी सरकार लुट्टेरे पूंजीपतियों और कारखानेवालोंको भांति २ के बन्धनोंसे जकड़ेगी, एवं उनके वाक् और व्यवहार-स्वातन्त्र्यको बिल्कुल मर्यादित कर देगी। मजदूरोंकी वर्तमान दासताको नष्ट करनेके लिये ऐसा करना अनिवार्य है। सम्भव है प्रजासत्तात्मकवादी इसे देखकर भीहें टेढ़ी करेंगे, पर उसके पहले उन्हें यह सोच लेना चाहिये कि आधुनिक प्रजातन्त्रवाद भी तो ऐसा ही है। उसमें भी तो आवश्यकता पडनेपर अल्पमतवाले बहुमतवालोंकी बातें माननेके लिये मजबूर किये जाते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रजासत्तात्मक सरकार भी बहुमतकी सत्ता अल्पमतपर जबरन लादनेवाली सरकार है। फिर श्रमजीवी सरकार और प्रजातन्त्रवादमें क्या अन्तर है।

इस प्रकार समाजमें श्रमजीवीसरकार स्थापित होजानेपर उसे समाजकी पुनर्रचनाका कार्य हाथमें लेना चाहिये। राज्य-व्यवस्थाके लिये लेनिनने पेरिसके कम्यूनको ही आदर्श माना है। सन् १८७०-७१ में फ्रैंच-जर्मन-युद्धके समय समाज सत्तावादी दलने क्रान्ति करके इसे स्थापित किया था। यद्यपि इसका अस्तित्व बहुत कम समयतक रहा पर तोभी समाजसत्तावादी-योंकी राजव्यवस्थाकी प्रयोगदृष्टिसे यह बहुत महत्त्वकी है। मार्क्सने भी इसी दृष्टिसे उसकी मीमांसा की है। कम्यूनके इस प्रयोगसे यह बात सिद्ध हो गयी कि धनवानोंकी राज्य-पद्धतिको

घनाये रकनेसे कार्य सिद्धि न होगी। धमजीवियोंके हाथमें सत्ता आते ही उन्हें चाहिये कि पुराने राज्यशकटको छिन्न भिन्न कर डालें। विध्वंस हो जानेपर रचनाका कार्य प्रारम्भ करना चाहिये। कम्यूनने प्राचीन सेना तोड़कर राष्ट्रीय सशस्त्र राज्य-क्षेत्रकोंकी योजना की। कम्यूनके सूत्र एत कौंसिलके हाथमें दिये गये। इस कौंसिलमें पेरिसके भिन्न २ भागोंके निर्वाचित किये हुए प्रतिनिधि सम्मिलित थे जो कि अपने २ मतदाताओंके उत्तरदायी भी थे। जब संघोंको अपने अपने प्रतिनिधि कार्य पसन्द न होनेपर उसके स्थानपर दूसरा प्रतिनिधि मेजनेका अधिकार था।

मनलय यह कि कम्यूनने राज्यशकटका प्रत्येक घटक लोक-नियुक्त और समान धेननभोगी बना दिया।

उपरोक्त (पेरिसके समान) व्यवस्था वह (कम्यून) फ्रांस देशके प्रत्येक ग्राममें करना चाहती थी। वह प्रत्येक ग्राममें उसके पूर्णतः स्वायत्त लोकनियुक्त कौंसिल स्थापित किया चाहती थी। इसी कौंसिलको कम्यून नाम दिया गया था और इसी राज्य कम्यूनके प्रतिनिधियोंका राष्ट्रीयदण्डल स्थापित करनेका विचार था।

लेनिनका कथन है कि मार्क्सके मतानुसार समाजका पूर्ण रूपान्तर एकदम नहीं हो सकता, उसके लिये कुछ समयकी आवश्यकता है। इस बीचके संक्रमणकालमें समाजकी व्यवस्था उसके अन्तिम स्वरूपसे बिलकुल भिन्न प्रकारकी रहेगी।

क्रान्तिके होते ही जमीन और कारखाने व्यक्तिगत अधिकारोंसे निकालकर राष्ट्रके अधिकारमें दे दिये जायंगे। उत्पादनके सब साधन राष्ट्रीय समझे जायंगे। समाजके प्रत्येक व्यक्तिको वही कार्य करना होगा जो समाजको उपयुक्त हो। प्रत्येक व्यक्तिको उसके कार्यके लिये प्रमाणपत्र दिया जायगा। उस प्रमाणपत्रको घतलानेपर उसमें लिखे हुए कार्यके परिमाणसे उसे सार्वजनिक भाण्डारसे आवश्यक सामग्री दी जायगी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिको उसके कामके बदलेमें सार्वजनिक व्यवस्थाका अंश काटकर आवश्यक वस्तुएं मिला करेगी।

इस व्यवस्थाके अन्तर्गत “जो कार्य करेगा उसीको खानेको मिलेगा” इस तत्त्वका प्रतिपादन किया जायगा। जिस परिमाणसे श्रम करेगा उसी परिमाणसे बदला मिला करेगा। जिससे उत्पादनकार्यमें समता स्थापित हो जायगी और समाजके अन्दर जो धनियोंकी लूट जारी है वह धन्द हो जायगी।

परन्तु यह वास्तविक समानता नहीं, न इससे समाजमें वास्तविक न्याय ही स्थापित होनेकी आशा है। क्योंकि समाजमें सब मनुष्य एकसे नहीं हो सकते। कोई बशक होता है तो कोई सशक, कोई विवाहित होता है तो कोई अविवाहित, कोई निपूना होता है तो कोई पांच पुत्रोंका पिता, कोई सुस्त होता है तो कोई चालाक। इस प्रकार समाजमें स्थान २ पर विषमता पायी जाती है। इसलिये यदि समाजमें श्रमके मानसे ही आवश्यक वस्तुएं दी जायंगी तो एकको तो उन्हें इकट्ठीकर रखनेको

स्थान भी न मिलेगा एवं दूसरेको जीवननिर्वाहके लिये भी पर्याप्त सामग्री न मिलेगी, जिससे समताके स्थानमें विपमता उत्पन्न हो जायगी। पर सब विपमता एवं अन्याय एकदम ही दूर नहीं हो सकते। सक्रमणकालमें पूंजीपतियोंकी सत्ताके जो थोड़े बहुत द्योप रह जायगे उनमेंसे यह श्रमानुसार बटवारेका एक है।

समाजकी इस सक्रमणावस्थामें सरकार अवश्य रहेगी। प्रारम्भमें धनिकोंका विरोध मिटानेके लिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। शनै शनै लोग बिना कहे ही कार्य करने लग जायगे। वे श्रमानुसार बटवारेके अभ्यस्त हो जायगे। अतएव इस बटवारेकी प्रथाको कार्यमें लानेके लिये भी सरकारकी आवश्यकता रहेगी।

जब लोग अपने इच्छानुसार कार्य करने लग जायगे, धनियोंका नाश हो जायगा, समाजमें केवल मजदूरदल रह जायगा, तब समाज अपनी सक्रमणावस्थाका अन्तकर आदर्शस्थितिको प्राप्त हो जायगा। मार्क्सने बड़े ही अच्छे शब्दोंमें इस आदर्श स्थितिका वर्णन किया है।

“समाजकी सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक (Communist) अवस्थामें श्रमविभागके तत्त्वोंके द्वारा प्राप्त हुई दासताका अन्त हो जायगा। बौद्धिक और शारीरिक कार्यों का आधुनिक विरोध नष्ट हो जायगा। श्रम केवल उद्दरपोषणकाही साधन न समझा जाकर आवश्यक भोग्यपदार्थका स्थान ग्रहण करेगा। मानव-

जम्हिकी साङ्गोपाङ्ग उन्नति हो जायगी। उत्पादक साधनोंकी कमी न रहेगी। समाजकी शक्तिके विकाराले सम्पत्तिका प्रवाह नतत रूपसे प्रवाहित होता रहेगा। समाजको जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जायगी तभी पूजीपतिसत्ताके कानूनक्षेत्रसे परे दृष्टिपात करना सम्भव होगा। तभी समाजकी ध्वजाके ऊपर स्वर्णाक्षरोंसे लिखे हुए ये शब्द फडकने लगेंगे—

“From each according to his ability to each according to his needs” “प्रत्येकसे उसकी शक्तिके अनुसार प्रत्येकको उसकी आवश्यकतानुसार।”

मतलब यह कि प्रत्येक व्यक्तिसे शक्तिके अनुसार कार्य लिया जायगा और आवश्यकतानुसार आमामान दिया जायगा।

इस भवस्थामें सरकारकी कोई आवश्यकता न रह जायगी। यह स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक हितके तर्कोंसे परिचित होकर अपनी शक्तिके अनुसार कार्य करनेका अभ्यस्त हो जायगा, तो फिर किसी प्रकारके बाह्य नियंत्रण (सरकार) की आवश्यकता न रहेगी और जब सरकारकी कोई आवश्यकता ही न रहेगी तो फिर वह आपही आप कुम्हलाकर निर्जिव हो जायगी।

आधुनिक पूजीपतियोंकी सत्ताके जमानेमें श्रम' तो तराजूपर तौला जाता है, पर मजदूरी उसके अनुसार नहीं दी जाती। जहातक हो सकता है कम देनेकी चेष्टा की जाती है। लेकिन जब उत्पादक साधन बढ़ जायगे, माल अधिक पैदा होने लगेगा और प्रत्येक व्यक्ति जीतोड परिश्रम करने लगेगा,

तय ध्रम तौलनेकी कोई आवश्यकता न रहेगी और न प्रत्येक व्यक्तिको उसकी आवश्यकतानुसार वस्तुएं देनेमें ही किसी प्रकारकी आपत्ति शेष रह जायगी ।

माक्सने इस सर्वोत्कृष्ट अवस्थाको सामुदायिक (Communist) और इसके पूर्वकी सक्रमणावस्थाको सामाजिक (Socialist) कहा है, और इस अन्तिम सर्वोत्कृष्ट अवस्थाकी ओर लक्ष्य करके ही लेनिनने अपने पक्षका नाम दिया है । यही लेनिनके मतका सार है । लेनिनके मुख्य सिद्धान्त उगलियोंपर गिननेके योग्य और बहुतही स्पष्ट हैं । सन् १९१६ के मार्चमें मास्कोके अन्तर्गत कम्युनिस्ट पक्षकी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् हुई थी, जिसमें लेनिनने अपनी मतपत्रिका पेश की थी । उसमें भी इस सिद्धान्तका स्पष्ट विवेचन किया था और उसपर किये जाक्षेपोंका योग्यतापूर्वक खण्डन किया था । आजकल लेनिनके सिद्धान्तोंपर भिन्न भिन्न लोगोंकी भिन्न २ राय है । कुछ इसे अच्छा बतलाते हैं कुछ बुरा । इसलिये हम पुनर्वक्तिके दोषको स्वीकार करते हुए लेनिनके सिद्धान्तोंको उसकी मतपत्रिकाके आधारपर संक्षिप्त रूपमें नीचे देते हैं—

१—ससारमें वर्गकलह परस्पर बढ़ता जायगा । पू जीपतियोंकी सत्ता और पूजी बढ़ती चली जायगी, और समाजकी सब पू जीको पू जीपति चूस लेंगे, जिससे श्रमजीवियोंकी स्थिति और भी दिन दिन बिगड़ती जायगी, एव पू जीपतियों और मजदूरोंका पारस्परिक कलह भयकरता धारण करेगा ।

स्त्रियोंको मताधिकार

फ्रांसकी क्रातिके समय जब यूरोपमें पुरुषोंके लिये आम मताधिकार की बात बड़े जोर शोरसे चल रही थी तब वहाँकी राष्ट्रीय सभा (National Assembly)के सामने एक दूरदृष्टिवास्त पेश की गयी थी जिसमें स्त्रियोंको मताधिकार देनेकी प्रार्थना की गयी थी। फ्रांसके कई राजनीतिज्ञोंने इसका समर्थन किया था। उसमें कहा गया था कि मताधिकार प्रत्येक नागरिकका नैसर्गिक अधिकार है। इससे स्त्रियोंको वंचित रखना अन्याय है क्योंकि स्त्रियाँ भी नागरिक हैं। इसके बाद बेन्थम, थामस, हेयर, प्रोफेसर सिजविक, जान स्टुअर्ट मिल प्रभृति कितने ही ससार-विख्यात राजनीतिक लेखकोंने स्त्रियोंके मताधिकारके लिये आवाज उठायी थी। इन विद्वानोंने अपने अपने ग्रंथोंमें बड़ी योग्यतासे इस विषयकी पुष्टि की है।

उन्नीसवीं सदीके मध्यकालमें स्त्रियोंको मताधिकार देनेका तत्त्व कुछ न कुछ व्यावहारिक रूप ग्रहण करने लगा। अमेरिकामें पहले पहल इसका श्रीगणेश हुआ। अमेरिकाके कई राज्योंने स्थानीय चुनावमें स्त्रियोंके मत लेने शुरू किये। तबसे इस तत्त्वका वहाँ बराबर विकास हो रहा है और आशा की जाती है कि निकट भविष्यमें वहाँ स्त्रियाँ पुरुषोंके समान विस्तृतरूपसे मता-
प्राप्त कर लेंगी।

इङ्ग्लैंडमें स्त्रियोंको मताधिकार

इङ्ग्लैंडमें फिलहाल स्त्रियोंको पार्लामेन्टके चुनावके अति रिक्त सर्वत्र मताधिकारके वे अधिकार प्राप्त हैं जोकि पुरुषोंको है। इतना ही नहीं इङ्ग्लैंडमें मेयर (Mayor) एल्डरमन (Alderman) और म्युनिसिपल मेम्बर आदि पद भी स्त्रिया पा सकती हैं। कई धार अनुदार और उदार दल दोनोंने प्रस्ताव पासकर सब चुनावोंमें स्त्रियोंको मताधिकार देनेके प्रस्ताव पास किये हैं। विलायतके मजदूरदलके आदर्शोंमें स्त्रियोंको पुरुषोंकी तरह सम्पूर्ण मताधिकार दिलवानेका भी एक आदर्श है। अभी कुछ दिन पहले स्त्रियोंने सम्पूर्ण मताधिकारके लिये बड़ा रौला मचाया था। स्त्रियोंने पार्लामेन्टतकपर धावे किये थे। उस समयके प्रधान मंत्री मि० एस्क्रिय बड़ी बुरी तरह पीटे गये थे। आस्ट्रेलियामें स्त्रियोंको न केवल पुरुषोंके समान मताधिकार ही प्राप्त है वहा स्त्रिया पुरुषोंकी तरह पार्लामेन्टकी मेम्बर भी हो सकती हैं। रूसानिया और न्यूजीलैंडमें स्त्रियोंको पुरुषोंके बराबर मताधिकार प्राप्त हैं। नाई और फिन्लैंडमें क्या पार्लामेन्टरी और क्या म्युनिसिपल चुनाव सबमें स्त्रियोंको पुरुषोंके बराबर मताधिकार प्राप्त हैं। कनाडा प्रभृति कई राज्योंमें तो विवाहित, अविवाहित, विधवा, सधवा आदि सब थालिग स्त्रियोंको ठीक पुरुषोंके बराबर मताधिकार है।